इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मानविकी विद्यापीठ

BHDAE-182
हिंदी भाषा और संप्रेषण

खंड

2

हिंदी भाषा और संप्रेषण-2

इकाई 6
हिंदी भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ 5

इकाई 7
हिंदी वाक्य रचना 39

इकाई 8
संप्रेषण के विविध रूप 53

इकाई 9
संप्रेषण कौशल 65

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

पाठ्यक्रम विशेषज्ञ समिति

प्रो. वी. रा. जगन्नाथन
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं निदेशक
मानविकी विद्यापीठ,
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर
केन्द्रीय हिंदी संस्थान,
आगरा (उ.प्र)

प्रो. आलोक गुप्ता
प्रोफेसर एवं डीन
हिंदी भाषा और साहित्य केन्द्र,
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
गांधीनगर (गुजरात)

प्रो. ए. अरविन्दाक्षन
अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,
हिंदी विभाग, कोचीन विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि

प्रो. आर. एस सर्राजु
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. टी.वी. कट्टीमनी
कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय
विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.)

संकाय सदस्य
प्रो. सत्यकाम
(निदेशक, मानविकी विद्यापीठ)
प्रो. शत्रुघ्न कुमार
प्रो. स्मिता चतुर्वेदी
प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
(पाठ्यक्रम संयोजक)

पाठ्यक्रम संयोजक

प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, हिन्दी संकाय
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

खंड संयोजन, संशोधन एवं संपादन

प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, हिन्दी संकाय
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण समिति

पाठ लेखक	इकाई सं.
प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा	6, 7, 8, 9

संपादन सहयोग
डॉ. शंभुनाथ मिश्र, परामर्शदाता
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू

सचिवालयिक सहयोग
सुश्री गीता नेगी
निजी सहायक
मानविकी विद्यापीठ, इग्नू

सामग्री निर्माण

श्री के. एन. मोहनन
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
सा. नि. एवं वि. प्र., इग्नू, नई दिल्ली

श्री सी. एन. पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
सा. नि. एवं वि. प्र., इग्नू, नई दिल्ली

दिसम्बर, 2019

© इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2019

ISBN- 978-93-89668-48-3

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली–110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरण प्रभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी–166ए, भगवती विहार, नजदीक सेक्टर 2, द्वारका, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110 059

मुद्रण : एस0 जी0 प्रिन्ट पैक्स प्रा0 लि0, एफ–478, सेक्टर–63, नोएडा 201301, उ0प्र0

खंड 2 परिचय

'हिंदी भाषा और संप्रेषण' पाठ्यक्रम के द्वितीय खंड में आपका स्वागत है। इसके प्रथम खंड में आप हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की वर्ण व्यवस्था, स्वर एवं व्यंजन के प्रकार और वर्णों के उच्चारण स्थान पर केन्द्रित इकाइयों का अध्ययन कर चुके हैं।

पाठ्यक्रम के इस द्वितीय खंड में कुल चार इकाइयां हैं–

इकाई-6 'हिंदी भाषा की व्याकरणिक इकाइयां' के अंतर्गत आप क्रिया, विभक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय संबंधी ज्ञान प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा के समुचित बोध के लिए इन इकाइयों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।

इकाई-7 'हिंदी वाक्य रचना' के अंतर्गत आप वाक्य और उपवाक्य, वाक्य के भेद और वाक्य का रूपान्तर सीख सकेंगे। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हिंदी वाक्य रचना को समझने में सक्षम हो सकेंगे।

इकाई-8 'संप्रेषण के विविध रूप में' आप संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही लिखित, मौखिक और आंगिक संप्रेषण का विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे। संप्रेषण की अवधारणा के समुचित बोध के लिए यह एक आवश्यक इकाई है।

इकाई-9 'संप्रेषण कौशल' के अंतर्गत आप श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन तथा लेखन जैसे संप्रेषण कौशलों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में भाषिक अवबोध के साथ ही अभिव्यक्ति की क्षमता का भी विस्तार होगा।

हमें आशा है कि पाठ्यक्रम का यह द्वितीय खंड आपके लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक और बोधगम्य होगा।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 6 हिंदी भाषा की व्याकरणिक इकाइयाँ

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 शब्द और पद

6.3 कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द

6.4 व्याकरणिक इकाइयों के प्रकार

6.5 संज्ञा और उसके प्रकार

6.6 लिंग-विधान और लिंग-परिवर्तन

6.7 वचन-विधान

6.8 कारक एवं विभक्ति

- 6.8.1 कारक के भेद
- 6.8.2 कारक और विभक्ति

6.9 सर्वनाम और उसके प्रकार

6.10 विशेषण और उसके प्रकार

- 6.10.1 प्रविशेषण
- 6.10.2 विशेषण और विशेष्य में संबंध

6.11 क्रिया और उसके प्रकार

- 6.11.1 क्रियार्थक संज्ञा
- 6.11.2 पूरक
- 6.11.3 व्युत्पति के अनुसार क्रियाभेद
- 6.11.4 क्रिया की अवस्था

6.12 अव्यय (अविकारी शब्द) और उसके प्रकार

- 6.12.1 क्रिया विशेषण अव्यय
- 6.12.2 अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद
- 6.12.3 प्रयोग की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद

6.13 संबंधबोधक अव्यय

- 6.13.1 प्रयोग के आधार पर संबंध बोध अव्यय के भेद
- 6.13.2 अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद
- 6.13.3 व्युत्पत्ति के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद

6.14 समुच्चयबोधक अव्यय

6.15 विस्मयादिबोधक अव्यय

6.16 निपात

6.17 सारांश

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
- कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द में अंतर बता सकेंगे।
- व्याकरणिक इकाइयों के बारे में बता सकेंगे।
- संज्ञा और उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे।
- लिंग विधान और वचन के बारे में जानकारी प्राप्त सकेंगे।
- कारक के भेद बताते हुए विभक्ति से उसके अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे।
- सर्वनाम और उसके प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे।
- विशेषण की व्याख्या करते हुए प्रविशेषण के बारे में भी बता सकेंगे।
- क्रिया के बारे में जानकारी देते हुए उसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे।
- अव्यय के बारे में बताते हुए क्रिया विशेषण की व्याख्या समझ सकेंगे।
- संबंधबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय तथा निपात की जानकारी पा सकेंगे।

6.1 प्रस्तावना

भाषा की संरचना में व्याकरणिक इकाइयों की विशेष उपयोगिता और महत्व है। इनका अध्ययन शब्द वर्ग अथवा पद-व्याख्या के अंतर्गत भी किया जाता है। इन इकाइयों के परस्पर संबंधों से भाषा का व्यवस्थित रूप प्रस्तुत होता है। अन्य भाषाओं की तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय हिन्दी की व्याकरणिक इकाइयाँ हैं। हिन्दी की संरचना में इन इकाइयों के अपने-अपने प्रकार्य हैं जो हिन्दी को व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। वास्तव में ये वे शब्द हैं जो भाषा में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं। संरचना के धरातल पर ये शब्द और पद में अंतर करते हैं। स्वतंत्र रूप में ये शब्द कोशगत अर्थ अर्थात् सामान्य अर्थ देते हैं लेकिन संरचना के अंतर्गत इनकी भूमिका व्याकरणिक अर्थ प्रदान करना है। कारक भाषा की संरचना में क्रिया के साथ संज्ञा के अन्वय या संबंधकारक हैं और इनकी प्रकृति सार्वभौम है। कारक तत्व को सूचित करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के तुरंत बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, वे विभक्ति कहलाते हैं। वस्तुतः विभक्ति कारक का बोध कराने वाला प्रत्यय है। हिन्दी के लिंग विधान और वचन-विधान की अपनी व्यवस्था है जो हिन्दी को अन्य भाषाओं से अलग करती हैं। हिन्दी में अव्यय होते है जिनमें क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक रूप होते हैं। अंग्रेजी जैसी भाषाओं में अन्य अव्यय नहीं होते, वरन् मात्र क्रिया विशेषण होता है। हिन्दी के निपात की अपनी विशेषता है जो अन्य भाषाओं में नहीं है। इस प्रकार की व्याकरणिक इकाइयाँ हिन्दी की संरचना को व्यवस्थित कर अर्थ की अभिव्यक्त करने में भूमिका निभाती हैं।

6.2 शब्द और पद

व्याकरणिक इकाइयों का विवेचन करने से पहले हम शब्द और पद तथा कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द में अंतर स्पष्ट करेंगे।

एक या एक से अधिक अक्षरों से बना स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि-समूह शब्द कहलाता है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द होता है। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तो इसमें कोई-न-कोई विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए – 'लड़का' एक स्वतंत्र और अर्थवान रूप है

किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है, तो इसके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं जैसे –

1. लड़का पुस्तक पढ़ता है।
2. लड़के ने पुस्तक पढ़ी।
3. लड़कों को पढ़ने दो।
4. लड़कों! पुस्तक पढ़ो।

उपर्युक्त वाक्यों में 'लड़का', 'लड़के', 'लड़कों', 'लड़को' रूप अब अपने-आपमें स्वतंत्र नहीं हैं। ये सभी रूप अपनी अलग-अलग भूमिका के रूप में प्रयुक्त हैं। यह रूप पद कहलाता है। वस्तुतः 'लड़का' शब्द का अर्थ कोश से प्राप्त हो सकता है, किंतु लड़के, लड़कों और लड़कों शब्द के अर्थ कोश से प्राप्त नहीं होंगे। अतः 'लड़का' शब्द कोशीय शब्द कहलाता है, जबकि लड़के, लड़कों, लड़को पद कोशीय अर्थ के साथ-साथ अन्य संदर्भपरक अर्थ भी साथ लिए होते हैं। इसलिए उपर्युक्त वाक्यों में 'लड़का' अपने विभिन्न संदर्भों में पद है।

6.3 कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द

कुछ कोशीय शब्द ऐसे हैं, जो व्याकरणिक शब्द की भूमिका भी निभाते हैं। ये व्याकरणिक कार्य करते हैं; जैसे –

(1) मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता। (2) मुझसे आजकल खाना नहीं खाया जाता।

वाक्य (1) में 'जाता' कोशीय शब्द है, जिससे 'जाने' की क्रिया का अर्थ प्राप्त होता है, किंतु वाक्य (2) में 'खाया' कोशीय शब्द है और 'जाता' कोशीय शब्द नहीं, बल्कि व्याकरणिक शब्द है। इसमें 'जाता' शब्द कोशीय अर्थ नहीं दे रहा, अपितु व्याकरणिक अर्थ दे रहा है। यहाँ 'जाता' शब्द में वाक्य (1) की भांति 'जाने की क्रिया' नहीं है। इस 'जाता' शब्द से कर्मवाच्य का बोध होता है। अतः यह व्याकरणिक शब्द है। इस प्रकार 'जाता' शब्द वाक्य (1) में कोशीय शब्द है और वाक्य (2) में व्याकरणिक शब्द।

6.4 व्याकरणिक इकाइयों के प्रकार

व्याकरणिक इकाइयाँ पाँच प्रकार की हैं, जैसे कि – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय।

6.5 संज्ञा और उसके प्रकार

1. राधा पुस्तक पढ़ रही है।
2. बंदर मेज़ पर बैठा है।
3. जीवन में सच्चाई ही सब कुछ है।
4. हमें सबसे प्यार करना चाहिए।

ऊपर दिए चारों वाक्यों में आपने राधा, पुस्तक, बंदर, मेज़ जीवन, सच्चाई, प्यार, दिल्ली, भारत शब्द पढ़े हैं। ये सभी शब्द किसी-न-किसी व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं –

राधा, बंदर	प्राणी का नाम
पुस्तक, मेज़	वस्तु का नाम
दिल्ली, भारत	स्थान का नाम
जीवन, सच्चाई, प्यार	भाव का नाम

किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं।

कुछ संज्ञा शब्द प्राणिवाचक होते हैं और कुछ अप्राणिवाचक। राधा, मोहन, बंदर, घोड़ा आदि प्राणिवाचक हैं और पुस्तक, मेज़, हिमालय, नदी आदि अप्राणिवाचक हैं।

कुछ संज्ञाओं को गिना जा सकता है। इन्हें गणनीय संज्ञाएँ कहते हैं; जैसे – मेज़, कुर्सी, मनुष्य हाथी। कुछ संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता। इन्हें अगणनीय संज्ञाएँ कहते हैं; जैसे – आग, सच्चाई, प्यार, वायु।

संज्ञा का अर्थ है नाम। इस प्रकार नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं।

संज्ञा के भेद – संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाव वाचक संज्ञा

व्यक्तिवाचक संज्ञा – जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे –

व्यक्ति – रमेश, रहमान, शीला, मीरा, विलियम आदि।

स्थान – भारत, चीन, रूस, इंग्लैंड, ईरान, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, केरल, अमेरिका, चिड़ियाघर, प्रगति मैदान आदि।

वस्तु – गंगा (नदी), हिमालय (पहाड़), चेतक (घोड़ा), गीता (ग्रंथ), हिन्द महासागर आदि।

जातिवाचक संज्ञा – जो शब्द किसी जाति, धर्म, प्राणि, वस्तु के पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे – मनुष्य, घोड़ा, पहाड़, नदी, सोना, लोहा।

जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं – (क) द्रव्यवाचक संज्ञा और (ख) समूहवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इन दोनों भेदों को संज्ञा के भीतर रखकर संज्ञा के पाँच भेद बताते हैं, किंतु ये दोनों उपभेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों एक प्रकार से 'जाति' का ही बोध कराते हैं। अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के रूप में रखना उचित होगा।

(क) **द्रव्यवाचक संज्ञा** – इससे ऐसे द्रव्यों, पदार्थों अथवा सामग्री का बोध होता है, जिससे अनेक वस्तुएँ बनती हैं। इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं; जैसे –

लकड़ी – (फर्नीचर आदि के लिए), सोना-चाँदी – (आभूषणों के लिए), लोहा, पीतल, स्टील – (बर्तनों आदि के लिए), ऊन – (स्वेटर आदि के लिए)।

द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है और ये शब्द गणनीय नहीं होते।

(ख) **समूहवाचक संज्ञा** – जो संज्ञा पद किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय का बोध कराते हैं; जैसे – सेना, पुलिस, भीड़, मेला, सभा, कक्षा, दल।

इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं।

कभी-कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा पद किसी व्यक्ति-विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं; जैसे – 'पंडित जी' जातिवाचक संज्ञा पद पं. जवाहरलाल नेहरु के लिए प्रयुक्त होता है और 'नेताजी' सुभाषचंद्र बोस के लिए। यहाँ 'पंडित' और 'नेता' व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए हैं। उदाहरण के लिए;

- पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
- नेताजी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए।

कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं; जैसे –

- आज भी **हरिश्चन्द्रों** की कमी नहीं है।
- देश को **जयचंदों** से बचना चाहिए।

इन दोनों वाक्यों में 'हरिश्चंद्र' 'सत्यनिष्ठा' और 'जयचंद' 'विश्वासघात' या 'देशद्रोह' के प्रतीक हैं। इसलिए यहाँ 'हरिश्चंद्र और जयचंद' व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

भाववाचक संज्ञा – जो शब्द धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे – लंबाई, बचपन, अहिंसा, भय, खटास, आलस्य।

भाववाचक संज्ञाएँ पाँच प्रकार के शब्दों से बनती हैं – जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रियाविशेषण से और अव्यय से। उदाहरण के लिए;

जातिवाचक संज्ञा		**भाववाचक संज्ञा**	**जातिवाचक संज्ञा**		**भाववाचक संज्ञा**
बच्चा	–	बचपन	मित्र	–	मित्रता
बूढ़ा	–	बुढ़ापा	शत्रु	–	शत्रुता
मनुष्य	–	मनुष्यत्व	भाई	–	भाईचारा
इन्सान	–	इन्सानियत	ठग	–	ठगी
सर्वनाम		**भाववाचक संज्ञा**			
अपना	–	अपनापन, अपनत्व			
निज	–	निजत्व			
विशेषण		**भाववाचक संज्ञा**	**विशेषण**		**भाववाचक संज्ञा**
मीठा	–	मिठास	गरम	–	गरमी
खट्टा	–	खटास	सुंदर	–	सुंदरता
काला	–	कालापन	गहरा	–	गहराई
क्रिया		**भाववाचक संज्ञा**	**क्रिया**		**भाववाचक संज्ञा**
पढ़ना	–	पढ़ाई	घबराना	–	घबराहट
दौड़ना	–	दौड़	हँसना	–	हँसी
सजाना	–	सजावट	उड़ना	–	उड़ान
अव्यय		**भाववाचक संज्ञा**			
शीघ्र	–	शीघ्रता			
मना	–	मनाही			
समीप	–	समीपता, सामीप्य			

6.6 लिंग विधान और लिंग–परिवर्तन

निम्नलिखित वाक्य पढ़िए –

1. लड़का पढ़ रहा है।
2. लड़की पढ़ रही है।
3. आदमी सो रहा है।
4. औरत सो रही है।

उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, लड़की, आदमी, औरत प्राणिवाचक संज्ञा पद हैं। इनमें 'लड़का' और 'आदमी' पुरुषवाची हैं तथा 'लड़की' और 'औरत' स्त्रीवाची।

पुरुषवाची 'लड़का', 'आदमी' के अनुसार क्रियारूप 'रहा है' का प्रयोग हुआ है, जबकि स्त्रीवाची 'लड़की', 'औरत' के अनुसार क्रियारूप 'रही है' का प्रयोग हुआ है। प्राणिवाचक संज्ञा पदों में लिंग की पहचान उनके पुरुष या स्त्री होने के कारण आसानी से हो जाती है। अतः पुरुषवाची संज्ञा पद को 'पुल्लिंग' और स्त्रीवाची संज्ञा पद को 'स्त्रीलिंग' कहते हैं।

कुछ अन्य उदाहरण के लिए –

(i) पंखा चल रहा है। (ii) घड़ी चल रही है।
(iii) यह बड़ा कमरा है। (iv) यह छोटी मेज़ है।

उपर्युक्त वाक्यों में पंखा, घड़ी, कमरा, मेज़ अप्राणिवाचक संज्ञा पद हैं। इनमें 'पंखा', और 'कमरा' पुल्लिग हैं और 'घड़ी' तथा 'मेज़' स्त्रीलिंग हैं। इसीलिए इनके अनुसार क्रियारूप 'रहा है' और 'रही है' का प्रयोग हुआ है।

इसके साथ वाक्य (iii) और (iv) में पुल्लिग 'कमरा' के साथ विशेषण रूप 'बड़ा' और स्त्रीलिंग 'मेज़' के साथ 'छोटी' का प्रयोग हुआ है। अप्राणिवाचक संज्ञा पदों में लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण पद से ही हो सकती है।

इस प्रकार शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग हैं – पुल्लिग और स्त्रीलिंग। यह बात अवश्य है कि सभी प्राणिवाचक संज्ञाओं का विभाजन पुल्लिग और स्त्रीलिंग में नहीं किया जाता है। कुछ संज्ञाएं एकलिंगीय भी होती हैं, चाहे वे नर हों या मादा; जैसे –

- केवल पुल्लिग शब्द – चीता, गीदड़, उल्लू, कौआ, खटमल, मच्छर।
- केवल स्त्रीलिंग शब्द – गिलहरी, छिपकली, मछली, मैना, मक्खी, तितली, कोयल।

कभी-कभी इनके लिंग को स्पष्ट करने के लिए उसके पहले नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे – नर चीता, मादा चीता, नर मैना, मादा मैना।

कुछ पदवाची संज्ञाएँ, उभयलिंगी होती हैं। उन्हें संदर्भ के अनुसार पुल्लिग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे – राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर, अधिकारी, डॉक्टर। इनके लिंग की पहचान वाक्य में क्रिया से होती है।

प्रधानमंत्री कल अमेरिका जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री कल अमेरिका जा रही हैं।

लिंग परिवर्तन

संज्ञाओं के लिंग-विधान के लिए कोई निश्चित नियम तो नहीं हैं। इसका ज्ञान भाषा व्यवहार से ही होता है। फिर भी कुछ प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिग के स्त्रीलिंग रूप बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए –

1. अकारांत और आकारांत पुल्लिग को ईकारांत कर देने से स्त्रीलिंग रूप बनता है; जैसे –

   अ, आ –ई = देव-देवी, लड़का-लड़की, घोड़ा-घोड़ी

   अ, आ –इया = बंदर-बंदरिया, चूहा-चुहिया, बूढ़ा-बुढ़िया, कुत्ता-कुतिया

2. व्यवसायबोधक पुल्लिग शब्दों के अंतिम स्वरों का लोप करके उनमें कहीं 'इन', कहीं 'आइन' और कहीं 'आनी' प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं; जैसे –

   अ– इन = सुनार-सुनारिन, कुम्हार-कुम्हारिन

   अ– आइन = ठाकुर-ठकुराइन, पंडित-पंडिताइन

   आ– आइन = लाला-ललाइन

   इ– इन = माली-मालिन, धोबी-धोबिन

   ई– आईन = हलवाई-हलवाइन

   अ– आनी = सेठ-सेठानी, नौकर-नौकरानी

3. कुछ पुल्लिग शब्दों में अन्य प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते हैं; जैसे –

   अ – नी = मोर-मोरनी, शेर-शेरनी

   अ – आ = अध्यक्ष-अध्यक्षा, प्रियतम-प्रियतमा

   अक – इका = अध्यापक-अध्यापिका, बालक-बालिका

   वान, मान–वती, मती = सौभाग्यवान-सौभाग्यवती, श्रीमान्-श्रीमती

4. कुछ पुल्लिग और उनके स्त्रीलिंग रूपों के लिए अलग-अलग शब्द मिले हैं; जैसे –

   पुरुष – स्त्री, आदमी – औरत, राजा – रानी, वर – वधू, माता – पिता।

5. कुछ मूल शब्द स्त्रीलिंग हैं, उनसे पुल्लिग शब्द बनते हैं; जैसे –

   भेड – भेड़ा, जीजी – जीजा, भैंस – भैंसा, बहन – बहनोई

अप्राणिवाचक संज्ञाओं के लिंग-विधान के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। परंपरा और कोश से ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। इनके लिंग की पहचान वाक्य के क्रियारूपों से ही होती है। इसका अनुमान निम्नलिखित संकेतों से किया जा सकता है, किंतु यह ध्यान में रहे कि ये नियम के रूप में निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं; जैसे –

(i) आकारांत रूप प्रायः पुल्लिग होते हैं –

कमरा, पैसा, लोटा, ओला, चमड़ा, घोड़ा, केला, हलवा, कोयला, कपड़ा, झगड़ा, समझौता, बल्ला, मेला, किला, जाड़ा।

अपवाद – कई आकारांत रूप स्त्रीलिंग भी हैं – शोभा, सभा, ममता, लज्जा, लता आदि।

(ii) ईकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे – नदी, रोटी, टोपी, धोती, चमेली।

अपवाद – कई ईकारांत पुल्लिग भी हैं – आदमी, पानी, मोती, घी आदि।

(iii) 'पा, पन, त्व' प्रत्यय से युक्त भाववाचक संज्ञाएं और आकारांत कृदंत पुल्लिग होते हैं; जैसे – बुढ़ापा, लड़कपन, ममत्व।

(iv) हट-वट संयुक्त संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं – घबराहट, कड़वाहट, सजावट, मिलावट आदि।

6.7 वचन–विधान

निम्नलिखित वाक्य पढ़िए –

1. लड़का दौड़ रहा है।
2. लड़के दौड़ रहे हैं।
3. लड़की दौड़ रही है।
4. लड़कियाँ दौड़ रही हैं।

वाक्य (1) और (3) में 'लड़का' और 'लड़की' एक-एक का बोध कराते हैं। इन शब्दों का प्रयोग एकवचन में हुआ है। वाक्य (2) और (4) में 'लड़के' और 'लड़कियाँ' का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। इस प्रकार वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो एक या एक से अधिक का बोध कराता है।

हिंदी में दो वचन हैं – एकवचन और बहुवचन। जो संज्ञा पद एक का बोध कराए, उसे एकवचन कहते हैं; जैसे – घोड़ा, पंखा, किताब, बकरी। जो एक से अधिक का बोध कराए, उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे – घोड़े, पंखे, किताबें, बकरियाँ।

गणनीय संज्ञा पदों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है; जैसे – कमरा – कमरे, वस्तु – वस्तुएँ। अगणनीय संज्ञा पदों का बहुवचन रूप नहीं बनता, जैसे – दूध, घी, चीनी, पानी।

वचन-प्रयोग संबंधी कुछ नियम

- लड़का खाना खा रहा है।
- लड़के खाना खा रहे हैं।
- बालक सो रहा है।
- दो बालक सो रहे हैं।
- लड़की खाना खा रही है।
- लड़कियाँ खाना खा रही हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'लड़का' एकवचन का बहुवचन 'लड़के' है और 'लड़की' एकवचन का बहुवचन 'लड़कियाँ' है, जबकि 'बालक' के बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके नियम इस प्रकार हैं –

परसर्गरहित एकवचन का बहुवचन रूप

(क) आकारांत एकवचन पुल्लिग संज्ञा पदों में अंतिम 'आ' का बहुवचन रूप 'ए' हो जाता है; जैसे –

कमरा – कमरे, लड़का – लड़के, बच्चा – बच्चे, कुत्ता – कुत्ते।

(ख) अकारांत, इकरांत, ईकारांत, उकारांत आदि एकवचन पुल्लिग रूपों का बहुवचन में रूप परिवर्तन नहीं होता; जैसे –

बालक – (दो) बालक कवि – (तीन) कवि आदमी – (चार) आदमी

पशु – (दो) पशु भालू – (तीन) भालू

(ग) स्त्रीलिंग संज्ञा पदों में इकारांत और ईकारांत रूपों के अंत में 'इ', 'ई' के स्थान पर 'इयाँ' हो जाता है। ध्यान रहे कि इकरांत रूपों का दीर्घ 'ई' बहुवचन में ह्रस्व 'इ' हो जाता है; जैसे –

लड़की – लड़कियाँ, नदी – नदियाँ, गाड़ी – गाड़ियाँ

(घ) स्त्रीलिंग संज्ञा पदों में अकारांत, आकारांत, उकारांत, ऊकारांत, औकारांत आदि रूपों के अंत में 'एँ' जुड़ जाता है। किंतु ध्यान रहे कि यदि अंत में दीर्घ 'ऊ' आ जाए तो उसके स्थान पर ह्रस्व 'उ' हो जाता है; जैसे –

मेज – मेजें, माला – मालाएँ, वस्तु – वस्तुएँ, गौ – गौएँ
बहू – बहुएँ

(ङ) स्त्रीलिंग अकारांत संज्ञा पदों के बहुवचन रूप में मात्र अनुनासिक (ँ) जुड़ जाता है; जैसे – चिड़िया – चिड़ियाँ, बुढ़िया – बुढ़ियाँ।

परसर्ग युक्त एकवचन का बहुवचन रूप

(क) लड़का खाना खा रहा है। (एकवचन),
(ख) लड़के ने खाना खाया। (एकवचन)
(ग) लड़कों ने खाना खाया। (बहुवचन)

(i) लड़की खाना खा रही है। (एकवचन)
(ii) लड़की ने खाना खाया। (एकवचन)
(iii) लड़कियों ने खाना खाया। (बहुवचन)

उपर्युक्त वाक्यों में 'लड़का' के साथ 'ने' परसर्ग लगने से उसका एकवचन रूप 'लड़के' हो गया और बहुवचन रूप 'लड़कों'। इसी प्रकार 'लड़की' के साथ 'ने' परसर्ग लगने से

उसके एकवचन रूप में कोई अंतर नहीं आया, जबकि बहुवचन रूप 'लड़कियों' हो गया इसके नियम इस प्रकार हैं –

(क) आकारांत पुल्लिग एकवचन संज्ञा पदों के साथ परसर्ग (ने, को, से, पर) लगने पर अंत में 'आ' के स्थान पर 'ए' हो जाता है; जैसे –

लड़का – लड़के (ने), कमरा – कमरे (में), भाला – भाले (से)

आकारांत पुल्लिग संज्ञा पदों के साथ परसर्ग (ने, को, से, में, पर आदि) लगने पर बहुवचन रूप में 'ओं' हो जाता है; जैसे –

लड़का – लड़कों (ने), कमरा – कमरों (में)

(ख) आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत आदि परसर्गसहित एकवचन पुल्लिग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों के बहुवचन रूपों में 'ओं' जुड़ जाता है; जैसे –

घर – घरों (में)	लड़की – लड़कियों (ने)
बहन – बहनों (ने)	पशु – पशुओं (को)
कवि – कवियों (ने)	साधु – साधुओं (ने)
वस्तु – वस्तुओं (को)	बहू – बहुओं (ने)
आदमी – आदमियों (को)	भालू – भालुओं (को)

यह ध्यान रहे कि ईकारांत और ऊकारांत रूपों के अंतिम दीर्घ 'ई' और 'ऊ' रूप बहुवचन रूप में 'इ' और 'उ' हो जाते हैं।

अन्य रूपों का बहुवचन

- कभी-कभी बहुवचन बनाने के लिए 'जन', 'गण' या 'वर्ग' शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं; जैसे – गुरु – गुरुजन, छात्र – छात्रगण, मजदूर – मजदूर वर्ग।
- कुछ शब्द 'समूह' का बोध कराते हैं, किंतु वे एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं; जैसे – सेना, भीड़, कक्षा। यदि समूहवाची शब्द अधिक हों तो उन के बहुवचन रूप भी बन सकते हैं; लेकिन वे बहुत कम होते हैं; जैसे – सेना – सेनाएँ, कक्षा – कक्षाएँ, लेकिन भीड़ 'भीड़ें' नहीं होगी।
- कुछ शब्द एकवचन होते हैं, किंतु उनका प्रयोग बहुवचन में होता है; जैसे –
  i) मैं आपके दर्शन करने आया हूँ।
  ii) मित्र की मृत्यु के बारे में सुनकर उसके आँसू निकल आए।
  iii) प्रधानाध्यापक ने मेरे आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
  iv) शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए।
- आदरसूचक एकवचन संज्ञा के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है; जैसे –
  – शर्मा जी कल नहीं आए थे।
  – पिता जी मुंबई गए हैं।
  – हमारे प्रधानाचार्य अग्रवाल साहब हैं।

6.8 कारक एवं विभक्ति

निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए –

- मोहन ने सोहन को पीटा।
- मोहन पेंसिल से पत्र लिखता है।
- मोहन सोने के लिए घर गया।
- उसके पिता जी कमरे में थे।

- मोहन पेड़ से फल तोड़ता है।
- अरे मोहन! तुम कहाँ गए थे?

इन वाक्यों में 'ने', 'को', 'से', 'के लिए', 'के', 'में', 'से', तथा 'अरे' शब्द रूप इस्तेमाल हुए हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि ये शब्द रूप संज्ञा और सर्वनाम के साथ इस्तेमाल हुए हैं। आपने यह भी देखा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का कोई-न-कोई संबंध क्रिया के साथ होता है, जो इन शब्द-रूपों के द्वारा पता चलता है।

इन वाक्यों में मोहन ने, सोहन को, पेंसिल से, सोने के लिए, उसके, कमरे में, पेड़ से, अरे मोहन शब्द-रूपों को पूरा करने और अर्थ स्पष्ट करने में सहायता कर रहे हैं। इन वाक्यों में से संबंध बताने वाले शब्द-रूपों को यदि हटा दिया जाए तो इन वाक्यों का रूप कैसा होगा?

- मोहन सोहन पीटा।
- मोहन पेंसिल पत्र लिखता है।
- मोहन सोने घर गया।
- उसके पिता जी कमरे थे।
- मोहन पेड़ फल तोड़ता है।
- मोहन! तुम कहाँ गए थे?

इन शब्द-रूपों को हटाने से यह पता नहीं चलता कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के क्रिया से संबंध क्या हैं? यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि मोहन, सोहन, पेंसिल, सोने, कमरे आदि में कौन काम कर रहा है, कौन का संबंध किसमें, किसको, किस पर है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा। इसलिए इन शब्द-रूपों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ समझ में आ जाता है। इन शब्द-रूपों को कारक-चिह्न कहते हैं।

हिंदी में इन कारक-चिह्नों को परसर्ग कहते हैं। इस प्रकार 'न', 'को', 'से', 'के लिए', 'का', 'पर', 'में', 'से', 'अरे', आदि परसर्ग अथवा कारक-चिह्न हैं। इनसे वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्पष्ट होता है और पता चलता है कि हर संज्ञा या सर्वनाम किस प्रकार का काम कर रहा है।

कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ परसर्ग का प्रयोग भी नहीं होता। जैसे – 'मोहन दूध पीता है' में 'मोहन' और 'दूध' के बाद परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इस प्रकार 'मोहन ने दूध पिया' वाक्य में 'दूध' के बाद कोई परसर्ग नहीं लगा है। ऐसे वाक्यों में शब्द क्रम या अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट होता है।

वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध ज्ञात होता है, वह कारक कहलाता है।

6.8.1 कारक के भेद

हिंदी में आठ कारक हैं। कुछ विद्वान हिंदी में छः कारक मानते हैं। वे संबंध और संबोधन को कारक की श्रेणी में नहीं मानते। यहाँ आठों कारकों की चर्चा की जा रही है।

कारक	(कारक-चिह्न) (परसर्ग)	पहचान	वाक्य-प्रयोग
1. कर्ता कारक (क्रिया को करने वाला)	शून्य, ने	कौन? किसने?	मोहन चावल खाता है। मोहन ने चावल खाए।
2. कर्म कारक	शून्य	क्या?	शीला खाना बनाती है।

(जिस पर क्रिया का फल पड़े)	को	किसको?	शीला ने चोर को पीटा।
3. करण कारक (क्रिया करने का साधन)	से,	किससे?	शीला चाकू से फल काटती है।
	द्वारा, के द्वारा	किसके द्वारा?	मोहन के द्वारा यह काम नहीं हुआ।
4. संप्रदान कारक (जिसके लिए क्रिया की जाए)	के लिए	किसके लिए?	माँ बच्चे के लिए दूध लाई।
	को	किसको?	मोहन ने सोहन को किताब दी।
	के निमित्त	किसके निमित्त?	हमें परोपकार के निमित्त कार्य करना चाहिए।
5. अपादान कारक (जिससे अलग हो)	से	किससे?	पेड़ से आम गिरा।
6. संबंध कारक	का, के, की	किसका?	रमेश का भाई डॉक्टर है।
	रा, रे, री	किसके (मैं+का)	मेरे भाई ने यह किताब पढ़ी है।
	ना, ने, नी	किसकी (आप+का)	अपनी पुस्तक पढ़ो।
7. अधिकरण कारक	में	किसमें	मेरे विद्यालय में आज समारोह है।
	पर	किस पर	मेरी किताबें मेज़ पर पड़ी हैं।
8. संबोधन कारक	अरे	–	अरे मोहन! यहाँ आओ।
	हे	–	हे प्रभु! मेरी रक्षा करो।

यह ध्यान में रहे कि कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक सभी कारकों में परसर्ग अथवा कारक-चिह्न शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक में अरे, अरी, हे आदि चिह्न शब्द से पहले लगाए जाते हैं।

कर्ता कारक

पुलिस ने चोर को पकड़ा।

इस वाक्य में 'किसने चोर को पकड़ा' (पुलिस ने) यह स्पष्ट होता है कि पकड़ने की क्रिया का काम पुलिस करती है, इसलिए 'पुलिस ने' कर्ता कारक है। कर्ता का अर्थ है 'करने वाला'। इस प्रकार कर्ता कारक को पहचानने के लिए क्रिया में 'कौन' या 'किसने' लगाया जाता है।

जैसे – मोहन सोता है रमेश ने पत्र लिखा।

वाक्यों की क्रियाओं में 'कौन सोता है' और 'किसने पत्र लिखा' लगाने पर 'मोहन' और 'रमेश' उत्तर मिलते हैं। इसलिए ये दोनों कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक में 'ने' कारक-चिह्न अधिकतर भूतकाल में कर्म के होने पर लगता है। जैसे – शीला ने आम खाया।

जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कारक है।

कर्म कारक

1. मोहन चावल खाता है। 2. पुलिस ने चोर को पकड़ा।

इन दोनों वाक्यों को पढ़िए और बताइए –

1. मोहन क्या खाता है? = चावल

2. पुलिस ने किसको पकड़ा? = चोर को

यहाँ स्पष्ट होता है कि वाक्य (1) में क्रिया (खाता) का फल 'चावल' वस्तु पर पड़ा। वाक्य (2) में क्रिया (पकड़ा) का फल 'चोर' व्यक्ति पर पड़ा इसलिए 'चावल' और 'चोर' दोनों कर्म कारक हैं।

वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, वह कर्म कारक है।

कर्म कारक का कारक चिह्न 'को' है। कर्म कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ 'क्या', 'किसे', 'किसको' लगाया जाता है, जैसे –

i) मोहन दूध पीता है।

ii) मोहन मुझे डराता है।

iii) माँ मोहन को डाँटती है।

इन वाक्यों में वाक्य (i) 'मोहन क्या पीता है?', वाक्य (ii) मोहन किसे डराता है?, वाक्य (iii) माँ किसको डाँटती है? उत्तर मिलता है; दूध, मुझे, मोहन को। इसलिए ये तीनों कर्म कारक हैं।

ध्यान देने की बात है कि कर्म कारक में कहीं-कहीं 'को' कारक-चिह्न नहीं लगता। यह प्रायः निर्जीव कर्म के साथ नहीं लगता। जैसे – मोहन दूध पीता है, मोहन ने कुर्सी तोड़ी।

यहाँ दूध और कुर्सी निर्जीव अथवा अप्राणिवाचक वस्तुएँ हैं। ये अप्राणिकारक कर्म हैं इसलिए इनके साथ 'को' कारक चिह्न या परसर्ग नहीं लगा। प्राणिवाचक कर्म के साथ 'को' कारक-चिह्न लगता है।

करण कारक

मोहन चम्मच से खाना खाता है।
शीला साइकिल से स्कूल गई।
राम ने रावण को बाण से मारा।
रामू के द्वारा भोजन भिजवा दो।

इन चारों वाक्यों को पढ़िए और बताइए –

- मोहन किससे खाना खाता है। (चम्मच से)
- शीला किससे स्कूल जाती है। (साइकिल से)
- भोजन किसके द्वारा भिजवाया जाए।
- राम ने रावण को किससे मारा। (बाण से) (राम द्वारा)

इन वाक्यों में चम्मच, साइकिल, बाण, रामू की सहायता से क्रमशः 'खाने, 'जाने', 'मारने', 'भिजवाने' का काम होता है, इसलिए ये चारों करण कारक हैं।

कर्ता जिसकी सहायता से या साधन से क्रिया करता है, वह करण कारक है। करण कारक का कारक चिह्न 'से' है, लेकिन 'के द्वारा' या 'के साथ' भी प्रयुक्त हो सकते हैं। करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया किस साधन से, किस वस्तु की सहायता से, किसके द्वारा अथवा किसके साथ की जाती है, उसे लगाया जाता है। जैसे – मोहन ने

चाकू से फल काटा, टेलीफोन के द्वारा पिताजी को यह सूचना देना, मोहन ने चटनी के साथ समोसे खाए।

संप्रदान कारक

(i) वीर सैनिकों ने देश के लिए जान दी।

(ii) मोहन पूजा के लिए फूल लाया।

इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए –

- वीर सैनिकों ने किसके लिए जान दी। (देश के लिए)
- मोहन किसलिए फूल लाया। (पूजा के लिए)

इन वाक्यों में 'देश' और 'पूजा' के लिए क्रिया की गई है इसलिए ये दोनों संप्रदान कारक हैं। संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ 'के लिए' लगता है। उदाहरण के लिएः 'माँ मेरे लिए बर्फी लाई' वाक्य की क्रिया में 'किसके लिए बर्फी लाई' लगाने से उत्तर मिलता है – 'मेरे लिए' अतः मेरे लिए संप्रदान कारक है और बर्फी कर्म कारक।

संप्रदान कारक का मुख्य परसर्ग या कारक चिह्न 'के लिए' है, किंतु कोई या किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को दिया या लिया जाए, वहाँ 'को' परसर्ग लगता है। उदाहरण के लिए; पिताजी मेरे लिए साइकिल लाए और पिता जी ने मुझे (मुझको) साइकिल दी।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि 'को' परसर्ग कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में होता हैं जैसे – 1. पिता जी ने मोहन को बुलाया। 2. पिता जी ने मोहन को साइकिल दी। वाक्य (1) में 'को' कर्म कारक का परसर्ग है और वाक्य (2) में 'को' संप्रदान कारक का परसर्ग है। इसलिए कुछ विद्वान संप्रदान कारक को गौण कारक भी कहते हैं, क्योंकि वाक्य (2) में 'साइकिल' मुख्य कर्म है और 'मोहन को' गौण कर्म है। इसे एक अन्य उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है।

3. रमेश ने सुरेश को किताब दी। इस वाक्य में 'किताब' मुख्य कर्म और 'सुरेश' गौण कर्म। यहाँ गौण कर्म संप्रदान कारक का काम कर रहा है। अतः 'को' परसर्ग का प्रयोग हुआ है।

संज्ञा या सर्वनाम, जिस रूप के लिए कार्य करता है अथवा जिसको कुछ दिया जाता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है।

अपादान कारक

गंगा हिमालय से निकलती है। पेड़ से पत्ते गिरे।

इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए –

गंगा कहाँ से निकलती है? (हिमालय से), पत्ते कहां से गिरे? (पेड़ से)

इन वाक्यों में 'गंगा' का 'हिमालय से' निकलने, 'पत्तों' का 'पेड़ से' गिरने का अर्थात् 'गंगा' और पत्तों का अपने स्रोत से अलग होने का भाव प्रकट होता है इसलिए 'हिमालय से' और 'पेड़ से' अपादान कारक हैं। अपादान कारक का परसर्ग 'से' है। अपादान कारक पहचानने के लिए क्रिया में 'कहाँ से' लगाया जाता है। जैसे – 'मोहन छत से गिरा' वाक्य की क्रिया में 'कहाँ से गिरा' का उत्तर मिलता है 'छत से'। इसलिए 'छत से' अपादान क्रिया है, क्योंकि इसमें मोहन के छत से अलग होने का भाव मिलता है।

यहाँ ध्यान देने की बात है कि 'से' परसर्ग का प्रयोग करण तथा अपादान दोनों कारकों में होता है। करण कारक में 'से' का प्रयोग साधन के रूप में या सहायता के रूप में या के द्वारा के रूप में होता है, किंतु अपादान कारक में 'से' परसर्ग का प्रयोग अलग होने के लिए होता है। उदाहरण के लिए; 'उसने पेंसिल से निबंध लिखा', करण कारक है और 'उसने अलमारी से पेंसिल निकाली' अपादान कारक है। पहले वाक्य में 'पेंसिल' उपकरण

का काम कर रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में पेंसिल' अलमारी से अलग होने का काम कर रहा है।

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना पाया जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं।

संबंध कारक

- यह मजदूर का घर है।
- यह मेरी किताब है।
- मोहन आपके बड़े भाई हैं।

इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए –

- यह किसका घर है? (मजदूर का)
- यह किसकी किताब है? (मेरी)
- मोहन किसके बड़े भाई हैं? (आपके)

इन वाक्यों में 'मजदूर' का 'घर' से, 'मेरी' का 'किताब' से 'बड़े भाई' का 'आप' से संबंध प्रकट होता है। इसलिए 'मजदूर का घर', 'मेरी किताब' और 'आपके बड़े भाई' संबंध कारक हैं।

संबंध कारक के परसर्ग का, के, की, रा, रे, री हैं। संबंध कारक पहचानने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ 'किसका, किसकी या किसके' लगाया जाता है। उदाहरण के लिए; 'यह मोहन का घर है', 'वह आपका मित्र था', 'यह मेरी कलम है' वाक्यों में 'किसका', 'किसकी' आदि लगाने से 'मोहन का घर, आपका मित्र, मेरी कलम' उत्तर मिलता है। ये तीनों संबंध कारक हैं। 'रा, रे, री' का प्रयोग मध्यम पुरुष के 'आप' और अन्य पुरुष के सिवाय उत्तम पुरुष 'मैं, हम' और मध्यम पुरुष 'तू, तुम' सर्वनामों के साथ होता है, जैसे – मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा।

संज्ञा सा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में एक का दूसरे से संबंध होने का पता चले, संबंध कारक कहलाता है। कुछ विद्वान इसे कारक के अंतर्गत नहीं मानते।

अधिकरण कारक

मोहन कमरे में है। किताब मेज़ पर रखी है।

इन वाक्यों को पढ़ो और बताओ –

मोहन कहाँ है? (कमरे में) किताब कहाँ रखी है? (मेज़ पर)

इन वाक्यों में 'कमरे में' और 'मेज़ पर' से क्रिया के आधार की जानकारी मिलती है इसलिए इन वाक्यों में 'कमरे में' और 'मेज़ पर' अधिकरण कारक हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के स्थान अथवा आधार की जानकारी मिलती हो वे अधिकरण कारक हैं।

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के स्थान अथवा आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग अथवा कारक चिह्न 'में', 'पर' आदि हैं। अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया में 'कहाँ' या 'किसमें' या 'किसपर' लगाया जाता है। जैसे – 'चिड़िया पेड़ पर बैठी है।' और 'मेरी किताबें अलमारी में पड़ी हैं।'

संबोधन कारक

- अरे मोहन! इधर आओ।
- हे प्रभु! मेरी रक्षा करो।

इन वाक्यों को तुमने पढ़ा और देखा कि 'मोहन' के पहले 'अरे' शब्द और 'प्रभु' के पहले 'हे' शब्द का प्रयोग हुआ। ये शब्द किसी को पुकारने या याद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? जैसे – अरी शीला! क्या कर रही हो? ऐ लड़के! शोर मत करो। यहाँ 'अरी' और 'ऐ' संबोधन कारक हैं।

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या याद करने या सचेत करने का पता चले, वह संबोधन कारक कहलाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि संबोधन कारक में कारक-चिह्न या परसर्ग संज्ञा शब्द से पहले लगाए जाते हैं और उस परसर्ग के बाद संबोधन-चिह्न (!) भी लगाया जाता है। कुछ विद्वान इसे भी कारक की श्रेणी में नहीं रखते।

6.8.2 कारक और विभक्ति

कारक संबंध भाषा की संरचना का आधार है। एक शब्द के अर्थ का दूसरे शब्द के अर्थ के साथ संबंध होता है। यही अन्वय होता है। अर्थ के द्वारा ही शब्द का शब्द के साथ अन्वय माना जा सकता है। यही कारक है। वस्तुतः कारक उसे कहते हैं जो क्रिया सें संज्ञाओं के विभिन्नार्थी संबंधों को बताता है। कारक का संबंध अर्थ तत्व से है। शब्द के रूप तत्व से नहीं। वह प्रकृति, प्रत्यय या पद नहीं है। लेकिन जिस रूप से इस अन्वय की सूचना मिलती है, वह विभक्ति है। दूसरे शब्दों में, विभक्ति कारक बोध कराने वाला प्रत्यय है। विभक्ति वह रूप है जो शब्द या पद का अंश है। यह अर्थ का प्रकाशक है, अर्थ नहीं है। इसलिए कारक और विभक्ति एक नहीं, अलग अवधारणा है। कारक वाच्य है तो विभक्ति वाचक। संस्कृत में कारक छः माने गए हैं और विभक्ति सात। संस्कृत वैयाकरण षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक नहीं मानते, क्योंकि इसका संबंध क्रिया से नहीं है। अतः उसे कारक नहीं मानते। षष्ठी का अर्थ संबंध से तो है, किंतु वह सबंध कई प्रकार का है; जैसे –

- मोहन मेरा भाई है।
- यह मोहन का घर है।
- रामचरित मानस तुलसीदास का ग्रंथ है।

उपर्युक्त वाक्यों में षष्ठी से व्यक्त होने वाले संबंध अलग-अलग प्रकार के हैं। अतः वैयाकरण कहते हैं कि षष्ठी के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु संबंध क्रियान्वयी नहीं है। इसी प्रकार संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता। प्रथमा विभक्ति संबोधन के अर्थ में भी प्रयुक्त होती है। अतः उसे संबोधन प्रथमा कहते हैं। इस प्रकार सात विभक्तियां हैं और छः कारक हैं। संबंध और संबोधन कारक नहीं हैं। छः कारक हैं – कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। एक विभक्ति में कई कारक आ जाते हैं। उदाहरण के लिए –

(क) रामेण रावणः हतः। (रावण राम के द्वारा मारा गया)

(ख) रामः बाणेन रावणं हंति। (राम बाण से रावण को मारता है)

वाक्य (क) में कर्मकारक पद कर्मवाचक पद 'रावणः' में द्वितीया नहीं है, इसलिए कर्ता के अर्थ में तृतीया प्रयुक्त है। वाक्य (ख) में कर्ता के अर्थ में तृतीया नहीं है बल्कि 'बाणेन' तृतीया रूप है। यह तृतीया करण के अर्थ में है।

इस प्रकार कारक तत्व को सूचित करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि प्रतिपादकों के तुरंत बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्ति के योग से कृष्णेन, वेदस्य, मया, तेन, तस्य आदि रूप में विभक्यंत शब्द या रूप हैं। विभक्ति – के प्रत्यय जिन शब्दों के साथ लगते हैं, वे उनके अभिन्न अंग बन जाते हैं। इन विभक्ति प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है; जैसे –

संस्कृत – रामः, रामं, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य आदि।

हिन्दी – मुझे, मेरा, उसे, उन्हें, हमारा, तुम्हारा विभक्ति संस्कृत जैसी संश्लेषणात्मक भाषा में प्रयुक्त होती है, जबकि विश्लेषणात्मक भाषा में इसने परसर्ग का रूप धारण कर लिया है। ये विभक्ति प्रत्यय हिन्दी में स्वतंत्र शब्द रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसेः राम ने, राम को, राम से, राम में, राम पर, आदि। इन्हें विभक्ति प्रत्यय या विभक्ति चिह्न भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें कारक चिह्न भी कहते हैं। हाँ – सर्वनामों के कुछ रूपों में विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग मिलता है; जैसे – उसे, मुझे, उन्हें, हमारे (उसको, मुझको, उनको, हम + का)। इस प्रकार कारक और विभक्ति अलग-अलग व्याकरणिक रूप हैं।

6.9 सर्वनाम और उसके प्रकार

निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए –

1. मोहन मेरा भाई है। 2. मोहन दसवीं कक्षा में पढ़ता है।

3. मोहन अपनी कक्षा में प्रथम आता है।

उपर्युक्त एक वाक्य में तीन उपवाक्य में तीन उपकारक हैं। (1), (2) और (3) उपवाक्यों में मोहन का प्रयोग तीन बार हुआ है। मोहन शब्द का बार-बार आना अस्वाभाविक लगता है। यदि इन तीनों को निम्नलिखित रूप से लिखा जाए तो यह भाषा की प्रकृति के अनुसार होगा और स्वाभाविक भी लगेगा।

मोहन मेरा भाई है। वह दसवीं कक्षा में पढ़ता है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है।

बाद के वाक्यों में 'मोहन' के स्थान पर 'वह' पद का प्रयोग हुआ है। यहाँ संज्ञा 'मोहन' के स्थान पर जिस पद 'वह' का प्रयोग हुआ है वह सर्वनाम हैं।

अतः जिस शब्द या पद का प्रयोग सभी प्रकार के नामों अर्थात् संज्ञाओं के लिए अथवा उनके स्थान पर होता है, उसे सर्वनाम कहते हैं।

इस प्रकार भाषा में सहजता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, सुंदरता, सरलता तथा सुविधा लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। बोलने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर 'मैं', 'हम' सर्वनामों को प्रयोग होता है, जिस व्यक्ति से बात की जा रही है, उसके नाम के स्थान पर 'तू', 'तुम', 'आप' सर्वनामों का प्रयोग होता है और जिसके संबंध में बात की जा रही है, उसके नाम के स्थान पर 'यह', 'ये', 'वह', 'वे' सर्वनामों का प्रयोग होता है।

सर्वनाम के भेद : सर्वनाम के छह भेद होते हैं –

- पुरुषवाचक सर्वनाम
- निश्चयवाचक सर्वनाम
- अनिश्चयवाचक सर्वनाम
- संबंधवाचक सर्वनाम
- प्रश्नवाचक सर्वनाम
- निजतावाचक सर्वनाम

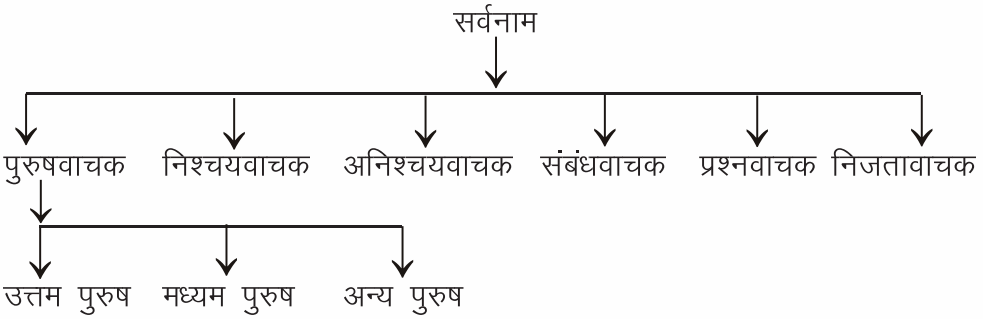

पुरुषवाचक सर्वनाम – जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे – मैं, तुम, वह।

पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं –

(क) उत्तम पुरुष – बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं; जैसे मैं, हम।

(ख) मध्यम पुरुष – जिससे बात कही जाए, वह मध्यम पुरुष है; जैसे – तू, तुम, आप।

(ग) अन्य पुरुष – जिसके संबंध में बात कही गई हो, वह अन्य पुरुष है; जैसे – वह, यह, वे, ये।

बहुवचन के लिए 'तुम', 'आप', 'वे', 'ये' का प्रयोग आदरसूचक एकवचन के रूप में होता है, इसलिए 'आप', 'वे', 'ये' के साथ 'लोग' शब्द लगा दिया जाता है। कुछ लोग 'हम' के साथ 'लोग' लगा देते हैं जो सही नहीं है; जैसे –

- तुम लोग कहाँ थे?
- आप लोग भोजन कीजिए।
- वे लोग चले गए।
- हम लोग अभी स्कूल आए हैं।

निश्चयवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है; जैसे – यह, वह, ये, वे।

यह मछली मेरी है। **वह पुस्तक अच्छी है।**

यहाँ 'यह' और 'वह' निश्चयवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं, न कि अन्य पुरुष सर्वनाम का।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे – किसी, कुछ, कोई।

किसी को बुलाओ। **घी में कुछ मिला है।**

संबंधवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे –

जो लड़का कल आया था।
वह पढ़ने में तेज़ है।
जो बोओगे, सो काटोगे।
जो तुम चाहो, वह करो।

प्रश्नवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे – कौन, क्यों, क्या, कैसे।

यहाँ कौन है? **जो मुझे नहीं जानता?** **वह यहाँ क्यों खड़ी है?**

वह क्या चाहता है? **तुम कैसे आए?**

निजवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, वह निजतावाचक सर्वनाम होता है; जैसे –

आप जैसा समझें, करें। **वह क्या आप ही हो गया?**
उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। **वह अपने-आप से बोला।**

सर्वनाम के रूपांतर (लिंग, वचन और कारक)

सर्वनाम का रूपांतर चाहे किसी भी लिंग के लिए प्रयुक्त हो, उसका रूप हमेशा एक ही होता है। इसमें लिंग-भेद के कारण रूपांतर होता है; जैसे –

वह गाता है।

वह गाती है।
तुम खाते हो।
तुम खाती हो।

वचन – संज्ञा के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं – एकवचन, बहुवचन।

पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्तिरहित बहुवचन में एकवचन के समान रहते हैं; जैसे –

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
मैं	हम	तू	तुम, आप
वह	वे	यह	ये

कारकों के चिह्नों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। आगे सर्वनाम रूपावली में देखें।

सर्वनाम रूपावली

सर्वनाम में संज्ञा की भांति लिंग, वचन, कारक होते हैं, किंतु इसमें संबोधन कारक नहीं होता। कारकों के चिह्नों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, जैसा कि इस 'सर्वनाम रूपावली' तालिका में दिखाया गया है –

सर्वनाम	वचन	कर्ता	कर्म	करण	संप्रदान	अपादान	संबंध	अधिकरण
मैं	एकवचन	मैं, मैंने	मुझको, मुझे	मुझसे	मुझको, मुझे, मेरे लिए	मुझसे	मेरा, मेरी,	मुझसे मुझपर
हम	बहुवचन	हम, हमने	हमको, हमें	हमसे	हमको हमें, हमारे लिए	हमसे	हमारा, हमारी,	हममें हम पर
तू	एकवचन	तू, तूने	तुझको, तुझे	तुझसे	तुझको, तुझे	तुझसे तुमसे	तेरा, तेरी तेरे तुम्हारा	तुझ में, तुझ पर
तुम	एकवचन	तुम, तुमने	तुमको, तुम्हें	तुमसे	तुमको तुम्हें	अपने से, अपने से	तुम्हारी तुम्हारे	तुममें तुमपर
आप	बहुवचन	आप, आपने	अपने को	अपने से	अपने लिए	उससे	अपना अपनी अपने	अपने में
वह	एकवचन	वह, उसने	उसको, उसे	उससे	उसको उसे,	इससे	उसका उसकी उसके	उसमें उसपर
यह	एकवचन	यह, इसने	इसको, इसे	इससे	उसके लिए इसको	उनसे	इसका इसकी इसके	इसमें इस पर
वे	बहुवचन	वे, उन्होंने	उनको, उन्हें	उनसे	इसे इसके लिए	इनसे	उनका उनकी उनके	उनमें उनपर
ये	बहुवचन	ये, इन्होंने	इनको, इन्हें	इनसे	उनको उन्हें उनके लिए इनके उन्हें इनके लिए		इनका इनकी इनके	इनमें इनपर

6.10 विशेषण और उसके प्रकार

विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है और उसके प्रयोग से संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है; जैसे – सफेद घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है, जो सफ़ेद है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।

विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, जो हर स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है।

विशेषण के भेद

प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के चार भेद माने गए हैं –

1. गुणवाचक विशेषण
2. संख्यावाचक विशेषण
3. परिमाणवाचक विशेषण
4. सार्वनामिक विशेषण (संकेतवाचक)

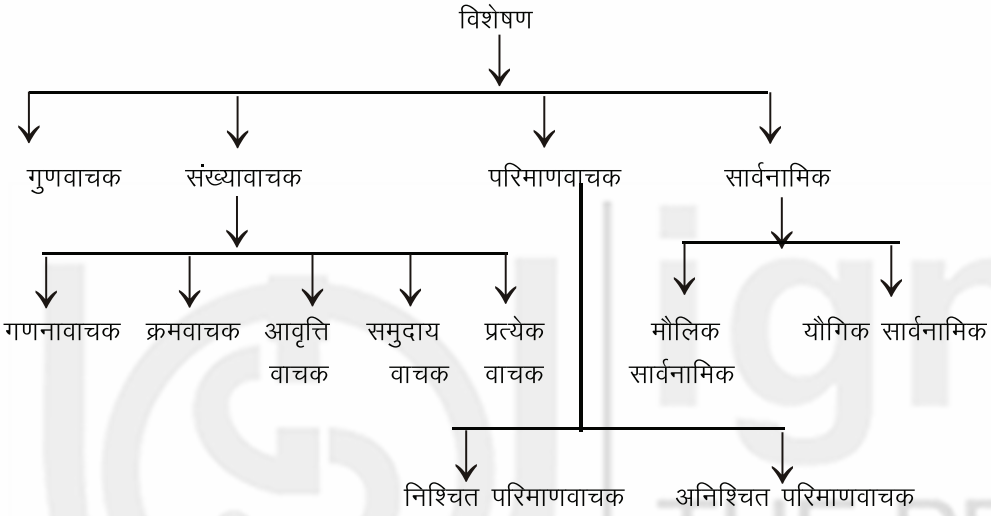

गुण, संख्या और परिमाण के आधार पर विशेषण पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है –

गुणवाचक विशेषण – जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे –

अच्छा, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट।

लाल, पीला, सफ़ेद, काला, आसमानी, धानी।

सुंदर, कुरूप, ऊँचा, नीचा।

भीतरी, बाहरी, ऊपरी, निचला।

लंबा, चौड़ा, गोल, टेढ़ा, तिकोना, दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताजा।

संख्यावाचक विशेषण – जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे – तीन लड़के, चतुर्थ वर्ग, दस गुने लोग।

संख्यावाचक विशेषण के पाँच प्रकार हैं, जैसे कि :

- **गणनावाचक** – यह वस्तुओं की गणना बतलाता है; जैसे – सात केले, बीस कुर्सियाँ।
- **क्रमवाचक** – यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है; जैसे – पहला लड़का, पाँचवीं लड़की, तृतीय श्रेणी।

- **आवृत्तिवाचक** – यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे – चौगुना धन, सौगुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी।
- **समुदायवाचक** – यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है; जैसे – तीनों लड़के, सातों घर, दोनों भाई, चारों बहनें।
- **प्रत्येकवाचक** – यह अनेक वस्तुओं में से हरेक का बोध कराता है; जैसे – प्रत्येक व्यक्ति, हरेक नेता, एक-एक अपराधी।

परिमाणवाचक विशेषण – जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण (माप-तौल) का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे–थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल।

परिमाणवाचक के दो भेद हैं –

- **निश्चित परिमाणवाचक** – यह वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध नहीं कराता है; जैसे – थोड़ा दूध, इतना पानी, अधिक चीनी।
- **सार्वनामिक विशेषण** – जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भाँति प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं; जैसे –

i) **यह** लड़का हमारे कॉलेज का है। ii) **वह** आदमी मेरा दोस्त है।

iii) मुझे **कुछ** दवाइयाँ चाहिए। iv) **कोई** बच्चा सो रहा है।

यह, वह, कुछ, कोई, सर्वनाम, क्रमशः 'लड़का', 'आदमी', 'दवाइयाँ', 'बच्चा' की विशेषता बताते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हुए।

सर्वनामों के संबंधकारकीय रूप भी विशेषण होते हैं; जैसे – मेरा घर, हमारी पुस्तकें, तुम्हारी माता जी, उसका नाम, किसकी पेंसिल।

सर्वनामों से निर्मित विशेषण – मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने पर जो यौगिक सर्वनाम बनते हैं, उनसे भी सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। जैसे – 'यह' से 'ऐसा', 'इतना', 'क्या' से 'कैसा', 'वह' से 'वैसा' और 'उतना' तथा 'जो' से 'जैसा', 'जितना'।

निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर

निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में सूक्ष्म अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराता है जबकि सार्वनामिक विश्लेषण से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का द्योतन होता है; जैसे –

क) i) यह मोहन की पुस्तक है।

ii) वह शीला का घर है।

ख) i) यह पुस्तक मोहन की है।

ii) वह घर शीला का है।

उपर्युक्त (क) के अंतर्गत वाक्य (i) और (ii) में 'यह' और 'वह' क्रमशः 'मोहन की पुस्तक' और 'शीला का घर' की निश्चितता का बोध कराते हैं। इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। (ख) के अंतर्गत वाक्य (i) और (ii) में 'यह पुस्तक' और 'वह घर' में 'यह' पुस्तक की और 'वह' घर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हैं।

6.10.1 प्रविशेषण

विशेषण के जो विशेषण होते हैं; वे प्रविशेषण कहलाते हैं। हिन्दी में प्रायः प्रविशेषण मिलते हैं; जैसे – रमेश **काफी** तेज़ छात्र है।

यहाँ 'तेज' विशेषण है और उसका विशेषण 'काफी' हैं इसलिए 'काफी' प्रविशेषण है।

मंजु **अत्यंत** सुंदर लड़की है। (यहाँ 'अत्यंत' प्रविशेषण है।)

कश्मीरी सेब **सिंदूरी** लाल होता है। (यहाँ 'सिंदूरी' प्रविशेषण है।)

विशेषण रूपांतरण

संज्ञा के साथ 'सा', 'नामक', 'संबंधी', 'रूपी' आदि शब्दों शब्दों को जोड़कर भी विशेषण बनते हैं।

उदाहरण के लिए – फूल-सा शरीर, अर्जुन-नामक पुत्र, गृह-संबंधी मामला, मोह-रूपी अंधकार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। उदाहरण के लिए –

संज्ञा से – पेटू (पेट), लोभी (लोभ), पहाड़ी (पहाड़), क्रोधी (क्रोध) आदि।

सर्वनाम से – इतना, कितना, आप वाली, आदि।

क्रिया से – चलती गाड़ी (चलना), खाया मुँह (खाना), पढ़ता सुग्गा (पढ़ना) आदि।

अव्यय से – बाहरी व्यक्ति (बाहर), भीतरी बातें (भीतर) आदि।

सर्वनाम की तरह भी विशेषण का प्रयोग होता है।

उदाहरण के लिए – एक-दूसरे से प्रेम रखो।

दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।

यहाँ तो एक आता है, एक जाता है।

6.10.2 विशेषण और विशेष्य में संबंध

वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है – विशेष्य विशेषण, विधेय (पूरक) विशेषण।

विशेष्य विशेषण – विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे –

- काला घोड़ा दौड़ रहा है। (यहाँ काला विशेष्य विशेषण है)
- मनीष चंचल लड़का है। (यहाँ चंचल विशेष्य विशेषण है।)
- गुड्डी सुशील छात्रा है। (यहाँ गुड्डी विशेष्य विशेषण है।)

विधेय विशेषण – विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण अथवा पूरक विशेषण कहते हैं; जैसे –

- मेरा कुत्ता काला है। (यहाँ काला विधेय विशेषण है)
- मेरा स्कूटर नया है। (यहाँ नया विधेय विशेषण है)
- मेरी गाय सीधी है। (यहाँ सीधी विधेय विशेषण है)

यहाँ पर ध्यान देने योग्य अन्य बातें निम्नांकित हैं –

विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य (विशेष्य संज्ञा भी होती है) के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आएँ या बाद में, जैसे –

अच्छे छात्र पढ़ते हैं। बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है।

शालू भली लड़की है।

यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार होंगे; जैसे –

अच्छी कलम और कागज। लंबे पुरुष और नारियाँ।

पीला कुर्ता और धोती।

विशेष्य : इस प्रकार विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है।

उदाहरण के लिए – काला घोड़ा दौड़ा।

इस वाक्य में काला विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष्य है।

विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेषण, विशेष्य के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय (क्रिया) के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेष्य-विशेषण कहते हैं और दूसरी स्थिति का विशेषण विधेय-विशेषण या पूरक-विशेषण कहलाता है।

उदाहरण के लिए – सूनी जगह में भय लगता ही है।

इस वाक्य में 'जगह' विशेष्य है और उसका विशेषण, 'सूनी' उसके पहले होने के कारण विशेष्य-विशेषण है और 'यह जगह सूनी जान पड़ती है' वाक्य में विशेष्य जगह के बाद विशेषण सूनी क्रिया के साथ विधेय-विशेषण हुआ।

विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए : ठंडी-ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है।

बहुत्व के अर्थ में विशेष्य और विशेषण में किसी एक को ही बहुत्वबोधक रखना शुद्ध है। जैसे – बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण।

बोध प्रश्न 1

क) निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए :

1. कोशीय शब्द और व्याकरणिक शब्द में अंतर उदाहरण सहित बताइए।

   .....

   .....

   .....

2. जातिवाचक संज्ञा के कौन-से दो प्रकार हैं। उदाहरण सहित समझाइए।

   .....

   .....

   .....

3. व्याकरण में लिंग-परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित विवेचन कीजिए।

   .....

   .....

   .....

4. कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

   .....

   .....

   .....

5. कारक और विभक्ति में अंतर बताइए।

.....

.....

.....

6. अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

7. प्रविशेषण से क्या अभिप्राय है? समझाइए।

.....

.....

.....

8. विशेषण और विशेष्य के संबंध को उदाहरण सहित समझाइए।

.....

.....

.....

6.11 क्रिया और उसके प्रकार

जिस शब्द से किसी काम को करने अथवा होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। वास्तव में क्रिया शब्द का अर्थ है काम। वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए –

1. रश्मि दौड़ी। 2. शीला चेन्नै जाएगी। 3. रमा खेल रही है।

यहाँ 'दौड़ी, जाएगी, खेल रही है' से किसी काम के होने अथवा करने का बोध होता है; अतः ये शब्द क्रिया रूप हैं।

क्रिया के भेद

क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है – अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया

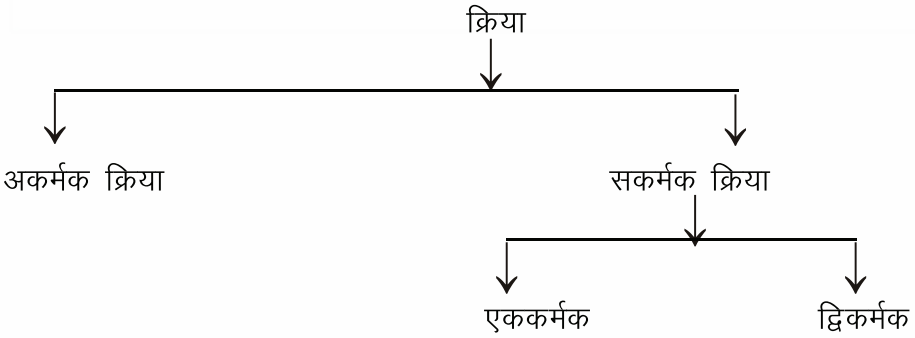

अकर्मक क्रिया – जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे – नम्रता घर गई। यहाँ 'गई' क्रिया के व्यापार का फल 'नम्रता' कर्ता पर पड़ता है; अतः 'गई' क्रिया अकर्मक है।

सकर्मक क्रिया – क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, शरद आम खा रहा है। यहाँ 'खा रहा है' क्रिया के व्यापार का फल

आम पर पड़ रहा है, अतः 'खा रहा है' क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका यह है कि क्रिया से 'क्या' अथवा 'कौन' के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी; जैसे – शरद क्या खा रहा है? उत्तर – आम।

इस प्रकार कर्म वाली क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है।

सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है –

(क) **एककर्मक क्रिया** – एक कर्म वाली क्रिया एककर्मक कहलाती है। उदाहरण के लिए; मोहन किताब पढ़ रहा है। यहाँ 'किताब' एककर्मक है। 'पढ़ना' सकर्मक क्रिया है।

(ख) **द्विकर्मक क्रिया** – कुछ सकर्मक क्रियाएँ दो कर्म वाली होती हैं, इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इनमें एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा कर्म गौण। उदाहरण के लिए – श्वेता ने श्रेया को पुस्तक दी। यहाँ 'दी' सकर्मक क्रिया के दो कर्म 'श्रेया' और 'पुस्तक' हैं। इस प्रकार 'दी' द्विकर्मक क्रिया है। इसमें पुस्तक मुख्य कर्म है और श्रेया गौण कर्म। इसी प्रकार लेना, खरीदना, बेचना द्विकर्मक क्रियाएँ हैं।

कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों भूमिकाएँ निभाती हैं; जैसे –

(क) पुस्तक के लिए साक्षी का जी ललचाता है। यहाँ 'ललचाता' अकर्मक क्रिया है।

(ख) शिकारी वंशी बजाकर हिरन को ललचाता है। यहाँ 'ललचाता' सकर्मक क्रिया है और कर्म हिरन है।

प्रेरणार्थक क्रिया

जिस क्रिया से बनने वाली क्रिया मुख्य कर्ता द्वारा स्वयं न होकर किसी दूसरे की प्रेरणा से संपन्न होती है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया के आगे 'आ' या 'वा' प्रत्यय लगाकर कार्य संपन्न किया जाता है; जैसे –

क्रिया	प्रेरणार्थक क्रिया	क्रिया	प्रेरणार्थक क्रिया
करना	कराना, करवाना	खाना	खिलाना, खिलवाना
कटना	कटाना, कटवाना	चलना	चलाना, चलवाना
लजाना	लजाना, लजवाना	देना	दिलाना, दिलवाना
लिखना	लिखाना, लिखवाना	सोना	सुलाना, सुलवाना

प्रेरणार्थक क्रिया के मुख्यतः दो रूप हैं –

अकर्मक क्रिया प्रत्यक्ष प्रथम प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है; जैसे –

अकर्मक क्रिया	प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया अथवा सकर्मक
उड़ना	उड़ाना
दौड़ना	दौड़ाना
रोना	रुलाना
पढ़ना	पढ़ाना
सोना	सुलाना
हँसना	हँसाना

प्रेरणार्थक क्रियाएँ सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है; जैसे –

सकर्मक क्रिया	प्रत्यक्ष या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया	अप्रत्यक्ष या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया
उड़ना	उड़ाना	उड़वाना
काटना	कटाना	कटवाना
दौड़ना	दौड़ाना	दौड़वाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना
सोना	सुलाना	सुलवाना
हँसना	हँसाना	हँसवाना

उदाहरण :

- माँ बच्चे को दूध पिलाती है। (प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया)
- माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। (अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया)

यौगिक क्रिया

दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के योग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है, वह यौगिक क्रिया कहलाती है; जैसे –

- चलना – चलाना, रोना – धोना, उठना – बैठना
- रो पड़ना, चल देना, खा लेना, उठ जाना।

नामिक क्रिया

नामिक क्रिया में एक अंश संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा क्रिया जिसे क्रिया कर (verbalizer) भी कहते हैं। यह क्रिया अपने पूर्ववर्ती शब्द से मिलकर नामिक क्रिया का निर्माण करती है, जैसे – स्वीकार करना, याद होना, अच्छा लगना, क्षमा करना, पसंद करना।

नामधातु – जो धातु संज्ञा या विशेषण के आगे 'ना' प्रत्यय लगाने से बनती है, उसे नामधातु कहते हैं; जैसे –

संज्ञा	–	नामधातु	विशेषण	–	नामधातु
हाथ	–	हथियाना	गरम	–	गरमाना
बात	–	बतियाना	दुबला	–	दुबलाना
लात	–	लतियाना	पागल	–	पगलाना

6.11.1 क्रियार्थक संज्ञा

कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है। विधि और काल के रूप को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे – टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। यहाँ 'टहलना' भाववाचक संज्ञा है।

क्रिया के कार्य

किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध कराना; जैसे –

गाय घास चर रही है। हिमांशु किताब पढ़ रहा है। पारुल गीत गा रही है।

किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की क्रियाशीलता का बोध कराना; जैसे –

भैंस चरती है। लड़के खेलते हैं। गेंद लुढ़कती है।

स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराना; जैसे –

नीतू पढ़ती है। महेंद्र खड़ा है। वह सो रहा है।

अस्तित्व का बोध कराना; जैसे –

मनुष्य समाज में रहता है। चीता जंगल में रहता है। मछली जल में रहती है।

मनःस्थिति का बोध कराना; जैसे –

लड़के प्रसन्न हो रहे थे। छात्र पढ़ रहे थे। छोटू रो रहा है।

6.11.2 पूरक

कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाएँ ऐसी होती हैं, जो कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए भी पूरा अर्थ प्रकट नहीं करतीं। इस स्थिति में वाक्य में क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं, उन्हें पूरक कहते हैं। उदाहरण के लिए; उन्होंने उसे डॉक्टर बनाया।

इस वाक्य में 'उन्होंने' कर्ता और 'बनाया' क्रिया के होते हुए भी वाक्य पूरा नहीं होता। इसलिए उसे पूरा करने के लिए 'डॉक्टर' शब्द जोड़ना पड़ा है। अतः 'डॉक्टर' शब्द पूरक है।

6.11.3 व्युत्पति के अनुसार क्रिया–भेद

क्रिया के तीन भेद होते हैं –

मूल क्रिया – जो क्रिया दूसरे शब्द से न बनी हो, उसे मूल क्रिया कहते हैं; जैसे – आना, जाना, खाना, पीना आदि। 'हूँ', 'हैं', 'था', 'थी', 'थीं', 'थे' भी मूल क्रिया के ही उदाहरण हैं।

संयुक्त क्रिया – मुख्य क्रिया के बाद दूसरी क्रिया मिलकर जो क्रिया बनती है, वह संयुक्त क्रिया है। इसमें पहली मुख्य क्रिया और दूसरी रंजक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में रंजक क्रिया मुख्य क्रिया पर अपना रंग चढ़ा देती है। ये रंग अतिशयताबोधक, पूर्णता बोधक, आकस्मिकता बोधक, आरंभ बोधक आदि होते है। हिंदी में मुख्य रंजक क्रिया हैं – आना, जाना, लेना, उठना, बैठना, लगना। उदाहरण के लिए,

- मुझे भूख लग आई। (आरंभ बोधक)
- उसने खाना खा लिया है। (पूर्णता बोधक)
- वह सो गया है। (पूर्णताबोधक)
- मरीज़ चिल्ला उठा। (आकस्मिकता बोधक)
- बच्चा विद्यालय जाने लगा है। (आरंभ बोधक)

(क) संज्ञा अथवा विशेषण के आगे 'ना' प्रत्यय लगाकर – धिक्कार – धिक्कारना, पुचकार – पुचकारना, खरीद – खरीदना। इसे नामधातु क्रिया भी कहते हैं।

पूर्वकालिक क्रिया – जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और जो लिंग, वचन, पुरुष से प्रयुक्त न हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए; सुकन्या पढ़कर सोती है। यहाँ पढ़ने का कार्य सोने के पूर्व हो चुका है; अतः 'पढ़कर' पूर्वकालिक क्रिया है।

6.11.4 क्रिया की अवस्था

क्रिया की अवस्था क्रिया के व्यापार को प्रकट करने का एक भाव है, जिसमें वक्ता के प्रयोजन या मनोवृत्ति की ओर संकेत होता है। इसे क्रियार्थ, क्रियाभाव या वृत्ति भी कह सकते हैं। प्रत्येक काल में क्रिया की तीन अवस्थाएँ होती हैं –

सामान्य अवस्था – जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध हो तथा किसी विधान का निश्चय ज्ञात हो, उसे सामान्य अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए; रमेश आया। रमा खेल रही है।

यहाँ 'आया', 'खेल रही है' क्रिया से आने और खेलने के विधान का निश्चय होता है; अतः यहाँ क्रिया की सामान्य अवस्था है।

विधि अवस्था – जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो, उसे विधि अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए – (क) तुम खाओ। (ख) आप मुझे सौ रुपए दीजिए। (ग) क्या मैं अंदर आऊँ।

यह अवस्था दो प्रकार की होती है –

प्रत्यक्ष विधि – इस विधि से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का वर्तमान काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है; जैसे –

अभी कॉलेज जाओ। हम यहाँ खेलें? हे प्रभु! उसकी रक्षा करो।

परोक्ष विधि – इस विधि से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भविष्यत् काल में कार्यान्वित होना ज्ञात होता है; जैसे –

तुम कल कॉलेज जाना। क्या तुम मैदान में खेलोगे? आप मुझे पुस्तक दीजिएगा।

संभाव्य अवस्था – जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध होता है, उसे सामान्य अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे –

शायद वह कोलकाता में मिल जाए। वह घर पर होगा या नहीं।

मैं परीक्षा में शायद उत्तीर्ण हो जाऊँ।

6.12 अव्यय (अविकारी शब्द) और उसके प्रकार

जिन शब्दों के रूप सदा एक-से बने रहते हैं, अर्थात् जिनमें लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। वस्तुतः हर स्थिति में अव्यय का रूप वैसे का-वैसे बना रहता है।

उदाहरण के लिए; गोविंद तेज़ दौड़ता है। शीला तेज़ दौड़ती है। तुम तेज़ दौड़ते हो।

इसमें 'तेज' शब्द तीनों अवस्थाओं में एक समान है; अतः अव्यय है।

अव्यय के भेद – क्रिया-विशेषण अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय।

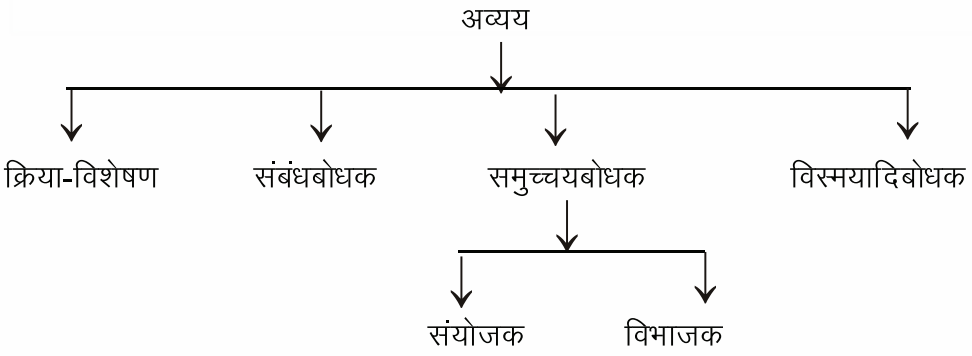

6.12.1 क्रिया–विशेषण अव्यय

अव्ययों अथवा अविकारी शब्दों में क्रिया-विशेषण अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया-विशेषण का अर्थ ही है क्रिया की विशेषता बताने वाला।

उदाहरण के लिए – घोड़ा तेज़ दौड़ता है। तुम दूर मत जाना।

क्रिया-विशेषण क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक से संबंध रखने वाली विशेषताएँ नहीं बतलाता, बल्कि वह क्रिया के समय, स्थान, प्रयोजन, कारण, विधि और परिणाम संबंधी विशेषताएँ प्रकट करता है।

परिभाषा – जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, उसे क्रिया-विशेषण कहते हैं।

उदाहरण के लिए – अधिक मत बोलो। कम खाओ।

ऊपर के वाक्यों में अधिक और कम क्रिया-विशेषण हैं, जो बोलना और खाना क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं।

क्रिया-विशेषण के कार्य –

1. यह क्रिया की विशेषता बतलाता है।
2. क्रिया के होने का ढंग बतलाता है।
3. क्रिया के होने की निश्चितता तथा अनिश्चितता का बोध कराता है।
4. क्रिया के घटित होने की स्थिति आदि बतलाता है।
5. क्रिया के होने में निषेध तथा स्वीकृति का बोध कराता है।

संयुक्त क्रिया-विशेषण – संज्ञाओं, क्रिया-विशेषणों एवं अनुकरणमूलक शब्दों की पुनरुक्ति; संज्ञाओं के और भिन्न क्रिया-विशेषणों के मेल से, अव्यय के प्रयोग से तथा क्रिया-विशेषणों की पुनरुक्ति के बीच 'न' आने से बने क्रिया-विशेषण को संयुक्त क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे –

वह घर-घर गया। उसने दिन-रात मेहनत की। तुम जहाँ-तहाँ मत जाओ। वह कहीं-न-कहीं गया होगा।

क्रिया-विशेषण के भेद – क्रिया-विशेषण के भेद मुख्यतः तीन आधारों पर होते हैं, जो निम्नांकित हैं –

1. **अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद।**
2. **प्रयोग की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद।**
3. **रूप की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद।**

6.12.2 अर्थ की दृष्टि से क्रिया–विशेषण के भेद

अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के चार भेद हैं – स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक।

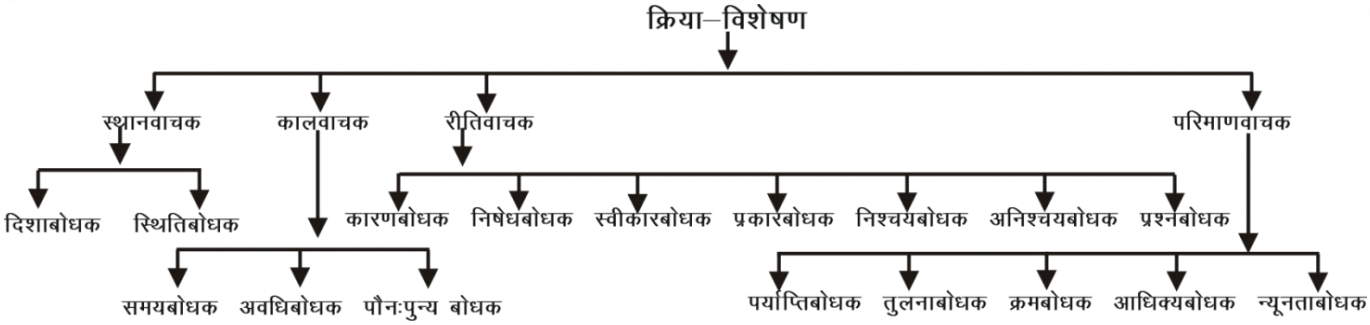

क) स्थानवाचक – इससे स्थिति और दशा का बोध होता है। इसके दो उपभेद हैं –

- दिशाबोधक – दाहिने, बाएँ आर-पार, हर तरफ, किधर, जिधर, इधर, उधर, दूर आदि।
- स्थितिबोधक – सर्वत्र, पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, यहाँ, जहाँ, तहाँ आदि।

ख) कालवाचक – इससे समय का बोध होता है। इसके तीन उपभेद हैं –

- समयबोधक – आज, कल, परसों, नरसों, कब, तब, जब, अब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी, तभी, फिर आदि।
- अवधिबोधक – अब तक, कभी-न-कभी, दिनभर, सतत्, आजकल, नित्य, सर्वदा, लगातार आदि।
- पौनःपुन्य बोधक – बार-बार, प्रतिदिन, हर-रोज, निरंतर, लगातार, बहुधा, कई बार, हर-घड़ी।

ग) रीतिवाचक – इससे रीति का बोध होता है। इसके सात उपभेद हैं –

- कारणबोधक – इसलिए, अतएव, क्यों करके आदि।
- निषेधबोधक – नहीं, मत, न आदि।
- स्वीकारबोधक – हां, ठीक, अच्छा, जी, अवश्य, तो ही आदि।
- प्रकारबोधक – अचानक, यों, योंही, अनायास, सहसा, धीरे, सहज, साक्षात, ध्यानपूर्वक, संदेह, जैसे, तैसे, मानो, परस्पर, मन से, हौले आदि।
- निश्चयबोधक – यथार्थतः, वस्तुतः, निःसंदेह, बेशक, अवश्य, अलबत्ता, जरूर, सचमुच, मुख्य, आदि।
- अनिश्चयबोधक – यथासंभव, कदाचित, शायद, यथासाध्य आदि।
- प्रश्नबोधक – कहाँ, क्यों, कब, क्या आदि।

घ) परिमाणवाचक – इससे परिमाण का बोध होता है। इसके पाँच उपभेद हैं –

पर्याप्तिबोधक – इससे परिमाण का बोध होता है।

तुलनाबोधक – और, अधिक, कम, कितना, जितना, इतना आदि।

क्रमबोधक – क्रम-क्रम से, यथा-क्रम, थोड़ा, तिल-तिल, एक-एक करके आदि।

आधिक्यबोधक – खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, अत्यंत, अति, निरा, निपट, सर्वथा, पूर्णतया आदि।

न्यूनताबोधक – किंचित, जरा, थोड़ा, कुछ, लगभग, अनुमानतः, प्रायः आदि।

6.12.3 प्रयोग की दृष्टि से क्रिया–विशेषण के भेद

प्रयोग की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के तीन भेद हैं –

1. साधारण क्रिया-विशेषण, 2. संयोजक क्रिया-विशेषण, 3. अनुबद्ध क्रिया-विशेषण।

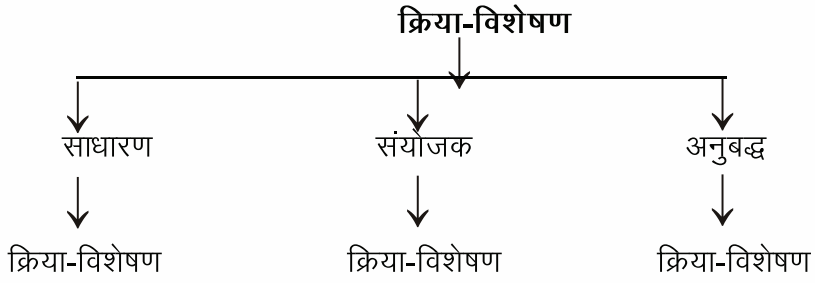

साधारण क्रिया-विशेषण – वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त, होने वाले क्रिया-विशेषण को साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे – वहाँ, कब, जल्दी।

संयोजक क्रिया-विशेषण – उपवाक्य से संबंधित क्रिया-विशेषण को संयोजक क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे – जहाँ आप पढ़ेंगे, वहाँ मैं भी पढूँगा, (जहाँ-वहाँ)

अनुबद्ध क्रिया-विशेषण – किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले क्रिया-विशेषण को, अनुबद्ध क्रिया-विशेषण कहते हैं। जैसे – तो, भी, भर।

रूप की दृष्टि से क्रिया-विशेषण

रूप की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के तीन भेद हैं –

1. मूल क्रिया-विशेषण, 2. यौगिक क्रिया-विशेषण, 3. स्थानीय क्रिया-विशेषण।

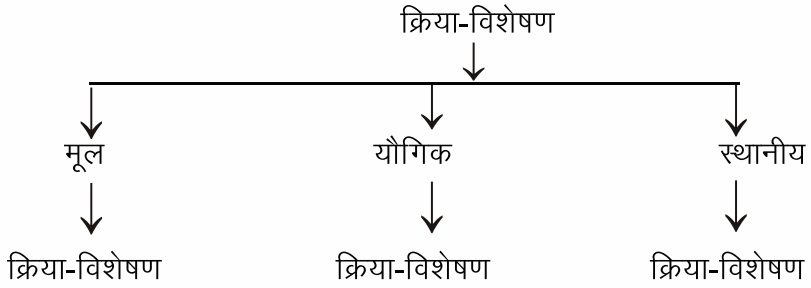

मूल क्रिया-विशेषण – बिना किसी अन्य के मेल में आए स्वतंत्र रूप वाले क्रिया-विशेषण को मूल क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे – नहीं, दूर, फिर, ठीक, अचानक।

यौगिक क्रिया-विशेषण – शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने क्रिया-विशेषण को यौगिक क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे – दिल से, यहाँ पर, वहाँ पर, मन से।

स्थानीय क्रिया-विशेषण – ऐसे क्रिया-विशेषण, जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं, स्थानीय क्रिया-विशेषण कहलाते हैं; जैसे – राक्षस मुझे क्या खाएंगे? चोर पकड़ा हुआ आया। लड़का उठकर भागा।

6.13 संबंधबोधक अव्यय

वे अव्यय, जिससे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है, संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं।

उदाहरण के लिए; अनुकूल, अनुसार, आसपास, आगे, ओर आदि।

संबंधबोधक अव्यय के कार्य –

1. संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाना; जैसे – रमा रात-भर जागती रही। (संबंधबोधक 'भर' संज्ञा 'रात' का संबंध इस वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है)
2. संबंधबोधक द्वारा समय, स्थान तथा तुलना का बोध कराना; जैसे –
   - गरिमा योगेश के बाद घर पहुँची। (समय का बोध)
   - विवेक मनीष की अपेक्षा तेज है। (तुलना)

संबंधबोधक अव्यय के भेद –

संबंधबोधक अव्यय के भेद मुख्यतः तीन आधारों पर होते हैं, जो निम्नांकित हैं – प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्युत्पति के आधार पर।

6.13.1 प्रयोग के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद

प्रयोग की दृष्टि से संबंधबोधक अव्यय के दो भेद हैं – संबद्ध संबंधबोधक अव्यय, अनुबद्ध संबंधबोधक अव्यय

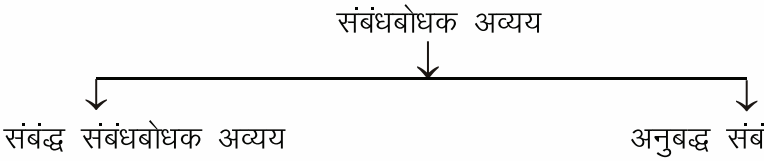

संबद्ध संबंधबोधक अव्यय – ये संज्ञाओं के परसर्गों के बाद आता है। जैसे –

'के' विभक्ति के बाद; जैसे – व्यायाम के पहले।

किताब के बिना (अव्यय 'पहले' और 'बिना')

अनुबद्ध संबंधबोधक अव्यय – ये संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद आता है; जैसे –

कई दिनों तक। प्याले-भर।

('तक' तथा 'भर' अव्यय। 'दिन' और 'प्याला' के विकृत रूप के बाद)

6.13.2 अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद

अर्थ की दृष्टि से संबंधबोधक के तेरह भेद हैं। इन भेदों के नाम और उदाहरण दिए जा रहे हैं –

कालवाचक – पूर्व, पहले, बाद, आगे, पीछे आदि।
स्थानवाचक – बाहर, भीतर, नीचे, पीछे, आदि।
सादृश्यवाचक – समान, तरह, भाँति, योग्य, जैसा आदि।
तुलनावाचक – अपेक्षा, बनिस्बत, सामने आदि।
दिशावाचक – तरफ, पार, ओर, आसपास आदि।
साधनवाचक – सहारे, द्वारा, मार्फत आदि।
हेतुवाचक – निमित्त, वास्ते, लिए, हेतु आदि।
विषयवाचक – लेखे, बाबत, भरोसे, निस्बत आदि।
व्यतिरेकवाचक – बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त आदि।
विनिमयवाचक – जगह, बदल, पलट, एवज़ आदि।
विरोधवाचक – विरुद्ध, विपरीत, उलटे, खिलाफ आदि।
सहचरवाचक – संग, सहित, साथ, समेत आदि।
संग्रहवाचक – मात्र, पर्यंत, भर, तक आदि।

6.13.3 व्युत्पति के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद

व्युत्पति की दृष्टि से संबंधबोधक अव्यय के दो भेद – मूल संबंधबोधक, यौगिक संबंधबोधक।

मूल संबंधबोधक – बिना, पर्यंत, पूर्वक आदि।

यौगिक संबंधबोधक –

संज्ञा से – अपेक्षा, पलटे, लेखे, मारफत आदि।

विशेषण से – समान, योग्य, ऐसा, उलटा, तुल्य आदि।

क्रिया से – लिए, मारे, चलते, कर, जाने आदि।

क्रिया-विशेषण से – पीछे, परे, पास आदि।

6.14 समुच्चयबोधक अव्यय

दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले अव्यय को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं।

उदाहरण के लिए – हंस पक्षी दूध और पानी को अलग कर देता है। इसमें और शब्द समुच्चयबोधक है, क्योंकि यह दूध और पानी शब्दों को जोड़ रहा है।

समुच्चयबोधक अव्यय के कार्यः

1. दो पदों अथवा सरल वाक्यों को जोड़ना।

2. दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों में से किसी एक को ग्रहण करना अथवा त्यागना अथवा सबको त्यागना।

3. अगला वाक्य पिछले का अर्थ परिणाम है अथवा पिछला अगले का।

समुच्चयबोधक अव्यय के भेद

संयोजक – जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते है; जैसे – संतोष, हरीश और सोहन। और, तथा, एवं आदि संयोजक हैं।

विभाजक – जो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ते हुए भी उनके अर्थों को एक-दूसरे से अलग करते हैंः जैसे – ईश अथवा ईशा उत्तर दें।

अथवा, या, वा, पर, परंतु, लेकिन, वरन्, बल्कि, नहीं, चाहे आदि विभाजक हैं।

6.15 विस्मयादिबोधक अव्यय

हर्श, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं।

उदाहरण के लिए; अरे! क्या तुमने नहीं सुना? इसमें अरे विस्मय प्रकट करता है, अतः विस्मयादिबोधक अव्यय है। वाह, अरे, धिक, ओह, छिः, हाय-हाय आदि विस्मयादिबोधक अव्यय हैं।

विस्मयादिबोधक अव्यय के कार्य–

- हर्ष सूचित करना
- शोक सूचित करना
- आश्चर्य सूचित करना
- तिरस्कार एवं घृणा सूचित करना
- स्वीकार एवं संबोधन सूचित करना।

विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद – इसके मुख्यतः सात भेद होते हैं –

1. **हर्षबोधक** – अहा!, वाह-वाह!, बहुत खूब, शाबाश! आदि।
2. **शोकबोधक** – हाय!, ओह!, आह!, आदि।
3. **आश्चर्यबोधक** – क्या!, ऐं!, हैं!, आदि।
4. **अनुमोदनबोधक** – अच्छा!, हाँ–हाँ!, ठीक! आदि।
5. **तिरस्कारबोधक** – दुर!, छिक!, छिः!, आदि।
6. **स्वीकारबोधक** – जी!, जी हाँ!, हाँ।, आदि।
7. **संबोधनबोधक** – अरे!, रे!, अजी!, है! आदि।

6.16 निपात

निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, किंतु सामान्य रूप से इसे अव्यय का एक प्रकार माना जाता है। जो रूप किसी शब्द के बाद लगकर वाक्य में नया भाव प्रकट करने में सहायता करता है, वह निपात कहलाता है; जैसे – ही, भी, भर, तक, तो, केवल, मात्र।

निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह अथवा पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। इसके अलावा निपात, सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं हैं। हाँ, वाक्य में इसके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। निपात का कोई लिंग, वचन नहीं होता। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं –

मोहन ने ही सोहन को पीटा था। शीला ने भी गुलाबजामुन खाया था।
मैं उसे जानता भर हूँ। उसने पत्र तक नहीं लिखा।
यह तो आप पर निर्भर है। इसमें मात्र तीन लोग हैं।
उसने केवल दो केले खाए।

कुछ निपातों में यह विशेषता है कि ये अलग-अलग पद के साथ विभिन्न अनुक्रमों में आने पर अलग-अलग भाव प्रकट करते हैं; जैसे –

1.मोहन ने भी मुझे बुलाया है। 2.मोहन ने मुझे भी बुलाया है। 3.मोहन ने तुम्हें बुलाया भी है।

उपर्युक्त तीनों वाक्यों में अलग-अलग भाव प्रकट होते हैं। वाक्य (1) में मोहन के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, का भाव प्रकट होता है। वाक्य (2) में मोहन ने अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ मुझे बुलाया है। वाक्य (3) में मोहन ने तुम्हें बुलाया है या स्वयं जा रहे हों।

निपात संबंधी अशुद्धियाँ

कई बार निपातों का अनावश्यक प्रयोग होता है अथवा दो-दो निपातों का प्रयोग एक साथ होता है, जो अशुद्ध है। इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं –

अशुद्ध – शब्द केवल संकेत मात्र हैं।

शुद्ध – शब्द केवल संकेत हैं।

अशुद्ध – यह तो केवल आप पर ही निर्भर है।

शुद्ध – (क) यह तो केवल आप पर निर्भर है।
(ख) यह तो आप पर ही निर्भर है।

अशुद्ध – इसके बावजूद भी वह नहीं आया।

शुद्ध – इसके बावजूद वह नहीं आया।

बोध प्रश्न 2

क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

2. प्रेरणार्थक क्रिया से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित समझाइए।

.....

.....

.....

3. क्रियार्थक संज्ञा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित विवेचन कीजिए।

.....

.....

.....

4. निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया बताइए।

(क) रमेश गर्म चाय पीता है।.....

(ख) मोहन रोज दो घंटे सोता है।.....

(ग) शीला ने घर **आकर** भोजन किया।.....

(घ) यह अफवाह सारे शहर में **फैल गई**।.....

5. अर्थ की दृष्टि से क्रिया-विशेषण के भेद उदाहरण सहित बताइए।

.....

.....

.....

.....

6. अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के भेद उदाहरण सहित बताइए।

.....

.....

.....

.....

7. समुच्चयबोधक अव्यय से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित समझाइए।

.....

.....

.....

8. निपात का अर्थ क्या है? इसे स्पष्ट करते हुए निपात संबंधी अशुद्धियों के दो उदाहरण भी दीजिए।

.....

.....

.....

6.17 सारांश

भाषा में व्याकरणिक इकाइयाँ भाषा के विश्लेषण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया-विशेषण और क्रिया के विभिन्न पक्षों का जो विवेचन परंपरागत और आधुनिक व्याकरण की प्रविधियों के अनुसार हुआ है उसमें लिंग, वचन के साथ संज्ञा और सर्वनाम के कारकीय रूपों, कारक और विभक्ति में अंतर बतलाया गया है। विशेषण के प्रकारों का विवेचन करते हुए उसके प्रविशेषण की चर्चा हुई है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा आदि अनेक प्रकार है जो भाषा की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अविकारी शब्द अव्यय का विवेचन करते हुए उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। क्रिया-विशेषण के अर्थ की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से अनेक भेद हैं। संबंधबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय और निपात अपनी अलग सत्ता रखते हैं और ये भाषा की संरचना को व्यवस्थित रूप में देने में सहायक होते हैं।

इकाई 7 हिंदी वाक्य रचना

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 वाक्य की अवधारणा और वाक्य-विन्यास

7.3 अन्विति

7.3.1 कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का अन्वय

7.3.2 संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय

7.3.3 संबंध और संबंधी का अन्वय

7.3.4 विशेषण और विशेष्य का अन्वय

7.4 पदक्रम

7.5 वाक्य के घटक

7.6 आधारभूत वाक्य साँचे

7.7 वाक्य के भेद : रचना के आधार पर

7.7.1 सरल (या साधारण) वाक्य

7.7.2 संयुक्त (या यौगिक) वाक्य

7.7.3 मिश्र (या जटिल) वाक्य

7.8 वाक्य के भेद : अर्थ के आधार पर

7.9 उपवाक्य

7.10 वाक्य रूपांतरण

7.11 सारांश

7.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- वाक्य की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
- अन्विति की जानकारी दे सकेंगे।
- वाक्य के घटक के बारे में बता सकेंगे।
- आधारभूत वाक्य साँचों की जानकारी दे सकेंगे।
- वाक्य के भेदों के बारे में समझ सकेंगे।
- उपवाक्य और पदबंध में अंतर बता सकेंगे।
- वाक्य रूपांतरण की विधि के बारे में जान सकेंगे।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

7.1 प्रस्तावना

भारतीय और पाश्चात्य परंपरा में वाक्य की कई प्रकार की परिभाषाएँ मिलती हैं। पाणिनि सूत्रीय परिभाषा के अंतर्गत एक तिङ् रूप में क्रिया को एक वाक्य मानते हैं तो पातंजलि उस क्रिया को वाक्य कहते हैं जिसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण आ सकें। नागेश भट्ट ने ऐसे पदसमूह को वाक्य कहा है जो पूर्ण अर्थ का वाचक होता है, तो भर्तृहरि ने वाक्य के केंद्र में क्रिया के होने की बात कही है जिसे सुनने पर कुछ और जानने की आकांक्षा नहीं रहती। वह अपने में पूर्ण होता है। पश्चिम में ब्लूमफील्ड ऐसी रचना को वाक्य मानते हैं जो किसी उक्ति में अपने से बड़ी रचना का अंग न हो। येस्पर्सन कहते हैं कि वाक्य व्याकरणिक और अर्थ की दृष्टि से अपेक्षाकृत पूर्ण होता है और स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है। नोअम चॉम्स्की ने मनोभाषिक परिभाषा देते हुए मानव मस्तिष्क में अवस्थित किसी अमूर्त संकल्पना के व्यक्त रूप को वाक्य कहा है। इस प्रकार वाक्य पर काफी कार्य हुआ है। वाक्य की अन्विति में जहाँ कर्ता और कर्म के साथ क्रिया की अन्विति का विवेचन है तो संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य का भी अध्ययन है। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद और प्रभेदों का विश्लेषण हुआ है। पदबंध, उपवाक्य और वाक्य की सूक्ष्मताओं का भी विश्लेषण है।

7.2 वाक्य की अवधारणा और वाक्य–विन्यास

भाषा में वाक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण की दृष्टि से यह भाषा की महत्तम और अर्थवान इकाई है। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति वाक्य से ही संभव है। वास्तव में वाक्य परस्पर संबद्ध शब्दों के प्रयोग-सम्मत अनुक्रम का ही नाम है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है और प्रसंगानुकूल भाव का बोध कराने की क्षमता होती है। इसमें व्याकरण तथा प्रतीति की दृष्टि से कोई असंगति नहीं होती। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को बाण से मारा। यह एक अर्थयुक्त पूर्ण वाक्य है। वस्तुतः वाक्य में ध्वनियों का तो योगदान रहता ही है, किंतु इसका विवेचन मुख्यतः अर्थ के धरातल पर होता है। इस दृष्टि से वाक्य में तीन बातों अर्थात् योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति को आवश्यक माना गया है-

वाक्यंस्यात् योग्यताकांक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः।

योग्यता से अभिप्राय वाक्य के पदों में अर्थ का बोधन कराने की क्षमता तथा पदों के अन्वय से है। उदाहरण के लिए, 'आग से खेत को सींचा जाता है' वाक्य में आग से वाक्य के अर्थ में बाधा पड़ रही है। इसलिए 'जल से खेत को सींचा जाता है।' कर दिया जाए तो वाक्य सार्थक हो जाएगा। इसी प्रकार अन्वय में व्याकरणसम्मत नियमों के अनुसार पदों का विन्यास भी होता है। 'लड़का रोती है' वाक्य में लिंग विषयक योग्यता नहीं है तो 'लड़के रोता है' वाक्य में वचन संबंधी योग्यता नहीं है।

आकांक्षा का अर्थ है वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने की उत्कंठा का स्वाभाविक रूप से उठना। इससे वाक्य को ठीक-ठीक समझा जा सकता है। 'कल सवेरे की गाड़ी से हमारे मित्र संतोष और हरीश आ रहे हैं' सुनते ही आकांक्षा पूरी हो जाती है। यही पूर्ण वाक्य कहलाता है। इस वाक्य में सभी पद एक-दूसरे के अर्थ के पूरक हैं और सभी मिलकर पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराते हैं। इनमें से किसी एक को हटा देने पर अर्थ अपूर्ण रह जाता है।

आसत्ति या सन्निधि उसे कहा जाता है जिसमें वाक्य के पदों को पास-पास रखा जाए। दूसरे शब्दों में, परस्पर संबद्ध पदों में एक को कह देने के बाद दूसरे पद को तुरंत कह देना आसत्ति है। वाक्य के सभी पदों को एक साथ उच्चरित किया जाए तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, 'हरीश और सोहन' पद लिखकर 'कनॉट प्लेस जाएँगे' कुछ देर के बाद बोलेंगे तो वाक्य का अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए शब्दों को आस-

पास लिखना या एक साथ बोलना आवश्यक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 'थी राम खाई दावत ने कल' वाक्य में सभी पद सार्थक हैं लेकिन आसत्ति का क्रम सही नहीं है। अतः आसानी से अर्थबोध नहीं हो पा रहा।

उपर्युक्त विवेचन से हम देखते हैं कि वाक्य वह संरचनात्मक तथा व्यवस्थित लड़ी है जिसमें शब्द स्वाभाविक या सहज समूह के अंतर्गत आते हैं। इसका मूलभूत लक्ष्य व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध होता है। अतः इसके लिए दो बातें मुख्य रूप से रखी गईं है – अन्वय या अन्विति और (2) पदक्रम। इनसे वाक्यों में एक निश्चित व्यवस्था देखने को मिलती है।

7.3 अन्विति

अन्विति से अभिप्राय यह है कि संबद्ध शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में एकरूपता हो। हिन्दी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा के साथ सर्वनाम का, संबंध का संबंधी से और विशेष्य के साथ विशेषण का अन्वय होता है।

7.3.1 कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का अन्वय

उपर्युक्त अन्वितियों में से कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्विति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कदाचित् जटिल भी। हिन्दी में संज्ञा पद का प्रयोग दो रूपों में होता है – एक, अविकारी और दूसरा, विकारी। अविकारी रूप में परसर्ग नहीं होता जब कि विकारी में परसर्ग होता है।

हिन्दी में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया को अन्वित करते समय निम्नलिखित नियमों पर ध्यान रखना पड़ता हैः

(1) यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अविकारी हों अर्थात् कर्ता के साथ 'ने' आदि परसर्ग और कर्म के साथ 'को' आदि परसर्ग न लगा हो तो क्रिया के लिंग, वचन आदि कर्ता के अनुसार होंगे; जैसेः

(क) मोहन दूध पीता है। (ख) शीला दूध पीती है।

(ग) लड़कियाँ खाना बना रही हैं। (घ) लड़के फुटबाल खेल रहे हैं।

इस नियम को आरेख द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता हैः

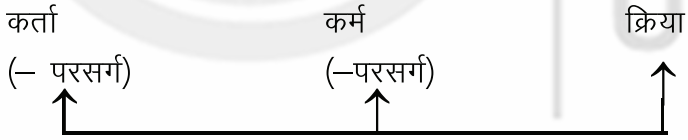

{(–परसर्ग) का अर्थ 'परसर्ग रहित' है और (+ परसर्ग) का अर्थ 'परसर्ग' सहित है।}

(2) यदि वाक्य में केवल एक अविकारी संज्ञा है तो क्रिया की अन्विति उस संज्ञा के अनुरूप होगी। दूसरे शब्दों में,

(2-क) यदि कर्ता के बाद 'ने' आदि परसर्ग न हो और कर्म के साथ 'को' आदि परसर्ग हो तो क्रिया की अन्विति कर्ता के अनुसार होगी; जैसेः

(क) मोहन शीला को डाँटता है।

(ख) बिल्ली चूहे को खाती है।

(ग) लड़कियाँ कुत्तों को भगा रही हैं।

(घ) लड़के कुत्तों को मार रहे हैं।

(2-ख) यदि कर्ता के बाद 'ने' परसर्ग हो और कर्म के बाद 'को' आदि परसर्ग न हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी। जैसेः

(क) मोहन ने रोटी खाई। (ख) शीला ने दूध पिया।

(ग) लड़कों ने तीन किताबें पढ़ीं। (घ) लड़कियों ने बहुत से आम खाए।

इन दोनों नियमों को आरेख द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है:

(2-क)

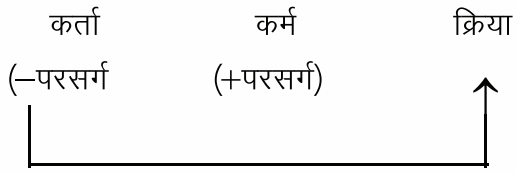

(2-ख)

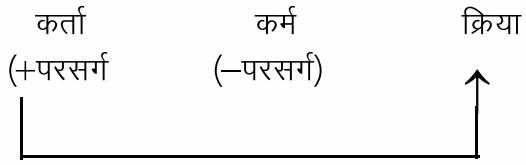

(3) यदि वाक्य के सभी संज्ञापद विकारी हों तो क्रिया की अन्विति किसी भी संज्ञापद के अनुसार नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यदि कर्ता के साथ 'ने' तथा कर्म के साथ 'को' आदि परसर्ग हो तो क्रिया न तो कर्ता के अनुसार चलती है और न ही कर्म के अनुसार। वह हमेशा पुल्लिग, एकवचन, अन्य पुरुष के प्रत्यय (आ) से संयुक्त रहेगी; जैसे:

मोहन ने रमा को पीटा। रमा ने मोहन को डराया।
लड़कों ने कुत्तों को मारा। कुत्तों ने लड़कियों को भगाया।

इसे आरेख द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है:

कर्ता	कर्म	क्रिया
(+परसर्ग	(+परसर्ग)	

(4) आदरसूचक एकवचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन आती है; जैसे –

- शर्मा जी दफ्तर गए हैं।
- प्रिंसिपल महोदय अभी कॉलिज नहीं आए।
- मनोरमा जी बहुत अच्छा गाती हैं।

(5) वाक्य में भिन्न लिंग के अविकारी (परसर्ग रहित) एकवचन के दो कर्ता एक साथ हों तो क्रिया पुल्लिग और बहुवचन होगी; जैसे –

- राम और सीता चौदह वर्ष बनवास में रहे।
- शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं।

(6) पहले नियम था कि वाक्य में भिन्न लिंग के अविकारी बहुवचन के कर्ता यदि एक साथ होते थे तो उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होता था। जैसे, 'इस वर्ष बी. ए. की परीक्षा में दो हजार लड़के और तीन हजार लड़कियाँ बैठी थीं।' अब यह नियम प्रयोग में नहीं है। हिन्दी के मानक रूप में अब क्रिया पुल्लिग ही होगी चाहे क्रम कोई भी क्यों न हों, जैसे, 'इस वर्ष बी.ए. की परीक्षा में दो हजार लड़के और तीन हजार लड़कियाँ बैठे थे।'

(7) यदि मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष के साथ कर्ता बनकर आते हैं तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। हाँ, यह ध्यान में रहे कि अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष हमेशा उत्तम पुरुष के पहले आएँगे; जैसे –

- 'तुम, वह और मैं वहाँ चलूँगा।' अब इसका प्रयोग, 'तुम, वह और मैं वहाँ चलेंगे' भी होने लगा है।

- 'तुम, वह और हम खाना खाएँगे।' यदि मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष के साथ कर्ता के रूप में आए तो क्रिया मध्यम पुरुष के अनुकूल होगी। जैसे, 1. वह और तुम जाओगे। और 2. वह और तू खाना खाएगा।

(8) मध्यम पुरुष एकवचन 'तू', 'तुम', और 'आप' के साथ क्रमशः 'कर', 'करो', कीजिए' का प्रयोग होता है। 'आप' का प्रयोग तो आदरार्थक औपचारिक आदि रूपों में होता है, जब कि 'तू या तुम' का प्रयोग आदरार्थक या औपचारिक नहीं होता; जैसे–

तू यह काम कर। तुम यह काम करो। आप यह काम कीजिए।

आजकल 'कीजिए' के स्थान पर 'करिए' का प्रयोग हो रहा है जिसे मानक हिंदी में अभी स्वीकार नहीं किया गया है। 'आप' के साथ क्रिया के तीन आदरार्थक रूप प्रयुक्त होते हैं – 'चलें, चलिए और चलिएगा'। 'चलें' और 'चलिए' में प्रायः निकटवर्ती भविष्य का संकेत मिलता है। 'चलिए' मानक रूप है और उसमें आदर का भाव अधिक है। 'चलिएगा' में निकटवर्ती और दूरवर्ती दोनों का संकेत मिलता है। जैसेः

आप लोग चलें। आप उधर चलिए। क्या आप चलिएगा?

इसी प्रकार 'आप करो', 'आप जाओ', 'आप सुनो', 'आप आना', 'आप जाना' आदि प्रयोग अशुद्ध हैं। इनके स्थान पर मानक प्रयोग होंगे – 'आप कीजिए', 'आप जाइए', 'आप सुनिए', 'आप आइए' आदि।

(9) कर्ता और पूरक दोनों स्थान पर यदि संज्ञा हो तो क्रिया मुख्य कर्ता के अनुसार होगी; जैसे –

आज तो पन्नालाल भीगी बिल्ली बन गया। आशा तो आज शेर बन गई।

(10) बहुवचन संज्ञा के बाद यदि समूहवाचक संज्ञा आए तो क्रिया इसी के अनुसार होगी; जैसे – **'बैलों का झुंड उन पर टूट पड़ा।'**

(11) यदि कर्ता के साथ 'ने' हो और एक से अधिक कर्म हों, ये कर्म 'को' रहित हों और एक ही लिंग तथा वचन के हों तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी; जैसे –

- **मैंने बाजार से एक किताब और एक पेंसिल खरीदीं।**
- **उसने एक पलंग और एक स्टूल खरीदे।**

आजकल 'मैंने बाजार से एक किताब और एक पेंसिल खरीदी' और 'उसने एक पलंग और एक स्टूल खरीदा' वाक्यों का प्रयोग भी हो रहा है।

इसी प्रकार यदि भिन्न लिंगों और वचनों के 'को' रहित कर्म हों तो क्रिया सामान्य रूप से अंतिम कर्म के अनुसार होगी; जैसे –

- **राम ने एक-एक किलो लीची और आम खरीदे।**
- **मोहन ने सभी उपन्यास और कहानियाँ पढ़ ली हैं।**

(12) जहाँ कर्ता के साथ 'ने' हो और क्रिया द्विकर्मक हो, वहाँ क्रिया मुख्य कर्म के अनुसार होगी, गौण कर्म के अनुसार नहीं; जैसे –

वेद ने बनवारी को दस रुपये दिए। रामू ने श्यामू को अपनी घड़ी बेची।

7.3.2 संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय

वाक्य में प्रयुक्त सर्वनामों के लिंग, वचन उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार होते हैं जिनके स्थान पर इन सर्वनामों का प्रयोग होता है; जैसे –

(क) मोहन का घर यहीं है। वह हमारे कॉलिज में पढ़ता है।

(ख) मेरे भाई आज रात को देर से घर आएँगे, क्योंकि वे सर्कस देखने गए हैं।

अंग्रेजी के प्रभाव के कारण संवाद में सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के अनुसार हो रहा है; जैसे– 'लड़कों ने कहा कि वे अब बसें नहीं जलाएँगे' सही होगा। इसी प्रकार 'राजा ने अपनी लड़कियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो।' अंग्रेजी प्रभाव के कारण सही नहीं है जब कि 'राजा ने अपनी लड़कियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो।' हिन्दी संरचना के अनुसार सही है।

लेखक, संपादक या किसी दल व संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति (स्त्री या पुरुष) हों तो वे अपने लिए उत्तम पुरुष के पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग करते हैं; जैसे –

- इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं।
- देश के सामने जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे।
- हमारे विचार में वे इस दल का समर्थन अवश्य करेंगे।

7.3.3 संबंध और संबंधी का अन्वय

संबंध कारक के लिंग, वचन उसके संबंधी के अनुसार होते हैं; जैसे –

(क) यह मोहन का लड़का है। (ख) गौरव की गाड़ी टूट गई।

(ग) बिट्टू का स्वेटर काला है। (घ) यह मेरी पुस्तक है।

यदि एक ही वाक्य में भिन्न-भिन्न लिंग और वचन के अनेक संबंधी हों तो संबंधकारक की विभक्ति के लिंग और वचन पहले संबंधी शब्द के अनुसार होते हैं; जैसे –

- आजकल मेरे साले की पत्नी और लड़के आए हुए हैं।
- मेरी बहन के पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू कश्मीर गए हुए हैं।

7.3.4 विशेषण और विशेष्य का अन्वय

यदि विशेष के पहले या बाद में विशेषण का प्रयोग हो तो आकारांत विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार प्रभावित होंगे; जैसे –

- काला हाथी, काली गाय और काले जानवर।
- बड़ा लड़का, बड़ी लड़की और बड़े लड़के।
- मोटा आदमी, मोटी औरत और मोटे बच्चे।

शेष सभी विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन आदि में सदैव एक रूप ही रहेंगे; जैसे –
सुंदर लड़का, सुंदर लड़की और सुंदर लड़के।
परिश्रमी छात्र, परिश्रमी छात्रा और परिश्रमी लड़के।
कोमल हाथ, कोमल पत्तियाँ और कोमल पत्ते।

यदि विशेषण एक हो और विशेष्य अनेक हों तो विशेषण के लिंग, वचन उसके निकटतम विशेष्य के अनुसार होंगे; जैसे –

- काले कुत्ते और बिल्लियाँ यहाँ बहुत हैं।
- वहाँ अच्छी-अच्छी लड़कियाँ और लड़के नाच रहे थे।

7.4 पदक्रम

पद एक वाक्यगत व्याकरणिक इकाई है। पद का स्वरूप और प्रकार्य वाक्य के संदर्भ में समझा जा सकता है जब कि शब्द के लिए वाक्य के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं और वे वाक्य में पदों का निर्माण करते हैं। वास्तव में वह शब्द या शब्द-समूह है जिसका व्याकरणिक प्रकार्य वाक्य में निश्चित होता है।

हिन्दी विश्लेषणात्मक भाषा है। इसमें पदक्रम का बड़ा महत्व है। पदक्रम में थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाने पर अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। वाक्य में पदों का उचित स्थान पर होना पदक्रम है। वाक्य-रचना करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया-विशेषण आदि को किस क्रम से रखना चाहिए, इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

यह भी ध्यान देने की बात है कि परसर्ग सहित पदों का स्थानांतरण किया जाए तो अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए, 'मोहन सोहन को पीटता है' वाक्य में 'सोहन को' पद का स्थानांतरण 'मोहन' से पहले किया जाए तो 'सोहन को मोहन पीटता है' वाक्य बनेगा। इसमें कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होगा।

यदि परसर्ग रहित पद या शब्द का स्थानांतरण किया जाए तो उसमें अर्थ परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिएः (1) 'मोहन सोहन को पीटता है।' वाक्य में 'मोहन' के स्थान पर 'सोहन' को लाया जाए और 'सोहन' के स्थान पर 'मोहन' को लाया जाए तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा; जैसे –

(2) 'सोहन मोहन को पीटता है।' वाक्य (2) में 'सोहन' कर्ता और 'मोहन' कर्म हो जाएगा, जबकि वाक्य (1) में 'मोहन' कर्ता है और 'सोहन' कर्म है।

वाक्यपरक स्तर पर पदक्रम में परिवर्तन होने पर अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए, 'शिकारी ने दौड़ते हुए शेर को मारा।' वाक्य संदिग्धार्थक है। इसमें दो कथ्य मिलते हैं – (1) शिकारी दौड़ रहा था या (2) शेर दौड़ रहा था। यदि 'दौड़ते हुए पद को स्थानांतरित कर 'शिकारी' से पहले लिखा जाए तो अर्थ निश्चित हो जाएगा। 'दौड़ते हुए शिकारी ने शेर को मारा' वाक्य में 'शिकारी दौड़ रहा था' न कि 'शेर दौड़ रहा था'। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण देखे जा सकते हैं।

पदक्रम में अधिकतर अशुद्धियाँ विशेषणों के प्रयोग में होती है और वे भी सार्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषणों में। उदाहरण के लिएः

अशुद्धः मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए।
शुद्ध : मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए।

अशुद्ध : उसे एक फूलों की माला खरीदनी है।
शुद्ध : उसे फूलों की एक माला खरीदनी है।

अशुद्ध : यह असली गाय का दूध है।
शुद्ध : यह गाय का असली दूध है।

पदक्रम सही न होने के कारण कभी-कभी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए :

अशुद्ध : पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ।
(इससे ऐसा लगता है कि माल की चोरी पुलिस ने की।)

शुद्ध : चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ।

अशुद्ध : मंत्री द्वारा भगाई गई औरतों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गयी।

शुद्ध : भगाई गई औरतों के प्रति मंत्री द्वारा सहानुभूति व्यक्त की गयी।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि वाक्य में अभिप्रेत अर्थ निकालने के लिए कभी-कभी पदक्रम में उलटफेर किया जाता है। उदाहरण के लिए, (1) रवि मंजु को नहीं बताएगा। (2) मंजु को रवि नहीं बताएगा। (3) मंजु को नहीं बताएगा रवि। (4) नहीं बताएगा मंजु को रवि। इस प्रकार जिस शब्द या पद पर बल देना होता है उसे पहले रखा जाता है। अतः कभी कर्ता, कभी कर्म और कभी क्रिया पहले आती है और कभी बाद में। जैसे, 'उसकी पुस्तक राम ने रख ली है।' इसमें कर्म पहले आया है, कर्ता बाद में। 'बुलाया था रवि को, दौड़े आए संतोष।' इसमें क्रिया पहले आई है।

7.5 वाक्य के घटक

वाक्य की संरचना में दो घटक होते हैं- एक, अनिवार्य घटक और दो, ऐच्छिक घटक। वाक्य में क्रिया प्रधान और अनिवार्य घटक है। क्रिया के संपादन में जिन घटकों की भूमिका अनिवार्य होती है वे अनिवार्य घटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए – 'मोहन सेब खा रहा है।'

उपर्युक्त वाक्य में 'खाना' क्रिया के संपादन में खाने वाला व्यक्ति 'मोहन' और खाई जाने वाली वस्तु 'सेब' दोनों की भूमिका अनिवार्य है। व्याकरणिक दृष्टि से 'मोहन' और सेब क्रमशः कर्ता और कर्म कहलाते हैं। 'खाना' क्रिया से बने वाक्य में क्रिया के अतिरिक्त कर्ता और कर्म अनिवार्य घटक हैं। खाने की क्रिया किस स्थान पर, किस काल में या किस रीति से संपादित होती है, इनके सूचक घटक वाक्य के ऐच्छिक घटक होते हैं। ये क्रमशः स्थानवाचक, समयवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। ये सभी क्रिया विशेषण वाक्य के ऐच्छिक घटक होते हैं। जैसे : मोहन आज सुबह से गली में हँसते-हँसते सेब खा रहा है।

उपर्युक्त वाक्य में 'आज सुबह से', 'गली में' और हँसते-हँसते' समयवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य के ऐच्छिक घटक हैं। वाक्य में ऐच्छिक घटक न होने पर भी अर्थ की दृष्टि से पूर्ण है।

7.6 आधारभूत वाक्य साँचे

जिस वाक्य के सभी घटक अनिवार्य हों उसे आधारभूत वाक्य या बीज वाक्य कहते हैं। आधारभूत साँचे में भाषा में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के वाक्य व्युत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्रत्येक भाषा में आधारभूत वाक्य साँचों की संख्या सीमित होती हैं। इन सीमित वाक्य-साँचों में ऐच्छिक घटकों के योग से या वाक्यों के रूपांतरण से उसी भाषा के असंख्य वाक्य बनाए जा सकते हैं।

किसी भी भाषा की वाक्य-व्यवस्था को समझने के लिए उस भाषा के वाक्य-साँचों का निर्धारण करना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा के आधारभूत वाक्य-साँचों का स्वरूप अलग होता और उसकी अपनी अलग संख्या होती है। इन वाक्यों के निर्धारण के लिए पाँच मानदंड हैं – (1) इनमें केवल अनिवार्य घटक होते हैं : (2) ये पूर्णांग वाक्य होते हैं; (3) इसमें क्रिया की प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है क्योंकि क्रिया ही अन्य घटकों को नियंत्रित करती है; (4) ये वाक्य सदैव सरल कथनात्मक वाक्य होते हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्य आधारभूत वाक्य-साँचे नहीं होते और (5) नकारात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, अकर्तृवाच्य आदि वाक्य आधारभूत वाक्य साँचों के अंतर्गत नहीं आते।

विभिन्न प्रकार की क्रियाओं और उनके साथ आनेवाले अनिवार्य घटकों के आधार पर हिन्दी में निम्नलिखित वाक्य-साँचे निर्धारित किए जा सकते हैं :

i)	ईश्वर है	–	कर्ता + क्रिया (अस्तित्ववाची)
ii)	मोहन दौड़ रहा है	–	कर्ता+क्रिया (अकर्मक)
iii)	मोहन विद्यार्थी हैं	–	कर्ता +कर्तृपूरक+क्रिया (सहायक)
iv)	लड़का सेब खाता है	–	कर्ता+कर्म+क्रिया (सकर्मक)
v)	वह घर जा रहा है	–	कर्ता+लक्ष्य+क्रिया
vi)	वह घर से भाग गया	–	कर्ता+अपादान+क्रिया
vii)	वह चोर निकला	–	कर्ता+पूरक+क्रिया
viii)	मोहन की एक लड़की है	–	संज्ञा (के)+कर्ता+क्रिया

ix) मोहन सोहन को मूर्ख समझता है – कर्ता+कर्म+कर्मपूरक+क्रिया

x) मोहन को बुखार है – (भोक्ता+संप्रदान)+क्रिया (द्विकर्मक)

xi) मोहन ने सोहन को पुस्तक दी – कर्ता+कर्म+कर्म+क्रिया (द्विकर्मक)

xii) मोहन को सेब अच्छा लगता है – भोक्ता+कर्ता+कर्तृपूरक+क्रिया

बोध प्रश्न

क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित समझाइए।

   .....

   .....

   .....

2. अन्विति से आप क्या समझते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए कर्ता और कर्म के साथ क्रिया के अन्वय का विवेचन उदाहरण सहित कीजिए।

   .....

   .....

   .....

3. वाक्य में पदक्रम का विशेष महत्व है। इसका विवेचन उदाहरण सहित कीजिए।

   .....

   .....

   .....

4. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।

   (क) संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय

   (ख) संबंध और संबंधी का अन्वय

   (ग) वाक्य के घटक

   (घ) आधारभूत वाक्य साँचे

7.7 वाक्य के भेदः रचना के आधार पर

रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य तीन भेद हैं –

- सरल (या साधारण)वाक्य
- संयुक्त (या यौगिक)वाक्य
- मिश्र (या जटिल) वाक्य

7.7.1 सरल (या साधारण) वाक्य

जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे –

मोहन सेब खाता है। **शीला बाजार जा रही है।**

7.7.2 संयुक्त (या यौगिक) वाक्य

जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य होते हैं, वे संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य-योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। योजकों से जुड़े होने पर भी ये दो या अधिक वाक्य संयुक्त वाक्य के मुख्य और स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं।

मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। इनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है और इसके उपवाक्य 'और, तथा, फिर, या, अथवा, किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए' आदि, समानाधिकरण योजक अव्ययों से जुड़े होते हैं; जैसे –

1. बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई। (संयोजक)

   (क) बिजली थोड़ी देर के लिए आई। (और) (ख) वह चली गई।

2. आप चाय पिएँगे या कॉफी? (विभाजक)

   (क) आप चाय पिएँगे । (या) (ख) (आप) कॉफी (पिएंगे)

3. जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। (परिणाम सूचक)

   (क) जल्दी चलिए (अन्यथा) (ख) (आपको) बहुत देर हो जाएगी।

4. मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। (विरोधसूचक)

   (क) मैं भी आपके साथ चलता (किंतु) (ख) मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

5. मुझे घर पर काम है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा। (परिणाम सूचक)

   (क) मुझे घर पर काम है। (इसलिए) (ख) मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा।

संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के कुछ अंश कभी कभी लुप्त हो जाते हैं। यह स्थिति तब आती है जब एक ही वाक्य के दो उपवाक्यों में समान शब्द आता है; जैसे –

- पिता जी प्रातः चाय पीते हैं और (पिता जी) सायंकाल को कॉफी (पीते हैं)।
- मोहन कल मुंबई जाएगा और राजेश कोलकाता (जाएगा)।

7.7.3 मिश्र (या जटिल) वाक्य

मिश्र वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। गौण उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य 'कि' 'जो–वह', 'जब–तब', 'जैसा–वैसा', 'क्योंकि', 'यदि–तो' आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं; जैसे –

(क) अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी।

(ख) जो लड़का कमरे में बैठा है, वह मेरा भाई है।

(ग) जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था।

(घ) जैसा मैं कहूँगा, वैसा तुम करोगे।

(ड.) मोहन आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है।

(च) यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी।

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (क) में 'अध्यापक ने बताया' मुख्य वाक्य है और 'कल स्कूल में छुट्टी होगी' आश्रित उपवाक्य है, जिसे 'कि' योजक से जोड़ा गया है। वाक्य (ख) में 'मेरा भाई है' मुख्य उपवाक्य है और 'लड़का कमरे में बैठा है' आश्रित उपवाक्य है। वाक्य (ग) में 'साइकिल खूब चलाता था' मुख्य उपवाक्य है और 'मैं छोटा था' आश्रित

उपवाक्य। वाक्य (घ) में 'तुम करोगे' मुख्य उपवाक्य है और 'मैं कहूँगा' आश्रित उपवाक्य। वाक्य (ड.) में 'मोहन आज विद्यालय नहीं गया' मुख्य उपवाक्य है, 'वह बीमार है' आश्रित उपवाक्य है। वाक्य (च) में 'सारी फसल नष्ट हो जाएगी' मुख्य वाक्य है और 'इस बार वर्षा न हुई' आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार जिन उपवाक्यों में 'कि, जो, जब, यदि, तो' योजक अव्यय लगे हों, वे आश्रित वाक्य हैं।

आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं –

संज्ञा उपवाक्य – जो उपवाक्य में संज्ञा का काम करते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते है। इस उपवाक्य से पहले 'कि' का प्रयोग होता है और कभी-कभी 'कि' का लोप भी हो जाता है; जैसे- (क) मुझे विश्वास है कि आप दीपावली पर घर जरूर आएँगे। (ख) तुम नहीं आओगे, मैं जानता था।

विशेषण उपवाक्य – विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। हिंदी में 'जो' (जिस, जिसे आदि) वाले उपवाक्य प्रायः विशेषण उपवाक्य होते हैं; जैसे –

(i) आपकी वह पुस्तक कहाँ है, जो आप कल लाए थे।

(ii) जो आदमी पत्र बाँटता है, वह डाकिया होता है।

(iii) जिसे आप ढूँढ़ रहे हैं, वह मैं नहीं हूँ।

अधिकतर विशेषण उपवाक्य के प्रारंभ या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे –

(घ) जो पैसे मुझे मिले थे, वे खर्च हो गए। (प्रारंभ में)

(ड.) वे पैसे खर्च हो गए, जो मुझे मिले थे। (अंत में)

क्रिया-विशेषण उपवाक्य - यह उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य को क्रिया की विशेषता बताता है। ये क्रिया-विशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्य-कारण आदि का द्योतन करते हैं। इसमें जब, जहाँ, जैसा, ज्यों-ज्यों आदि समुच्चयबोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं; जैसे-

- जब बारिश हो रही थी, तब मैं घर में था। (कालवाची)
- जहाँ तुम पढ़ते थे, वहीं मैं पढ़ता था। (स्थानवाची)
- जैसा आपने बताया था, वैसा ही मैंने किया। (रीतिवाची)
- यदि मोहन ने पढ़ा होता तो वह अवश्य उत्तीर्ण होता। (कार्य-कारण अथवा हेतु सूचक)
- उसने जितना परिश्रम किया, उसे उतना ही अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। (परिणाम सूचक)
- जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे धूप में तेजी आ रही है। (परिणाम सूचक)

7.8 वाक्य के भेदः अर्थ के आधार पर

अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद हैं जैसे –

विधानवाचक वाक्य – इसमें किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है, जैसेः (क) वह आया था। (ख) गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। (ग) ठंडी-ठंडी हवा चल रही है।

निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य- इसमें किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है; जैसे – (क) वह नहीं आया। (ख) इस समय वर्षा नहीं हो रही है। (ग) मैं कुछ न कर सका।

आज्ञावाचक वाक्य – इसमें किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है; जैसे – (क) यहाँ से चले जाओ। (ख) अभी मत जाओ। (ग) किसी का जी न दुखाना।

प्रश्नवाचक वाक्य – इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है; जैसे – (क) तुम क्यों रूठे हुए हो? (ख) मेरी पुस्तक कहाँ है? (ग) वह क्या कर रहा है? (घ) बाहर कौन है? (ड.) मैं उनसे कब मिलूँ?

विस्मयादिबोधक वाक्य – इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है; जैसे – (क) क्या सुंदर स्थान है! (ख) अहा! तुम आ गए! (ग) हाय राम! मैं अब क्या करूँ!

इच्छाबोधक वाक्य – इसमें इच्छा, शुभ कामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है; जैसे – (क) तुम्हारा कल्याण हो। (ख) भारत माता की जय हो। (ग) ईश्वर करें कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ।

संदेहबोधक वाक्य – इसमें संदेह या संभावना का बोध होता है; जैसे – (क) हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े। (ख) शायद आज वर्षा हो। (ग) तुमने ऐसा सुना होगा।

शर्तबोधक वाक्य (हेतुहेतुमद वाचक वाक्य) – इसमें एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है; जैसे – (क) तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता। (ख) यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता।

7.9 उपवाक्य

वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य एक उपवाक्य का हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी। जहाँ वाक्य में केवल एक उपवाक्य होता है, वहाँ वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है। इस स्वतंत्र उपवाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। इस दृष्टि से वाक्य और उपवाक्य में कोई भेद नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, 'यह मेरा स्कूल है' एक सरल वाक्य है। एक अन्य उदाहरण पढ़ो– 'यह मेरा स्कूल है, किंतु अब मैं इसमें नहीं पढ़ता' यह एक वाक्य है किंतु इसमें दो उपवाक्य हैं। ये दो उपवाक्य हैं, 1. यह मेरा स्कूल है, 2. अब मैं इसमें नहीं पढ़ता।

उपवाक्य और पदबंध

उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध हैं 'यह मेरा स्कूल है' उपवाक्य (या सरल वाक्य) में मेरा स्कूल पदबंध है। पदबंध से कहने वाले का भाव बहुत कम प्रकट होता है जबकि उपवाक्य से पूरा भाव तो नहीं लेकिन कुछ भाव अवश्य प्रकट होता है। उपवाक्य में क्रिया रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया रहे, यह आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए, 'ज्योंही राम का भाई मोहन आया, त्योंही मैं चला गया' वाक्य में 'ज्योंही राम का भाई मोहन आया' एक उपवाक्य है लेकिन 'राम का भाई मोहन' पदबंध है। उपवाक्य से प्रायः पूर्ण अर्थ का बोध नहीं होता और पदबंध से बहुत ही कम अर्थ निकलता है। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं – (क) संज्ञा उपवाक्य, (ख) विशेषण उपवाक्य (ग) क्रिया-विशेषण उपवाक्य। इनका विवेचन मिश्र वाक्य के अंतर्गत किया गया है।

7.10 वाक्य रूपांतर

तुलना कीजिएः

सरल वाक्य	मिश्र वाक्य
1. वह छोटा लड़का है	1. वह ऐसा लड़का है जो छोटा है।
2. इसी बच्चे को बैल ने मारा था।	2. यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी बात को अनेक ढंग से कहा जा सकता है और एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना होगा कि वाक्य का अर्थ न बदलने पाए; जैसे –

सरल से संयुक्त वाक्य

वह खाना खाकर सो गया। (सरल वाक्य)
उसने खाना खाया और (वह) सो गया। (संयुक्त वाक्य)

सरल से मिश्र वाक्य में अंतरण

वह मुझसे आने को कहता है। (सरल वाक्य)
वह मुझसे कहता है कि जाओ। (मिश्र वाक्य)

संयुक्त से मिश्र वाक्य में अंतरण

मोहन एक पुस्तक चाहता था और वह उसे मिल गई। (संयुक्त वाक्य)
मोहन जो पुस्तक चाहता था (वह) उसे मिल गई। (मिश्र वाक्य)
मैं वहाँ पहुँचा और तुरंत घंटा बजा। (संयुक्त वाक्य)
ज्योंही मैं वहाँ पहुँचा त्योंही घंटा बजा। (मिश्र वाक्य)

वे नहीं आ सकते। (कर्तृवाच्य)
तुमसे लिखा नहीं जा सकता। (कर्मवाच्य)

विशेषण की तुलनावस्था का अंतरण

निर्मला सब लड़कियों से सुंदर हैं।
निर्मला से सुंदर कोई लड़की नहीं है।

विधानवाचक और निषेधवाचक का अंतरण

वह निर्धन है।
उसके पास धन नहीं है।
उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा।
उसने सभी उपाय किए हैं।

विधान वाचक या निषेधवाचक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों का अंतरण

गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? (प्रश्न)
गांधी जी का नाम सबने सुना है। (विधानवाचक)
क्या वह इतना मूर्ख है? (प्रश्न)
वह इतना मूर्ख नहीं है। (निषेधवाचक)

विधानवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों का अंतरण

इतना क्रूर! (विस्मयादिबोधक)
वह बहुत क्रूर है। (विधानवाचक)
वह बहुत ही सुंदर बच्चा है। (विधानवाचक)
वाह! इतना सुंदर बच्चा। (विस्मयादिबोधक)

बोध प्रश्न 2

क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

2. अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

3. मिश्र वाक्य में कितने आश्रित उपवाक्य है? इन्हें उदाहरण सहित समझाइए।

.....

.....

4. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।

(क) इच्छाबोधक वाक्य (ख) शर्तबोधक वाक्य

(ग) संयुक्त वाक्य (घ) उपवाक्य और पदबंध

5. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए।

(क) कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई।

.....

.....

(ख) उसने तरह-तरह के चमड़े के जूते खरीदे।

.....

.....

(ग) मैंने कल कॉलिज जाना है।

.....

.....

(घ) यह चित्र अध्यक्ष महोदय जब दिल्ली पधारे थे, उस समय लिया गया था।

.....

(ड.) शीला ने जो बात रमा से की थी, मेरे बारे में थी।

.....

.....

7.11 सारांश

वाक्य भाषा की महत्तम व्याकरणिक इकाई हैं जो स्वयं एक व्याकरणिक रचना होते हुए भी किसी महत्तर व्याकरिणक रचना का अंग नहीं होता। वस्तुतः वाक्य में एक या अधिक उपवाक्य, उपवाक्य में एक या अधिक पदबंध, पदबंध में एक या अधिक शब्द (पद) और शब्द (पद) में एक या अधिक शब्दांशों की संरचना प्रयुक्त होती है। वाक्य संरचना में अन्विति, पदक्रम, व्याकरणिक गठन और अर्थ संरचना पर विचार किया जाता है। वाक्य-विन्यास की प्रक्रिया के अध्ययन में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है जो इसकी जटिलता को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। रचना और अर्थ के आधार पर हिन्दी की वाक्य रचना अधिक स्पष्ट हो पाई है।

इकाई 8 संप्रेषण के विविध रूप

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 संप्रेषण का अर्थ और सिद्धांत

8.3 मौखिक संप्रेषण (Oral Communication) : अवधारणा और प्रकार

8.3.1 अपभाषा का अर्थ और मुख्य लक्षण

8.3.2 मौखिक संप्रेषण और मानसिक पक्ष

8.4 लिखित संप्रेषण (Non-verbal Communication) : स्वरूप एवं विकास

8.4.1 वर्णात्मक लिपि व्यवस्था

8.4.2 देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था

8.5 आंगिक संप्रेषण (Non-verbal Communication) : अर्थ और स्वरूप

8.5.1 आंगिक संप्रेषण की मुख्य श्रेणियाँ

8.5.2 आंगिक संप्रेषण की कठिनाइयाँ

8.6 सारांश

8.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट समझ सकेंगे।
- मौखिक संप्रेषण के प्रकारों का विवेचन कर सकेंगे।
- अपभाषा के मुख्य लक्षण बता सकेंगे।
- लिखित संप्रेषण के स्वरूप की चर्चा कर सकेंगे।
- वर्णात्मक लिपि व्यवस्था के बारे में बता सकेंगे।
- देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के बारे में बता सकेंगे।
- आंगिक संप्रेषण के अर्थ और स्वरूप की चर्चा कर सकेंगे।
- आंगिक संप्रेषण की मुख्य श्रेणियों का विवेचन कर सकेंगे।
- आंगिक संप्रेषण की कठिनाइयाँ समझ सकेंगे।

8.1 प्रस्तावना

संप्रेषण के विविध रूपों और उनकी उपयोगिता पर विचार करते हुए भाषा के मौखिक, लिखित और आंगिक रूप पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। भाषा की विकासगत विशेषताओं के साथ-साथ भाषा और लेखन का अंतःसंबंध, उपयोगिता एवं आरोह-अवरोह आदि का ज्ञान किसी भी भाषा-भाषी समाज के लिए आवश्यक है। संप्रेषण के विविध रूपों के संदर्भ में उसकी सूक्ष्मताओं तथा परिवर्तन आदि से हमें अवगत होते रहना चाहिए। इस प्रकार भाषा के साथ-साथ उसमें लिखित साहित्य एवं समाज से संबंधित जानकारी हमें भली प्रकार हो सकती है। इसके लिए लेखन विधि एवं भाषिक संरचना की चर्चा

आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आंगिक संप्रेषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंगिक संप्रेषण से शब्द रहित संप्रेषण होता है जिसे भाव-भंगिमा, हाव-भाव आदि शारीरिक चेष्टाओं से अपना संदेश भेजा जाता है।

8.2 संप्रेषण का अर्थ और सिद्धांत

संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अकेला व्यक्ति संप्रेषण करने में असमर्थ होता है। उसे एक श्रोता की जरूरत होती है। अगर एक व्यक्ति कोई बात करता है तो दूसरा व्यक्ति उसे सुनता है। अतः व्यक्ति सामाजिक होने के साथ-साथ संप्रेषणशील भी होता है। वस्तुतः संप्रेषण का अर्थ है किसी एक संदेश को दो व्यक्तियों या समूहों को एक समान या उसी प्रकार दूसरे के पास भेजना। एक स्थान से दूसरे स्थान में संदेश या जानकारी भेजना भी संप्रेषण है। इसमें वक्ता, श्रोता और संदेश के अतिरिक्ति स्रोत, माध्यम और लक्ष्य भी होता है। वक्ता या संप्रेषणकर्ता अपना संदेश स्व-अभिव्यक्ति से, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, टेलीफोन, मोबाइल, टी.वी., रेडियो यंत्र आदि विविध पद्धतियों से प्रेषित करता है। संप्रेषण परस्पर संबंधों का निर्माण करता है; गलतफहमी दूर करता है, तनाव कम करता है और आत्मविश्वास पैदा करता है। यदि किसी सूचना का अध्ययन तकनीकी प्रक्रिया से किया जाता है तो वह संप्रेषण सिद्धांत होगा जो सूचना सिद्धांत का एक क्षेत्र है। इससे लोग विचार-विमर्श करते हुए अपने संदेश या मंतव्य का सृजन करते हैं और उसके अर्थों की व्यवस्था बनाए रखते हैं। संप्रेषण सिद्धांत के अनुसार भाषिक संप्रेषण में कोडीकरण और विकोडीकरण की प्रक्रिया निहित रहती है। एक भाषा में वक्ता या लेखक अपने संदेश को भाषाबद्ध रूप देता है अर्थात् कोडीकरण करता है, इसका संचरण वह मुखोच्चार और लेखन के माध्यम से करता है जिसे क्रमशः मौखिक और लिखित माध्यम कहा जाता है। श्रोता वक्ता द्वारा उच्चरित ध्वनियों का अभिज्ञान करता है अर्थात् ध्वनियों का श्रवण कर या देखकर पहचानता है। इसके बाद वह उनका विकोडीकरण कर अर्थ ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में भाषा का संप्रेषण होता है, किंतु यह आवश्यक है कि कोडीकरण और विकोडीकरण के लिए कोड एक समान होना अपेक्षित है। संप्रेषण सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रिया को निम्नलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है।

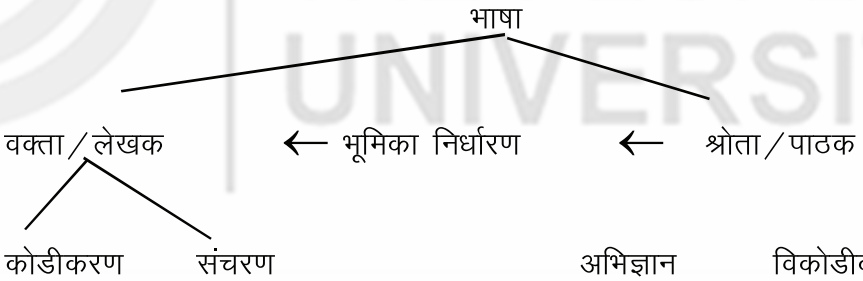

		माध्यम		
1.	उच्चारण (मुख)	मौखिक	श्रोत्रिक	श्रवण
2.	(कान)			
3.	लेखन (हस्त)	लिखित	चाक्षुष	दृश्य (आँख)

यह ध्यान में रहे कि इस संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता का एक कोड होगा तो संदेश समझा जा सकता है। यदि वक्ता हिन्दी जानता है तो श्रोता को भी हिन्दी का ज्ञान आवश्यक है। यह कोड भाषा केवल भाषा नहीं; संकेत भी हो सकते हैं, अंग-संचालन भी हो सकता है। बस इतना है कि उसे वक्ता और श्रोता दोनों समान रूप से समझ सकें। संप्रेषण मौखिक और लिखित रूप में तो होता ही है, किंतु आंगिक संप्रेषण का भी कम महत्व नहीं है।

इस प्रकार संप्रेषण के मुख्य तीन प्रकार हैं – मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और अशाब्दिक अथवा आंगिक संप्रेषण। इस तीनों रूपों का विवेचन इस प्रकार है।

8.3 मौखिक संप्रेषण (Oral Communication) : अवधारणा और प्रकार

किसी भाषा का उल्लेख होते ही उसमें प्रयुक्त ध्वनियाँ, शब्दावली आदि के साथ उसके वर्णों तथा लेखन (लिपि) की संकल्पना भी हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। यह सही है कि लिपि आज चाहे जितनी भी महत्वपूर्ण हो गई हो, किंतु इसका विकास भाषा में अपेक्षाकृत देर से हुआ। यह एक निर्विवाद सत्य है कि भाषा का आरंभ मौखिक या उच्चरित रूप से हुआ। आदि मानव को जब अपने मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों को दूसरों तक संवाद अथवा बातचीत के द्वारा पहुँचाने की आवश्यकता अनुभव हुई, तभी से उच्चरित या मौखिक संप्रेषण का उद्‌भव हुआ। संप्रेषण केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सीधे संवाद का ही नहीं बल्कि आत्माभिव्यक्ति का भी माध्यम है।

जब व्यक्ति केवल अपने आपको अभिव्यक्त करना चाहता है और उसके समक्ष श्रोता न हो, वहाँ उसे अभिव्यक्ति या संप्रेषण की दूसरी सरणियों अथवा तरीकों की आवश्यकता अनुभव होती है। अनेक पर्वत-श्रेणियों और गुफाओं आदि में उकेरित चित्र एवं चित्र लिपि-अभिव्यक्ति के ऐसे ही माध्यम हैं। इसी सरणी में आगे चलकर लिपि का विकास भी हुआ। आदि मानव के शैल-चित्रों के बाद लिपि का सबसे पहला रूप चित्रलिपि ही था। इसमें आज की तरह ध्वनि प्रतीक न होकर वस्तु प्रतीक ही चित्रित होते थे। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, बर्तन, हथियार जैसी वस्तुओं के द्योतन के लिए इन वस्तुओं से मिलते-जुलते चित्र बना लिए जाते थे। ये चित्र ही लिपि चित्र होते थे और उस वस्तु का प्रतीक भी। आज भी यातायात संबंधी संकेतों का प्रयोग ऐसे चित्रों या प्रतीकों के रूप में किया जाता है। इस लिपि के संप्रेषण की विशेषता इसकी स्पष्टता तथा अर्थबोधन की सहजता है।

- संप्रेषण का मौखिक रूप प्रयोग के आधार पर कई प्रकार का मिलता है। प्रयोक्ता किस वर्ग, शिक्षा, वय, जाति, धर्म, आदि से संबद्ध है, तदनुसार संप्रेषण के अनेक रूप उभर कर आते हैं; जैसे – साहित्यिक, बोलचाल, शुद्ध-अशुद्ध एवं ग्राम्य। प्रयोग के आधार पर संप्रेषण के जो भेद किए जा सकते हैं उसके तीन आधार-प्रयोग का क्षेत्र, साधुत्व (शुद्ध एवं अशुद्ध) और प्रचलन (भाषा जीवित है या मृत) हैं।

निर्माता के आधार पर संप्रेषण का मौखिक रूप बदलता रहता है। भाषा का निर्माता कौन है? उसका क्या स्तर है? इस आधार पर भी संप्रेषण के अनेक रूप हो जाते हैं। यदि किसी भाषा का निर्माता समाज या देश है तो उस भाषा का संप्रेषण क्षेत्र विस्तृत होता है। वह मौखिक रूप में भी परंपरागत रूप से प्रचलित रहती है। इसके विपरीत यदि भाषा का संबंध व्यक्ति-विशेष से है या छोटे वर्ग से है तो वह कृत्रिम भाषा या बोली का रूप लेकर संप्रेषण के मौखिक रूप में व्यवहृत होती है।

अन्य कई (गौण) आधारों पर भी संप्रेषण का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे – संस्कृति, ग्राह्यता, सुबोधता, मिश्रण आदि के आधार पर भी मौखिक संप्रेषण के भेद, उपभेद संभव है; परंतु इस प्रकार के भेदों, उपभेदों, का अध्ययन प्रचलित नहीं है।

वास्तव में परिनिष्ठित या परिष्कृत भाषा संप्रेषण के मौखिक एंव लिखित दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है। साहित्यिक रचनाएँ इसी में होती है। शासन, शिक्षा एवं शिक्षित वर्ग में इसका ही प्रयोग होता है। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी परिष्कृत होती है। भाषा का व्याकरण इसी को आधार मानकर निर्मित होता है। अनेक समान भाषाओं में से विशिष्ट समाज या जन-सामान्य में अधिक प्रचलित होने के आधार पर किसी एक भाषा को संप्रेषण हेतु आदर्श मान लिया जाता है। शिक्षित वर्ग इसी का प्रयोग करता है। यह भाषा राजकीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण आदर्श भाषा के रूप में संप्रेषण के लिए व्यवहृत होती है। संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी आदि भाषाएँ इसी

श्रेणी में आती हैं। आदर्श भाषा के प्रांतीय या प्रादेशिक रूप भी अनेक हो जाते हैं। इस भाषा के मौखिक तथा लिखित दो रूप होते हैं। 'मौखिक' रूप में, छोटे, सरल और सुबोध वाक्यों में संप्रेषण होता है। 'लिखित' रूप में प्रायः बड़े और कठिन वाक्यों का भी प्रयोग होता है। यह भाषा प्रायः संपादित होती है। इस मौखिक रूप की अपेक्षा सहजता कम मिलती है।

मौखिक रूप में, संप्रेषण की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति-बोली (Ideolect) होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक व्यक्ति की भाषा को व्यक्तिगत बोली कहा जाता है। एक समान भाषा होते हुए भी एक व्यक्ति की भाषा का रूप दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ध्वनि-भेद, स्वर-भेद, सुर-भेद, आदि के आधार पर अलग-अलग व्यक्ति के भाषा-रूप को पहचाना जा सकता है। इसी आधार पर केवल ध्वनि को सुनकर हम किसी व्यक्ति-विशेष को अंधकार में भी पहचान लेते हैं। व्यक्ति भेद से संप्रेषण में भी भेद हो जाता है। इस प्रकार व्यक्तियों की पृथक-पृथक ध्वनियों का विश्लेषण भी किया जा सकता है।

8.3.1 अपभाषा का अर्थ और मुख्य लक्षण

संप्रेषण के मौखिक रूप में ही अपभाषा (slang) भी आती है। अशिष्ट, असभ्य और अपरिष्कृत अथवा असंस्कृत भाषा को अपभाषा कहते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि ने सर्वप्रथम अपभाषा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। उनका कथन है –

ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै। (महाभाष्य – आह्निक – 1)

अर्थात्

ब्राह्मण अथवा विद्वान को म्लेच्छ भाषा अर्थात् अशुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

अपभाषा में निम्नलिखित बातें होती हैं –

व्याकरणिक असम्मतता – इसमें शुद्धि-अशुद्धि का ध्यान न रखते हुए अमानक रूपों का प्रयोग होता है; जैसे – एकर (इसका), ओकर (उसका), गउवाँ (गाँव), गवा (गया) आदि का प्रयोग होता है।

वाक्य रचना अपरिष्कृत – इसमें वाक्य-रचना प्रायः परिष्कृत नहीं होती; जैसे – मैं बोला (मैंने कहा), मेरे से यह काम न होगा (मुझसे यह काम नहीं होगा), आदि

अशिष्ट शब्द का प्रयोग – शिष्ट समाज में अनुचित माने गए शब्दों का प्रयोग करना, जैसे – रंडी–पुत्रः, वंध्यापुत्र, अबे–तबे आदि का संबोधन, गाली वाचक शब्द।

अपरिष्कृत मुहावरों का प्रयोग – इसके अंतर्गत मनगढ़ंत मुहावरों का प्रयोग सम्मिलित है। अर्थ-विस्तार या अर्थ-संकोच आदि की दृष्टि से, मारकर भुस भरना, मक्खन लगाना, मक्खनबाजी, पिटाई के लिए हजामत बनाना या कचूमर निकालना आदि मौखिक संप्रेषण प्रयोग में आते हैं।

अपभाषा, संप्रेषण के मौखिक रूप में शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से प्रायः निम्न वर्ग में प्रचलित होती है। इसका प्रयोग भी वर्ग-विशेष या समाज-विशेष में ही प्रचलित है। निम्न वर्ग के व्यक्तियों और समवयस्क लोगों के हास्य-विनोद में भी इसका प्रयोग मिलता है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से अपभाषा का अध्ययन भाषा-विषयक एवं संस्कृति-विषयक अनेक तथ्यों का परिचायक होता है।

8.3.2 मौखिक संप्रेषण और मानसिक पक्ष

विचार हमारे लिए निर्देशक-तत्व का कार्य करते हैं और ध्वनियंत्र संवाहक का। वक्ता जब अपनी हृदयगत भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो उसके मन में उस भाव का एक स्वरूप अनिश्चित होता है। तदनुकूल शब्द-चयन का कार्य भी उसका मानसिक पक्ष या बुद्धि ही करती है। मन में उत्पन्न भावनाओं की उग्रता, व्यग्रता या प्रफुल्लता के अनुरूप

ही वाणी में तदनुकूल कंपन होता है। वक्ता की भावनाओं का बोध उसकी मौखिक उच्चरित ध्वनि से स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे आंतरिक भाषा (Inner speech) की संज्ञा दी है। मानसिक पक्ष में व्यक्त वाक् की प्रकाशन क्षमता नहीं है, इसलिए इसे पंगु कहा गया है। ध्वनियंत्र में प्रकाशन या अभिव्यक्ति की क्षमता है, गतिशीलता है किंतु उसमें विचार की क्षमता नहीं है। अतः मानसिक पक्ष एवं वाक् पक्ष के समन्वय से ही संप्रेषण का मौखिक रूप प्रकट होता है। अतः मानस पक्ष और मौखिक पक्ष में क्रमशः आत्मा और शरीर का संबंध है।

मौखिक उच्चारण या संप्रेषण प्रक्रिया में शरीर के किन-किन अवयवों की सहायता ली जाती है, यह ध्वनि-विज्ञान के विवेचन तथा विश्लेषण का विषय है। ध्वनि-विज्ञान, स्वरतंत्री, कंठ तालु, घोष-अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आदि भौतिक आधार को लेकर चलता है। भौतिक आधार से ही भाषा अपने संप्रेषण का मौखिक स्वरूप ग्रहण करती है। यह भाषा का बाह्य पक्ष है। भौतिक आधार साध्य है। दोनों का समन्वय ही संप्रेषण की सृष्टि करता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार उच्चरित ध्वनियों का सूक्ष्म विश्लेषण संभव है, उसी प्रकार भाषा के मूल में विद्यमान वैचारिक पक्ष का विश्लेषण संभव नहीं है। इसीलिए अलग से भाषाविज्ञान के अंतर्गत भाषा-दर्शन तथा भाषा-मनोविज्ञान जैसे नवीन अध्ययन-क्षेत्रों की संकल्पना प्रस्तुत की गई ताकि वैचारिक पक्ष लेकर उसका अध्ययन मनन एवं विश्लेषण अलग से किया जा सके।

8.4 लिखित संप्रेषण (Written Communication) : स्वरूप एवं विकास

मानव सभ्यता के विकास के साथ जीवन-शैली की जटिलताओं में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में प्रत्येक वस्तु का चित्र लिपि में अंकन करना कठिन हो गया। साथ ही अमूर्त भावनाओं और अनेक प्रकार के क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति भी इस लिपि से भली प्रकार नहीं हो सकती थी। परिणामस्वरूप, लिपि क्रमशः प्रतीकात्मकता की ओर अग्रसर हुई।

लिपि के विकास का अगला चरण शब्द लेखन था। इसके अंतर्गत लिपि प्रतीक वस्तु नहीं बल्कि शब्द होते थे। आज हमारी अधिकतर लिपियाँ ध्वनि पर आधारित हैं। अर्थात् किसी शब्द के उच्चारण में जो-जो ध्वनियाँ आती हैं, हम उन ध्वनियों के प्रतीक वर्णों को उसी क्रम में साथ रखते हैं; जैसे – 'कमल' शब्द के लिए हम 'क', 'म', तथा 'ल' ध्वनि प्रतीकों को उसी क्रम में रख देते हैं और उनका इकट्ठा उच्चरित रूप उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसमें वस्तु का चित्रांकन नहीं होता। एक वस्तु के लिए एक ही निश्चित चिह्न होता है। लेखन में शब्दों के उन प्रतीक चिह्नों को चित्र लिपि की ही भाँति क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टि से यह चित्र लिपि से कुछ-कुछ मिलती है, किंतु इसमें अमूर्त भावनाओं, विविध क्रियाओं आदि का द्योतन भी हो सकता है। इससे इसकी क्षमता तथा क्षेत्र चित्र लिपि से बहुत अधिक है। चीनी भाषा की लिपि इसी प्रकार की है। इस परिवार की लिपि में संसार का श्रेष्ठ साहित्य भी लिखा गया है, किंतु इसकी भी कुछ सीमाएँ हैं। मुख्य बात तो यही है कि भाषा में शब्दों की संख्या बढ़ती रहती है। यदि हर शब्द के लिए एक प्रतीक रखा जाए तो प्रतीकों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उन्हें याद रखना भी संभव नहीं हो पाएगा। इतने प्रतीकों को समझना, पढ़ना और लिखना, यह सब कुछ अत्यधिक श्रमसाध्य है। इसमें जटिल भावनाओं, क्रियाओं एवं अमूर्त संकल्पनाओं के लिए प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण तथा अर्थबोध भी कठिन होगा।

8.4.1 वर्णात्मक लिपि व्यवस्था

लेखन संप्रेषण में अधिक स्पष्टता लाने के लिए आक्षरिक लेखन व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसमें पूरे शब्द के लिए एक लिपि चिह्न न होकर अलग-अलग अक्षरों के लिए लिपि चिह्न निर्धारित किए गए। इसके अंतर्गत शब्दों में प्रयुक्त अक्षरों के लिपि चिह्न को जोड़कर शब्द लिखा जा सकता था। अक्षरों की संख्या शब्दों की अपेक्षा कम होती है, अतः इस

श्रेणी की लिपि को याद रखना और लिखना शब्द-लेखन की अपेक्षा आसान था। यह लेखन प्रति अक्षरों की ध्वनियों पर आधारित थी। आगे चलकर यही वर्णात्मक लिपि व्यवस्था का आधार बनी।

वर्णात्मक लिपि व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अधिक सहज और वैज्ञानिक सिद्ध हुई। इसमें लिपि चिह्नों का आधार अक्षरों के स्थान पर वर्ण बने। अक्षरों में एक से अधिक अक्षरों का मेल हो सकता है, किंतु वर्णों के द्वारा भाषा की ध्वनियों का बिल्कुल मूल रूप में प्रतिनिधित्व होता है। भाषा की ध्वनियों के संदर्भ में स्वनिम पर भी चर्चा आवश्यक है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें उस भाषा के स्वनिम कहते हैं। किसी भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले स्वनिम वर्ण तो होते ही हैं, किंतु किसी लिपि चिह्न के रूप में अभिव्यक्त होकर भी वे वर्ण कहे जाते हैं। यथा – हिन्दी में 'अ' वर्ण 'अ' ध्वनि का प्रतीक है और जब भी वह वर्ण लिखा जाएगा, उसका उच्चारण 'अ' ही होगा। जिस प्रकार उच्चारण में एक या एक से अधिक ध्वनियाँ मिलकर एक शब्द बनाती हैं, उसी प्रकार लेखन में ध्वनियों के प्रतीक वर्ण उसी क्रम में आकर उसी शब्द को लिखित रूप प्रदान करते हैं। जैसे – हिन्दी के शब्द 'पानी' में चार ध्वनियाँ प्+आ+न्+ई प्रयुक्त हुई हैं। लेखन में इन्हीं के प्रतीक इसी क्रम में आकर शब्द को लिखित आकार में प्रस्तुत करते हैं। यह चित्रलिपि या शब्द चित्र लेखन की अपेक्षा अत्यधिक सरल है क्योंकि क्योंकि इसमें हर वर्ण किसी वस्तु या शब्द का प्रतीक न होकर भाषा की किसी ध्वनि अर्थात् स्वनिम का प्रतीक होता है। चित्र लिपि या शब्द चित्र लेखन में जहाँ असंख्य वस्तुओं या असंख्य शब्दों के लिए असंख्य लिपि चिह्नों की आवश्यकता होती है, चाहे उन वस्तुओं के नामों या शब्दों में ध्वनियों की कितनी ही समानता क्यों न हो। वर्ण लेखन में केवल भाषा की ध्वनियों से संबंधित वर्णों की पहचान करनी होती है। इनकी संख्या सीमित होती है। भाषा किसी भी ध्वनि-समूह या शब्द कुछ वर्णों की सहायता से लिखा जा सकता है।

भाषाविज्ञान की दृष्टि से लिखित भाषिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण का प्रतिबिंब है। वर्णात्मक लिपि व्यवस्था में यह प्रतिबिंब अत्यंत सहज एवं स्पष्ट होता है। अंग्रेजी आदि भाषाओं में एक ही वर्ण कई बार एकाधिक ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होता है, उदाहरण के लिए, अंग्रेंजी का C वर्ण कभी 'स' और कभी 'क' के लिए प्रयुक्त होता है; जैसे, city और cut. इसी प्रकार से G 'ज' और 'ग' का उच्चारण होता है; जैसे – goat और genious.

8.4.2 देवनागरी लिपि में वर्ण व्यवस्था

संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि को विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इसमें प्रायः ध्वनि या स्वनिम के लिए एक निश्चित वर्ण का ही प्रयोग होता हैं। एक निश्चित वर्ण हमेशा एक निश्चित ध्वनि का ही प्रतिनिधित्व करता है; जैसे – वर्ण 'क' का प्रयोग हमेशा 'क' ध्वनि के लिए ही होगा, किसी अन्य ध्वनि के लिए नहीं।

वर्णों के लोप और आगम का भी भाषा में विशेष महत्व है। इसके द्वारा भाषा गतिशील होती है। इसमें समय के साथ परिवर्तन भी होते रहते हैं। लिपि में से कभी-कभी कुछ वर्ण संबंधित ध्वनियों का उपयोग न होने के कारण लुप्त भी हो जाते हैं; जैसे – काफी पहले 'ल' वर्ण को हिन्दी की वर्णमाला में भी रखा जाता था किंतु हिन्दी में इस ध्वनि का प्रयोग न होने के कारण यह वर्ण लुप्त हो गया। कभी-कभी कुछ अनावश्यक वर्ण भाषा में संरक्षित भी हो जाते हैं। कारण यह कि उच्चारण के स्तर पर भाषा में परिवर्तन की गति तीव्र होती है। लिखित भाषा में यह अपेक्षाकृत धीमा होता है। इसीलिए उच्चरित भाषा में कोई ध्वनि लुप्त हो जाती है लेकिन लिखित भाषा में उसका लिपि प्रतीक बना रहता है, जैसे – 'ऋ' तथा 'श' ध्वनियों का उपयोग 'रि' तथा 'श' के रूप में हो रहा है। फिर भी इनके प्रतीक वर्णों – ऋ और श का भी प्रयोग हो रहा है। उच्चारण के स्तर पर – ऋतु

= रितु और शेष = शेष हो गया है। ऐसी स्थितियों में कहीं-कहीं ध्वनि तथा लिपि चिह्न का सामंजस्य टूट जाता है, किंतु मानक वर्णमाला में ऋ और श का प्रयोग जारी रखा गया है।

भाषा के विकास के साथ उसमें नए-नए लिपि-चिह्न या विशेषक का आगमन भी हो सकता है। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था होती है। अन्य भाषाओं से संपर्क के कारण भाषा में दूसरी भाषाओं की शब्दावली भी आ जाती है, साथ ही उन शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ भी। उदाहरण के तौर पर, हिन्दी में अरबी-फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों के माध्यम से क़, ख़, ग़, ज़, फ़ तथा ऑ ध्वनियाँ आ गई हैं। इन ध्वनियों के तद्भव हिन्दी रूपों का भी इस्तेमाल किया जाता है और अर्थबोध में कठिनाई भी नहीं होती; जैसे – क़ायदा, ख़बर, ग़बन, ज़ेब्रा, फ़ायदा, कॉलेज को कायदा, खबर, जेब्रा फायदा और कॉलेज कहने पर भी अर्थबोध में कठिनाई नहीं होगी किंतु उस भाषा में यदि उन्हीं ध्वनि-समूह का कोई और शब्द पहले से मौजूद है तो अर्थबोध कठिन हो जाएगा, जैसे –

हॉल (बड़ा कमरा)	–	हाल (दशा)
ताक़ (आला)	–	ताक (टकटकी)
ख़ैर (कुशल)	–	खैर (कत्था)
ग़ौर (ध्यान)	–	गौर (पार्वती)
ग़ज़ (नाप)	–	गज (हाथी)
फ़न (हुनर)	–	फन (नाग का फन) आदि

ऐसी स्थिति में सही अर्थ ग्रहण के लिए मूल उच्चारणों की रक्षा करना उचित होता है। हिन्दी नागरी लिपि में ऐसे कई आगत वर्ण हैं।

भाषा में अर्थ संप्रेषण केवल वर्णों से बने शब्दों के माध्यम से ही नहीं होता। वक्ता के बोलने की शैली पर भी अर्थबोध निर्भर करता है। इसे विराम एवं बलाघात कहते हैं जो केवल ध्वनि या वर्ण का विषय नहीं है; जैसे –

1. रोको, मत जाने दो।
2. रोको मत, जाने दो।
3. यह राम की किताब है।
4. यह राम की किताब है?
5. यह राम की किताब है!

यहाँ बोलने की शैली और लेखन-चिह्नों का विशेष महत्व है। उसी के अनुरूप संप्रेषण का भाव प्रकट होता है।

लिपि लेखन की इस उपयोगिता के कारण ही वाक् को भाषा का प्रमुख और स्वाभाविक माध्यम माना गया है। लेखन को वाक् के गौण तथा दृश्य माध्यम का स्थान दिया गया है। यह तथ्य भी प्रमुख है कि भाषा का जन्म वाक् प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में हुआ है। प्रत्येक सामान्य मानव शिशु को बोलना सहज रूप से अनायास ही आ जाता है। लेकिन आज के समय और समाज में भाषा का लिखित रूप में संप्रेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह सही है कि भाषा को लिखने और पढ़ने वालों की संख्या इसे बोलने वालों की तुलना में काफी कम है, क्योंकि पढ़ना और लिखना एक अर्जित कौशल है। इसे सीखना पड़ता है, किंतु इस संप्रेषण कौशल को अर्जित करना भी आज के समय की अनिवार्यता है। यह समाचारपत्र पढ़ने, पत्र लिखने या ज्ञानार्जन या डिग्री लेने तक सीमित नहीं है। हमारे चारों ओर यातायात संबंधी निर्देश, संस्थान – अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, दूकान, बस, रेलवे आदि जगह साइनबोर्ड, नंबर, अथवा अन्य जानकारी – सूचना आदि लेखन के माध्यम से ही हमारे सामने आते हैं। अतः लिपि के ज्ञान के बिना व्यक्ति का दैनिक जीवन अधूरा है।

संप्रेषण के माध्यम लेखन के द्वारा मनुष्य ने समाज में भौगोलिक दूरियों को मिटाकर परस्पर संबंध तथा संपर्क को और अधिक आसान बना दिया है। लेखन के द्वारा दो व्यक्ति आमने-सामने न होकर भी संपर्क कर सकते हैं। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हमें विश्व भर की जानकारी मिलती है, हमारा ज्ञान वर्धन होता है। मौखिक जानकारी की तुलना में लिखित जानकारी अधिक सुविधाजनक और प्रामाणिक होती है। इसे संरक्षित भी किया जा सकता है। इसे जरूरत पड़ने पर बार-बार पढ़ा जा सकता है। लेखन के द्वारा अध्ययन क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है। आज विद्यार्थी के लिए भी लेखन का माध्यम सर्वाधिक सुगम है। केवल शिक्षक आधारित ज्ञान प्रायः मस्तिष्क की एकाग्रता की कमी एवं स्थान, काल, परिस्थिति के भेद से सदैव ग्राह्य नहीं हो पाता। पुरानी रटंत प्रक्रिया में व्यय होने वाले समय को भी बचाया जा सकता है।

लेखन के द्वारा मानकता तथा स्थिरता भी प्राप्त होती है। मौखिक या उच्चरित संप्रेषण में परिवर्तन जल्दी-जल्दी घटित होते हैं। लिखित संप्रेषण में यह गति धीमी होती है। यथा – हिन्दी में 'बाबूजी' शब्द पूर्वी क्षेत्र में 'बाऊजी' और 'बौजी' भी हो जाता है किंतु लेखन में इसे हर क्षेत्र में 'बाबूजी' ही लिखा जाता है। इससे हर क्षेत्र के व्यक्ति को अर्थबोध हो जाता है। लिखित संप्रेषण मौखिक की अपेक्षा अधिक औपचारिक भी होता है। इससे मानकता का तत्व जुड़ जाता है। लिखित संप्रेषण में अधिकतम वर्तनी, शब्दावली, संरचना और व्याकरण में मानक रूप को सुरक्षित रखा जा सकता है जो अध्ययन में काफी सहायक होती है।

बोध प्रश्न 1

क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

1. संप्रेषण से आप क्या समझते हैं?

   .....

   .....

   .....

2. मौखिक संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? इसे स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार बताइए।

   .....

   .....

   .....

3. अपभाषा किसे कहते हैं। इसे समझाते हुए उसके लक्षण भी बताइए।

   .....

   .....

   .....

4. वर्णों के लोप और आगम पर टिप्पणी लिखिए।

   .....

   .....

   .....

5. लिखित संप्रेषण के स्वरूप के बारे में बताइए।

   .....

   .....

   .....

6. नागरी लिपि की वर्ण व्यवस्था का विवेचन कीजिए।

.....

.....

.....

7. भाषा और लेखन के पारस्परिक संबंध का विवेचन कीजिए।

.....

.....

.....

8. मौखिक और लिखित संप्रेषण की सीमा और क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।

.....

.....

.....

8.5 आंगिक संप्रेषण (Non-verbal Communication): अर्थ और स्वरूप

आंगिक संप्रेषण से तात्पर्य है शब्द रहित संदेश का प्रेषण। शब्द रहित संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है कि शाब्दिक भाषा ही संप्रेषण का एकमात्र साधन नहीं है। संप्रेषण के अन्य साधन भी हैं।

आंगिक संप्रेषण को शारीरिक चेष्टाओं-हाव-भाव, स्पर्श (हैपटिक संप्रेषण), शारीरिक भाषा (Body Language), भावभंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति या आँखों के संपर्क से भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। आवाज या वाणी के अंतर्गत समांतर भाषा नामक अवाचिक तत्व समाविश्ट होते हैं। इनमें आवाज की गुणवत्ता, भावना, बोलने के तरीके आदि के साथ ही ताल, लय, आलाप, आरोह-अवरोह एवं तनाव जैसे छंदशास्त्र संबंधी लक्षण भी शामिल हैं। नृत्य भी अशाब्दिक या आंगिक संप्रेषण की ही एक शैली है। यद्यपि हम सर्वत्र नृत्य का उपयोग नहीं कर सकते, किंतु साहित्य-संस्कृति के अंतर्गत नृत्य एक सशक्त आंगिक संप्रेषण है। इसी तरह लिखित पाठ में भी अशाब्दिक तत्व होते हैं; जैसे – हस्तलेखन तरीका, शब्दों की स्थान संबंधी व्यवस्था या इमोटिकॉन (Emoticon) का प्रयोग। आंगिक संप्रेषण के लिए 'अवाचिक संप्रेषण', 'वाचेतर संप्रेषण', 'अशाब्दिक संप्रेषण', या 'शब्दतेर संप्रेषण' आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं।

आंगिक संप्रेषण या अशाब्दिक संप्रेषण अधिकतर अनियंत्रित संकेतों पर आधारित होता है। अलग-अलग संस्कृतियों के अनुसार यह पृथक-पृथक हो सकता है। कुछ हद तक यह अधिकतर मूर्ति सदृश (आइकॉनिक) है। इसे वैश्विक रूप से समझा जा सकता है। चेहरे की अभिव्यक्ति के संबंध में पॉल एकमैन (1960 के दशक में) ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है कि गुस्सा, घृणा, भय, प्रसन्नता, उदासी, एवं आश्चर्य आदि भावनाओं की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक होती है और यह अभिव्यक्ति आंगिक संप्रेषण से स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त भी हो सकती है।

आंगिक संप्रेषण का व्यावहारिक अध्ययन अधिकतर आमने-सामने की अंतःक्रिया (बातचीत) पर ध्यान केंद्रित करता है। मूक-बधिर स्कूलों में भी बच्चों को आंगिक संप्रेषण से ही संप्रेषण कराया जाता है। आंगिक संप्रेषण को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है –

- वातावरण-परक स्थितियाँ जहाँ संप्रेषण घटित होता है।
- संप्रेषण का शारीरिक चरित्र-चित्रण एवं अंतःक्रिया (बातचीत)
- प्रेषक एवं प्रेषिती का व्यवहार

संप्रेषण में भौतिक जगह के अध्ययन को 'प्रॉक्सीमिक्स' कहते हैं। यह वह अध्ययन है जिसमें यह पता लगाते हैं कि व्यक्ति अपने आसपास मौजूद भौतिक जगह को किस प्रकार ग्रहण एवं प्रयोग करता है। किसी संदेश के प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य का स्थान संदेश की विवेचना को प्रभावित करता है। अलग-अलग संस्कृतियों एवं उनके विभिन्न ढाँचों में जगह को ग्रहण एवं प्रयोग करना भिन्न-भिन्न है।

8.5.1 आंगिक संप्रेषण की मुख्य श्रेणियाँ

आंगिक संप्रेषण या अशाब्दिक को मुख्यतः चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं –

i) अंतरंग

ii) सामाजिक

iii) व्यक्तिगत

iv) सार्वजनिक जगह

हर्जी एंड डिकसन (2004) ऐसे चार क्षेत्र चिह्नित करते हैं, जहाँ मनुष्य का संप्रेषणात्मक व्यवहार आंगिक या अशाब्दिक होता है –

1. एक घर जहाँ उसके स्वामी की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता।
2. कोई व्यक्ति रेलगाड़ी की एक ही सीट पर बैठता है, यदि कोई और बैठ जाए तो व्यथित होता है।
3. जब कोई व्यक्ति पार्किंग के लिए जगह की प्रतीक्षा में हो तो व्यक्ति पार्किंग की जगह छोड़ने में अधिक वक्त लेते हैं।
4. जब कोई समूह फुटपाथ पर बातचीत में मशगूल हो तो अन्य व्यक्ति उन्हें टोकने के बजाय बगल से निकल जाएँगे।

आंगिक संप्रेषण में समय के प्रयोग का भी अध्ययन किया गया है, इसे क्रॉनेमिक्स कहते हैं। समय को लेकर अनुभव एवं प्रतिक्रिया एक सशक्त संप्रेषण है। समय की अनुभूति में, समयबद्धता, इंतजार, बोलने वाले की वाणी की गति और श्रोता कब तक सुनना चाहता है, आदि बातें अशाब्दिक या आंगिक संप्रेषण की विवेचना में योगदान करते हैं। समय की इस अनुभूति की जड़ें एवं समझ औद्योगिक क्रांति में निहित है। अमेरिकी लोगों के लिए समय एक बहुमूल्य स्रोत है जिसे वे व्यर्थ नहीं गँवाते और न ही हलके में लेते हैं। समयबद्ध संस्कृतियों वाले देश 'मोनोक्रोनिक' कहलाते हैं, जैसे – अमेरिका, जर्मनी, स्विटजरलैंड। इसके विपरीत 'पॉलीक्रानिक' समय प्रणाली में समय को लेकर अधिक तरलता होती है। लैटिन अमेरिका, एवं अरब संस्कृतियाँ समय की पॉलीक्रानिक प्रणाली का प्रयोग करती हैं। इसमें कार्य की अपेक्षा संबंधों और परंपराओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि ये अपने परिवार या मित्रों के साथ हैं तो समय की विशेष सीमा या समस्या नहीं होती। पॉलीक्रानिक संस्कृतियों में सउदी अरब, मिस्र, मैक्सिको, फिलीपींस, भारत एवं कई अफ्रीकी देश आते हैं।

शारीरिक स्थिति एवं संचलन विषयक 'काइनेसिक्स' का अध्ययन सर्वप्रथम 1952 में मानव-विकास विज्ञानी रेबर्ड विहिस्टैल ने किया था। उनके अध्ययन से आंगिक संप्रेषण पर काफी प्रकाश पड़ता है, जैसे – शारीरिक मुद्रा, भाव-भंगिमा, स्पर्श, शारीरिक संचलन के तरीके।

आंगिक संप्रेषण के विभिन्न कार्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है; जैसे-

- भावनाओं को व्यक्त करना।
- पारस्परिक रुख को व्यक्त करना।
- वक्ता एवं श्रोता के मध्य अंतःक्रियाओं के संकेतों का प्रबंध करने में वाणी का साथ देना।
- किसी के व्यक्तित्व का स्व-प्रदर्शन
- अनुष्ठान (अभिवादन), हैलो, हाय, बाय-बाय तथा नमस्कार आदि।

8.5.2 आंगिक संप्रेषण की कठिनाइयाँ

आंगिक संप्रेषण में कई कठिनाइयाँ भी होती हैं। जो इस प्रकार हैं –

प्रेषक एवं प्रेषिती की क्षमता में भिन्नता होना। प्रायः महिलाएँ आंगिक संप्रेषण में पुरुषों की अपेक्षा अधिक बेहतर होती हैं।

आंगिक संप्रेषण की योग्यताओं का परिमाप तथा सहानुभूति अनुभव करने की क्षमता शाब्दिक से अधिक सूक्ष्म और गहरी होने के कारण दोनों की योग्यताएँ एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं ऐसे लोग जिन्हें आंगिक संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से अधिक समस्या है, उनको ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर पारस्परिक संबंधों में। यद्यपि ऐसे संसाधन भी हैं जो विशेष रूप से इन्हीं लोगों के लिए हैं तथा उन्हें अन्य लोगों की तरह आसानी से सूचनाओं को समझने में सहायता दी जाती है। इन चुनौतियों का सामना करने वाले वर्ग को 'एस्पर्गर सिन्ड्रोम' सहित 'आस्टिस्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर' से ग्रसित भी कहा जा सकता है।

बोध प्रश्न 2

क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. मौखिक संप्रेषण की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति बोली होती है। इसे स्पष्ट कीजिए।

   .....

   .....

   .....

2. वर्णात्मक लिपि व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। इसे स्पष्ट कीजिए।

   .....

   .....

   .....

3. लेखन संप्रेषण का परिमार्जित रूप है। इसे स्पष्ट कीजिए।

   .....

   .....

   .....

4. आंगिक संप्रेषण को किन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? विवेचन कीजिए।

   .....

   .....

   .....

5. आंगिक की कौन–सी श्रेणियाँ हैं? समझाइए।

.....

.....

.....

6. आंगिक संप्रेषण में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं।

.....

.....

.....

7. 'काइनेसिक्स' से क्या अभिप्राय है। इसे समझाते हुए आंगिक संप्रेषण के कार्य भी बताइए।

.....

.....

.....

8.6 सारांश

प्राचीन ज्ञान-विज्ञान लिखित रूप में ही अधिक सुरक्षित संरक्षित रहा है। लिपि का आरंभ चित्र लिपि से माना जाता है। आज ध्वन्यात्मक वर्ग लेखन अधिक वैज्ञानिक एवं सुविधाजनक है। इसीलिए लिखित संप्रेषण अधिक प्रचलित भी है। भाषा में लिपि का उद्‌भव ध्वनि के बाद हुआ। फिर भी भाषा के संरक्षण में लिपि का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संप्रेषण के अंतर्गत उच्चरित भाषा की हर विशेषता, हर बलाघात और अनुतान का सामान्य लेखन में प्रयोग नहीं होता, न ही हो सकता है। वक्ता के कथन के साथ ही उसके ध्वनि संकेत, आंगिक चेष्टाएँ आदि भी मानवीय भावों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। अतः संप्रेषण के विविध रूपों की दृष्टि से मौखिक, लिखित और आंगिक अभिव्यक्तियों का अन्योन्याश्रित महत्व है।

इकाई 9 संप्रेषण कौशल

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्‌देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 भाषा और संप्रेषण

9.3 भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया

9.4 संप्रेषण कौशल के प्रकार

- 9.4.1 श्रवण कौशल
- 9.4.2 अभिव्यक्ति कौशल बनाम वक्ता
- 9.4.3 वाचन कौशल
- 9.4.4 लेखन कौशल

9.5 संप्रेषण कौशल के विभिन्न पक्ष

9.6 सारांश

9.0 उद्‌देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

- संप्रेषण कौशल का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे।
- भाव और संप्रेषण में अंतर बता सकेंगे।
- भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे।
- श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे।
- संप्रेषण कौशल के निर्धारक तत्वों का विवेचन कर सकेगें।

9.1 प्रस्तावना

संप्रेषण कौशल से अभिप्राय भाषा-प्रयोक्ता में अपने संदेश या मंतव्य को भाषायी प्रयोग में प्राप्त योग्यता है। इसके प्रभावी व्यवहार में सार्वजनिक भाषण, प्रस्तुतीकरण, बातचीत, संघर्ष समाधान, ज्ञान बाँटना आदि मौखिक कौशल के अंतर्गत आते हैं और रिपोर्ट, प्रस्ताव, अनुदेश, मैनुअल तैयार करना, ज्ञापन सूचनाएँ लिखना, कार्यालय पत्र-व्यवहार आदि लेखन-कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसमें मौखिक और गैर-मौखिक दोनों का सम्मिश्रण है। यद्यपि ये कौशल – श्रवण, मौखिक, वाचन और लेखन – अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में आते हैं, किंतु मातृभाषा के रूप में यह दैनिक जीवन में भी महत्व रखती है। चूँकि हमारे संप्रेषण का अधिकारिक माध्यम अंग्रेजी भी है, इसलिए इसमें कुछ हद तक दक्षता होना भी आवश्यक है। हालांकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, किंतु भारत में इंडियन इंग्लिश के रूप में इसे द्वितीय भाषा माना जा रहा है। वस्तुतः यह हमारी मातृभाषा या प्रथम भाषा नहीं है। इसलिए इन चारों कौशलों के लिए सतत् अभ्यास और तदुपरांत भाषा-प्रयोगशाला सत्रों की आवश्यकता भी पड़ती है। बहुराष्ट्रीय और प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट के लिए संप्रेषण-कौशल पर बल दिया जाता है। इसलिए इस पर गहराई से सोच-विचार करने और ध्यान देने की आवश्यकता है। संप्रेषण की गुणवत्ता, रोजगार संबंधित विषय के ज्ञान के साथ-साथ अच्छे संप्रेषण कौशल पर निर्भर करती है।

9.2 भाषा और संप्रेषण

भाषा का मुख्य प्रकार्य संप्रेषण है। इसका जीवन में महत्वपूर्ण एवं व्यापक प्रभाव होता है। मानव और मानवेतर संप्रेषण दोनों मिलते हैं, किंतु मानव भाषा की व्यापकता ही पशु एवं मानव के बीच की खाई को पाटती है। भाषा के अभाव में हमारी सभ्यता और संस्कृति अधूरी ही रह जाती है। भाषा मानव विकास की अनुपम उपलब्धि है। भाषा की वैज्ञानिक तथा सुनिश्चित परिभाषा देना कठिन है। स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि भाषा किसी मानव जाति अथवा समाज-विशेष के सदस्यों के बीच यादृच्छिक एवं परंपरागत वाचिक प्रतीकों का प्रयोग कर उच्चारण तथा श्रवण अवयवों द्वारा परिचालित संप्रेषण की व्यवस्था है।

व्यवस्था में नियमबद्धता होती है। नियमों की संख्या सीमित होती है। मानव मस्तिष्क भी ससीम है। वह केवल सीमित नियमों को ही समझ सकता है। प्रत्येक भाषा में दो प्रकार की व्यवस्थाएँ अंतर्निहित हैं – एक ध्वनि व्यवस्था और दूसरी, अर्थ व्यवस्था। किसी भी भाषा के वक्ता अनेक संभव ध्वनियों में से कुछ ही ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। यही नहीं, एक ही भाषा में प्रयुक्त कुछ ध्वनियाँ सभी प्रकार से संयुक्त नहीं हो सकती, जैसे – हिन्दी में (प्लावन और प्लीहा), शब्दों के आरंभ में प्+ल् संयोग संभव है। किंतु इनमें ल्+प् का संयोग संभव नहीं है। इसी प्रकार (व्यर्थ और व्यय) में व्+य् संभव है। किंतु इनमें य्+व् संभव नहीं है। इसी संयोग से अर्थ की प्राप्ति होती है।

भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है, उसका सामाजिक अथवा द्विपक्षीय स्वरूप, जो अर्थ-प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक भाषा के लिए कम-से-कम एक वक्ता और एक श्रोता का होना आवश्यक है। भाषा का रूप स्वगत भाषण न होकर संभाषण होता है। यही रूप भाषा की संप्रेषणपरक प्रकृति में निहित है। भाषा की परिभाषा में ''वाचिक शब्द भी महत्वपूर्ण है। भाषा का प्राथमिक माध्यम ध्वनि है। किसी भाषा का लिखित स्वरूप कितना ही विकसित क्यों न हो, उसका आरंभ वाचिक रूप में ही होता है। प्राक्-साक्षर जातियों, अभिलेखों, तथा ऐतिहासिक रिकार्डों को देखने से और बालकों द्वारा भाषिक अवाप्ति का अध्ययन करने से भी भाषा के वाचिक स्वरूप की पुष्टि होती है''। किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भाषा के लिखित रूप का कोई महत्व ही नहीं है। प्रश्न केवल प्राथमिकता एवं केंद्रीयता का ही है। ये विशेषताएं भाषा के वाचिक स्वरूप में ही निहित होती हैं।

भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रतीकों का प्रयोग करती है। प्रत्येक भाषा शब्दों के द्वारा विभिन्न वस्तु-जगत् एवं क्रिया-जगत को अभिव्यक्त करती हैं। ये शब्द उन वस्तुओं, विचारों एवं क्रियाओं के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः प्रत्येक भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ वस्तु जगत से किसी-न-किसी रूप में प्रतीकात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। किसी भी मानवीय समाज के सदस्य परंपरागत रूप से उपर्युक्त संबंध के विषय में सचेत होते हैं। उन्हें उसका ज्ञान होता है। फिर भी यह संबंध सामाजिक परंपरा का अंग होते हुए भी यादृच्छिक होता है। ध्वनि-विशेष और वस्तु-विशेष के बीच कोई सीधा अनिवार्य संबंध नहीं होता। इसी कारण एक ही वस्तु के अनेक प्रतीक होते हैं; जैसे – हिन्दी के 'कुत्ता' शब्द के लिए संस्कृत में 'श्वान', अंग्रेजी में 'डॉग', जर्मन में 'हुंड', का प्रयोग होता है। वस्तुतः अपने बात या भावना दूसरे तक पहुंचाना मानव का स्वभाव है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना क्योंकि भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसलिए संप्रेषण द्वारा मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। भाषिक संप्रेषण के द्वारा ही हम समाज में मिल-जुलकर रहते हैं, खेलते हैं, सत्य असत्य की विवेचना करते हैं, प्रेम, क्रोध, घृणा, द्वेश आदि मनोभाव भी संप्रेषण के ही परिणाम हैं। विचारों, भावों, संवेगों एवं कल्पनाओं की अभिव्यक्ति संप्रेषण के मुख्य अभिप्रेरक हैं।

9.3 भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया

जैसा कि पहले बताया गया है कि भाषिक संप्रेषण के लिए कम-से-कम एक वक्ता और एक श्रोता का उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए संप्रेषण की प्रक्रिया उच्चारण तथा श्रवण अवयवों द्वारा परिचालित होती है। इसके साथ ही संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में अभाषिक अथवा भाषेतर तत्व भी सम्मिलित होते हैं। जो संप्रेषण कौशल को ही परिपुष्ट करते हैं। संप्रेषण कौशल में प्रयुक्त भाषेतर तत्व निम्न प्रकार से हैं –

- स्वर शैली
- स्वर की प्रबलता
- आरोह-अवरोह
- अंगभंगिमा, अंग चालन आदि भाषेतर संप्रेषण के अभिन्न अंग हैं। वक्ता और श्रोता के बीच की दूरी भी एक ऐसा ही अंग है।

सफल एवं प्रभावशाली संप्रेषण तभी संभव है जब भाषिक तथा अभाषिक तत्वों में पूर्ण सामंजस्य हो, तभी श्रवण एवं अभिव्यक्ति के संयोग से संप्रेषण अपनी पूर्णता के साथ प्रकट होगा। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अभाषिक तत्वों का अपना विशेष महत्व होते हुए भी वे अपेक्षाकृत संप्रेषण की प्रक्रिया में गौण स्थान रखते हैं। भाषा का मूल आधार संप्रेषण है। अतः संप्रेषण कौशल को समझना आवश्यक है। इसके लिए वाक्-क्रिया अथवा वाक्-घटना को जानना जरूरी है।

प्रेषक प्रेषिती को संदेश भेजता है अथवा प्रेषित करता है। यह संदेश संप्रेषित हो, इसके लिए इसका ऐसा निर्दिष्ट संदर्भ अथवा निर्देश होना चाहिए जिसे प्रेषिती ग्रहण कर सके तथा जिसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति संभव हो। इसके लिए एक कूट या संकेत पद्धति अपेक्षित होती है, जिसे पूर्ण या आंशिक रूप से प्रेषक एवं प्रेषिती दोनों समझ सकें। प्रेषक (संकेतक) एवं प्रेषिती (विसंकेतक) के बीच में संपर्क होना चाहिए ताकि वे संप्रेषण को क्रियान्वित कर सकें। यह संपर्क भौतिक सारणि एवं मानसिक संबंध दोनों रूप में अपेक्षित है। उपर्युक्त विश्लेषण को आरेख द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है –

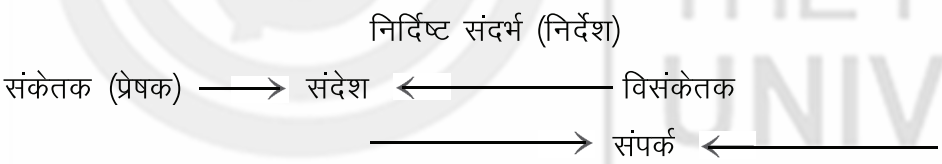

वास्तव में यह आरेख अवगम-सिद्धांत पर आधारित है। यह गणितीय भौतिकी की शाखा है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रेषण किसी एक तंत्र से अन्य तंत्र को संदेशों का अंतरण करने की क्रिया है। संदेश संप्रेषण-सरणि के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। भौतिक रूप से तो केवल संकेत अंतरित होते हैं। अतः संकेत संदेश-वाहन करते हैं और स्वयं संदेशों के मूर्त रूप होते हैं। अवगम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक संप्रेषण क्रिया के पाँच खंड अथवा चरण होते हैं।

i) संदेश का संकेतन
ii) उसका प्रेषण अथवा अंतरण
iii) उसका संकेत रूप में कार्यान्वयन
iv) उसका अभिग्रहण (reception)
v) उसका विसंकेतन

मानवी भाषाएँ अनेक अर्थों में असीमित हैं। इनका संप्रेषणात्मक सामर्थ्य अपरिमित है क्योंकि मनुष्य विविक्त संकेतों के अपरिमित समुच्चयों का प्रयोग करता है। किसी भी विषय पर मानव चाहे जितना बोल सकता है। कोई ऐसा विषय नहीं – जिस पर वह बोल

न सके। इन संकेतों में आवश्यकतानुसार संकेतों का चयन करता है। संकेतों का प्रेषण व्यक्ति यंत्र से पूरा किया जाता है। इनके कार्यान्वयन में सुनने योग्य ध्वनियों को वायु-ऊर्मियों, प्रकाश, विद्युत उपकरण आदि से भेजा जाता है। इन ध्वनियों को श्रोता अभिग्रहण करता है और फिर विसंकेतन होता है अर्थात् अर्थ की प्राप्ति होती है लेकिन इसमें वक्ता के कोड की जानकारी श्रोता को होनी आवश्यक है। यह मानव की जातीय विशिष्टता है जो भाषा और उसकी जटिल संरचना का परिणाम है।

9.4 संप्रेषण कौशल के प्रकार

संप्रेषण कौशल चार प्रकार के होते हैं – श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन। श्रवण (सुनना) और वाचन (पढ़ना) निष्क्रिय कौशल माने गए हैं जबकि अभिव्यक्ति (मौखिक या बोलना) तथा लेखन (लिखना) सक्रिय कौशल माने गए हैं। सक्रिय कौशल से विचारों को व्यक्त करने में अधिक सक्षम हैं। आइए संप्रेषण कौशल के प्रकारों पर दृष्टि डालते हैं –

9.4.1 श्रवण कौशल

इसका संबंध श्रोता से है। विचार या प्रत्यय (concept) के आधार पर ध्वनि-प्रक्रिया के द्वारा जो शब्द-बिंब उच्चारण अवयवों के माध्यम से ध्वनित होता है वह ध्वनि-तरंगों के द्वारा श्रोता तक पहुँचता है। इस प्रक्रिया में श्रोता की कर्णेन्द्रिय उन ध्वनि-तरंगों को ग्रहण करके ध्वनिक-बिंब के रूप में परिवर्तित करती है। तत्पश्चात श्रोता के मन में विचार या संकेत उत्पन्न होता है। इससे ही श्रोता को बोध होता है। वास्तव में इस प्रक्रिया का प्रारंभ एवं अंत विचार या प्रत्यय से ही होता है। एक ओर अभिव्यक्ति का साधन वाक्-इंद्रिय है तथा दूसरी ओर बोध या ग्रहण का साधन कर्णेन्द्रिय है। वक्ता ने कुछ भाव प्रकट किए और श्रोता ने उसे उसी रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार बोलते हुए जो ध्वनियाँ सुनाई देती है, उन्हें पहचानना और समझना श्रवण कौशल है। इस प्रक्रिया की तुलना वायरलेस (wireless), टेलीग्राम (Telegraph), टेलीविजन (Television) आदि से भी की जा सकती है। इन इलेक्ट्रिानिक यंत्रों में ध्वनियों को विद्युत-तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। सांकेतिक भाषा (code words) के द्वारा प्रेषित ध्वनियाँ ग्रहण किए जाने पर पुनः सांकेतिक रूप में परिवर्तित होती हैं और अपने अर्थ को अभिव्यक्त करती है। अभिव्यक्ति और बोध की यह प्रक्रिया भाषा की मूल प्रक्रिया है। इसी से भाषा संचालित होती है। संदेश का आवागमन ही इस प्रक्रिया का कार्य है। यही भावना का आदान-प्रदान है। दूरदर्शन के द्वारा हम वक्ता की ध्वनि के साथ उसकी आकृति (figure) को भी ग्रहण करते हैं।

9.4.2 अभिव्यक्ति कौशल बनाम वक्ता

इसका संबंध वक्ता से है। इसमें वक्ता मौखिक रूप से बोलने का कौशल प्राप्त करता है। इसे मौखिक अभिव्यक्ति अथवा भाषण कौशल भी कहते हैं। यह कौशल कठिन कौशल है। इस कौशल का विकास करने के लिए भाषा में प्रयुक्त ध्वनि, ध्वनि-व्यवस्था और वाक्य संरचना पर अधिकार करना होता है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से भाषा के दो अनिवार्य तत्व होते हैं – वक्ता एवं श्रोता। किसी वस्तु को देखकर वक्ता के मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं। जिनको वक्ता अभिव्यक्त करना चाहता है। इसके लिए भाषा का आश्रय लिया जाता है। सर्वप्रथम वक्ता के मन में विचार आता है, उसे हम प्रत्यय (concept) कहते हैं। विचार को बिंब में परिवर्तित किया जाता है। तत्पश्चात् उसे वाग्यंत्र द्वारा ध्वनित किया जाता है। यही भाषा का अभिव्यक्त पक्ष है।

अभिव्यक्ति कौशल के दो मुख्य पक्ष हैं – उच्चारण और मौखिक भाषण। उच्चारण के अंतर्गत स्वर, व्यंजनों के सही उच्चारणों के साथ बलाघात, तान-अनुतान पर भी ध्यान दिया जाता है। मौखिक भाषण के अंतर्गत मौखिक वाचन, सुनो और कहो, गीत द्वारा वाचन, बलाघात, तान-अनुतान वार्तालाप, संवाद, साक्षात्कार आदि आते हैं। संलाप में स्वगत कथन, एकालाप या व्यक्ति अपने आप से बात करता है और वार्तालाप सामान्य

बातचीत के लिए होता है। संवाद, प्रायः नाटक के पात्रों के बीच बातचीत करना होता है। अभिव्यक्ति पक्ष की पृष्ठभूमि में मानव की संपूर्ण ज्ञानार्जन-प्रक्रिया निहित रहती है। वक्ता अपने समाज से ही शब्दों को सुनता है और व्यक्त करता है, फिर शब्दों का अर्थ स्वयं समझता है। अर्थ और वस्तु के संकेत को वक्ता ग्रहण करता है। शब्दार्थ संबंध को भी ग्रहण किया जाता है। परिणामस्वरूप, वक्ता भाषा के प्रयोग में स्वतंत्र होता है। भाषा के अंतर्गत वक्ता और श्रोता की द्विविध प्रक्रिया प्रति क्षण काम करती रहती है। इसे हम अभिव्यक्ति पक्ष और तथा बोधपक्ष के रूप में समझ सकते हैं। अभिव्यक्ति पक्ष में भाषा का उच्चारण, ध्वनन या प्रकाशन और बोधपक्ष में उसका ग्रहण करना तथा तदनुकूल चेष्टा अंतर्निहित रहती है। अभिव्यक्ति पक्ष तथा बोधपक्ष दोनों अलग-अलग व्यक्तियों में ही हों, यह आवश्यक नहीं। परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार, वक्ता तथा श्रोता दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए वह वक्ता है, दूसरे की अभिव्यक्ति को सुनने के लिए वह श्रोता है। संलाप, वार्तालाप आदि में प्रायः यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि कौन वक्ता है और कौन श्रोता, इस बात को पहचानना कठिन हो जाता है। केवल अभिव्यक्ति ही समझ में आती है।

9.4.3 वाचन कौशल

इसमें व्यक्ति पाठक की भूमिका निभाता है। यहां भाषा का लिखित रूप आधार का काम करता है। इसे शिक्षार्थी पढ़कर ग्रहण करता है। वस्तुतः भाषा का मूल रूप उच्चरित होता है, लेकिन उसे लिपिबद्ध कर पाठ के रूप में संयोजित किया जाता है। मुद्रित रूप भी लिपिबद्ध रूप का एक प्रतिनिधि है। वस्तुतः अक्षरों के प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में क्रमबद्ध होकर एक चित्र का निर्माण करते हैं। हम उसका मन ही मन या सस्वर उच्चारण करते हैं। वह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है, वाचन कहलाती है। इसमें हस्तलिखित और मुद्रित सामग्री का वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वाचन में मुख्यतः दो बातें होती है – एक, वर्णों और शब्दों को पहचानना और लिखित आधार पर अर्थ ग्रहण करना। लिपि-चिह्नों की पहचान होने पर ही शब्द की पहचान संभव होती है। वस्तुतः शब्दों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी के आधार पर अर्थ ग्रहण संभव होता है। इसमें दृश्य ग्रहण (Usual perception) की आवश्यकता होती है।

कैथरीन ओकानर के मतानुसार ''वाचन या पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध होता है।'' लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को मौखिक पठन अथवा वाचन कहते हैं किंतु बिना अर्थ ग्रहण किए गए पढ़ने को पठन नहीं कहा जा, सकता। अर्थ ग्रहण आवश्यक है। अर्थ ग्रहण किस सीमा तक होता है, यह पठनकर्ता के ज्ञान एवं कौशल पर निर्भर है।

वाचन के दो प्रकार हैं – सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन बोलते हुए पढ़ना है और ओंठ न चलाते हुए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन एक कलात्मक कौशल है। इसमें सामग्री का वाचन करते हुए शारीरिक चेष्टाएँ, तान-अनुतान, हाव-भाव आदि में तो यह आदर्श वाचन है। वर्तनी बोध, ध्वनि-साम्य, अनुकरण आदि पर ध्यान रखना होता है। मौन वाचन में गहन वाचन और द्रुत वाचन दोनों होते हैं। गहन वाचन में पाठ्य-सामग्री में निहित ज्ञान के बिंदुओं का स्पष्टीकरण करना होता है। इसमें वर्ण, मात्रा, शब्द या वाक्यों पर ध्यान न जाकर अर्थ की प्राप्ति करना होता है। वाचन शक्ति का विकास वाचन की गति बढ़ाना है। इसमें कम समय में अर्थ ग्रहण करना और अधिक पृष्ठों का वाचन करना है। मौन वाचन एक प्रकार का पठन ही है।

वाचन 'कौशल' के निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं –

- प्रत्येक अक्षर का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करना।
- वाचन में प्रवाह बनाए रखना।

- मधुरता, प्रभावोत्पादकता, तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह-अवरोह के साथ वाचन होना अपेक्षित है।
- प्रत्येक शब्द को अलग-अलग उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना होता है।
- वाचन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है।
- सस्वर वाचन ही सामाजिक रूप से व्यावहारिक होता है।
- मौन वाचन केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही हो सकता है।

इसके विपरीत वाचन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होगी। वास्तव में वाचन एक कला है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण उसकी सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी है। वाणी की मधुरता को अमृततुल्य कहा गया है। मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। वाचन शिक्षा प्राप्ति में भी सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति या वाचन कौशल की शिक्षण विधियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।

परस्पर वार्तालाप से भावों एवं विचारों का आदान-प्रदान होता है, सहमति-असहमति बनती है और अपना मंतव्य स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। वार्तालाप शिक्षण के लिए अध्यापक छात्रों के साथ वार्तालाप करते हैं। अतः प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने हेतु प्रेरित करना उसका धर्म है। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक, बौद्धिक स्तर के अनुसार हो तो अच्छा होगा। सस्वर वाचन का प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए।

9.4.4 लेखन कौशल

दृश्य-चिह्नों में अंकित ध्वनियों को अक्षर प्रतीकों में अंकित करना लेखन है। इसमें व्याकरण के अनुसार और तार्किक ढंग से लिपि, वर्तनी आदि को लिखा जाता है। अच्छे लेखन कौशल हेतु अभ्यास और ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेखन दो प्रकार का होता है – एक रचना और दो, श्रुतलेख। रचना लेखन भी दो प्रकार का होता है – एक, नियंत्रित रचना और दो, मुक्त रचना। नियंत्रित लेखन में कहानी सुना कर लिखना, किसी विषय के बिंदु बता कर लिखना है जबकि मुक्त रचना में पत्र, निबंध, सारांश आदि का स्वतंत्र लेखन है। श्रुत लेखन भी लेखन के अंतर्गत आता है। जिसमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बोले गए वाक्यों, पाठ आदि को लिखना होता है। वास्तव में लेखन अथवा रचना का सर्वोत्तम रूप निबंध है। निबंध में विचार और भाषा की कसावट होना अपेक्षित है। निश्चित क्रम में जुड़े हुए शब्द और वाक्य और तर्कपूर्ण ढंग से विचार व्यक्त करना ही आदर्श लेखन है। विषय के अनुकूल भाषा और विचारों में सामंजस्य होना अपेक्षित है। सरस, सरल, सहज और मुहावरेदार भाषा निबंध लेखन के आवश्यक अंग है और यही लेखन को प्रभावशाली बनाते हैं। हिन्दी वाक्य-विन्यास में निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है –

1. सशक्त शब्दों का उपयोग अपेक्षित है।
2. लच्छेदार वाक्यों से बचकर सीधे, सरल छोटे वाक्यों का प्रयोग उचित रहता है।
3. लेखन, किसी वर्णन को साकार करने वाला होना चाहिए न कि केवल बताने वाला। पाठक के समक्ष लेखन के माध्यम से, शब्द-चित्र उपस्थित हो जाना चाहिए।
4. कर्मवाच्य (Passive voice) के स्थान पर कर्तृवाच्य (Active voice) का उपयोग करना अधिक अच्छा है।
5. रूढ़ोक्तियों से बचना आवश्यक है।
6. रूपक और उपमाओं का प्रयोग सावधानी से किया जाना उचित होगा।

7. **संवाहन-**अपने लिखे हुए को एक-दो दिन बाद पुनः ताज़ी नजरों से पढ़िए, इससे आपको अपने ही लिखे हुए का दोष समझ आ जाएगा। आप उसे सुधार सकते हैं।
8. अच्छे लेखन के लिए पढ़ना जरूरी है।
9. अपने समाज-सांस्कृतिक ज्ञान को सुदृढ़ रखना चाहिए।
10. मन में उठने वाले सभी विचारो को लिख डालना चाहिए।
11. अपने लेखन पर फीडबैक लीजिए।
12. प्रतिदिन लिखने से लेखन सुंदर होता है।
13. आवश्यकता पड़ने पर रूपरेखा बनाई जाए तो लेखन अधिक सुडौल और सुष्ठु होता है।

कोई भी भाषा लिपि का वरदान पाकर सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करती है। संक्षेप में लेखन कौशल के गुण निम्नलिखित हैं –

- लेखन सुंदर, स्पष्ट और सुडौल हो।
- उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो।
- विषय सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो।
- भाषा एवं शैली प्रभावोत्पादक हो।
- अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट, सरल एवं प्रभावपूर्ण हो।

भाषा के चार कौशल – सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना से मौखिक अभिव्यक्ति के बाद लेखन कौशल दूसरा सशक्त कौशल है। वस्तुतः लिखना और बोलना अभिव्यक्ति कौशल है। पढ़ना और सुनना 'ग्रहण कौशल' है। जब लेखन की बात होती है तो पाठक की बात अपने आप आ जाती है। अतः शुद्ध वर्तनी, सही विरामचिह्नों का प्रयोग, सही प्रारूप, सही शब्द प्रयोग, सही व्याकरण, सही वाक्य, सही अनुच्छेद आदि बातें ध्यान में रखकर लिखा जाना ही आदर्श है।

9.5 संप्रेषण कौशल के विभिन्न पक्ष

वास्तव में संप्रेषण कौशल को यदि उपर्युक्त – श्रवण अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन के स्तर पर व्याख्या की जाए तो निर्धारक तत्वों का विकास होता है।

उत्पादन क्षमता – इससे तात्पर्य है हमारी वह योग्यता जिसके आधार पर हम परिमित साधनों का अपरिमित प्रयोग कर असंख्य वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं तथा समझ सकते हैं। इनमें ऐसे वाक्य भी सम्मिलित हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने अथवा पढ़े। भाषा की उत्पादन क्षमता का सिद्धांत परंपरागत व्याकरणों में पूर्ण रूप से उपस्थित रहा है। इस विषय पर अर्वाचीन साहित्य में बहुत से भाषाविज्ञानियों ने विशेषकर अमेरिकी विद्वान चॉम्स्की ने विचार-मनन किया है।

यादृच्छिकता - इसका संबंध भाषा की परिभाषा से भी है। भाषा की यादृच्छिकता के बीच किसी भी प्रकार का सहजात संबंध नहीं होता। हमारे अपने मानस-पटल पर अंकित प्रतीकों के माध्यम से हम अपना भाव संप्रेषित करते हैं।

व्यावहारिकता – इसका अर्थ है कि प्रेषक प्रेषित अथवा संकेतक व विसंकेतक के कार्य की अदला-बदली हो सकती है। एक ही व्यक्ति संदेश भेज भी सकता है और उन्हें प्राप्त भी कर सकता है।

विस्थापन – भाषा संप्रेषण का एक लक्षण यह है कि उसके द्वारा मनुष्य वास्तविकता एवं अवास्तविकता, तथ्य एवं कल्पना, वर्तमान, भूत-भविष्य सभी के विषय में बात कर सकता है।

विशेषता – यह मानव की वह योग्यता है जिसके फलस्वरूप वह संप्रेषण-क्रिया से पूर्ण रूप से उलझाव एवं लगाव अनुभव नहीं करता। सामान्य कार्य-कलाप में संप्रेषण-क्रिया व्यवधान उत्पन्न नहीं करती। संप्रेषण के लिए यह आवश्यक नहीं कि अन्य चल रहे कार्य को स्थगित किया जाए। प्रायः चल रहे कार्य एवं संप्रेषण-क्रिया में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक स्त्री चपाती सेंकती हुई पास में बैठे बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है।

सांस्कृतिक संचारण – मानवीय संप्रेषण-व्यवस्था भाषा-विशेष के संदर्भ में अनुवांशिक नहीं है। भाषिक योग्यता अंतर्जात होते हुए भी प्रत्येक मनुष्य को अपनी भाषा की संरचना नए सिरे से सीखनी होती है। कोई भी व्यक्ति जन्मजात भाषा-विशेष की संरचना-व्यवस्था से परिचित नहीं होता। वह कौन-सी भाषा सीखेगा, यह उसके सांस्कृतिक परिवेश एवं भाषिक वातावरण पर निर्भर करता है। यदि कोई भारतीय बालक जन्म से अमेरिका में रहकर बड़ा होता है तो वह वहाँ की भाषा बोलेगा और समझेगा न कि भारतीय भाषा। अतः संप्रेषण-व्यवस्था मनुष्य की एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशेषता है, जो अपने समय, स्थान अथवा देश, काल, पात्र आदि की अनुकूलता के साथ ही प्रकट होती है।

बोध प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. भाषा और संप्रेषण का क्या संबंध है? इसे स्पष्ट कीजिए।

   .....

   .....

   .....

2. श्रवण कौशल की प्रक्रिया क्या है? समझाइए।

   .....

   .....

   .....

3. अभिव्यक्ति कौशल की अवधारणा स्पष्ट करते हुए संलाप, वार्तालाप और संवाद में अंतर बताइए।

   .....

   .....

   .....

4. वाचन किसे कहते हैं? इसे स्पष्ट करते हुए पठन और वाचन में अंतर बताइए।

   .....

   .....

   .....

5. वाचन में किन-किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। इस सविस्तार से समझाइए।

   .....

   .....

   .....

   .....

6. लेखन कौशल में किन-किन बातों से ध्यान रखा जाए ताकि वह सशक्त लेखन हो?

.....

.....

.....

7. संप्रेषण कौशल के लिए कौन-कौन से निर्धारक तत्व है जो संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

.....

.....

.....

9.6 सारांश

इस प्रकार भाषायी संप्रेषण के लिए श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन चार कौशल हैं जो व्यक्ति के संप्रेषण-व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रवण कौशल के अंतर्गत व्यक्ति पाठ की ध्वनियों को समझने और उनसे अर्थ ग्रहण करने में कुशल हो जाता है। अभिव्यक्ति कौशल में वह अपनी बात को व्यक्त करने में समर्थ होता है। कविता, कहानी, भाषण आदि को सही उच्चारण, के साथ बलाघात, ज्ञान-अनुदान आदि सहित सुचारू रूप से व्यक्त करता है। वाचन कौशल में लिखित और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ को मौन रूप से या उच्च स्वर में पढ़ लेता है और समझ भी जाता है। लेखन कौशल में वह अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकता है और पत्र, निबंध, अनुच्छेद आदि लिखने में सक्षम होता है। वह सभी कौशलों को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुकूल प्रस्तुत करता है।

इन कौशलों से दक्ष व्यक्ति समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

कुछ उपयोगी पुस्तकें

- **कृष्णकुमार गोस्वामी (2001) : शैक्षिक व्याकरण और हिन्दी भाषा,** आलेख प्रकाशन, दिल्ली।
- **आधुनिक हिन्दी (2007) : विविध आयाम,** आलेख प्रकाशन, दिल्ली।
- **भोलानाथ तिवारी (सं.) (1986) : हिन्दी भाषा की वाक्य संरचना,** साहित्य सहकार, दिल्ली।
- **राजकमल बोरा (सं.) (2001) : भाषाविज्ञान;** नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
- Central Hindi Directorate 1983 A Basic Grammer of Hindi, New Delhi
- **जयपाल सिंह तरंगः** 2003, हिन्दी शिक्षण की नई दिशा, सौम्य प्रकाशन, नई दिल्ली।
- **Narang, Vaishna:** 1996, Communicative Language Teaching, Creative Books, Delhi.
- **कपिलदेव द्विवेदी,** भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
- **डॉ. मोतीलाल गुप्त एवं रघुवीर प्रसाद भटनागर,** आधुनिक भाषाविज्ञान की भूमिका, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
- **राजमणि शर्मा,** आधुनिक भाषाविज्ञान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
- **रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव,** भाषाविज्ञान : सैद्धांतिक चिंतन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

MPDD / IGNOU / P.O. 119.5K / December 2019

ISBN: **978-93-89668-48-3**